रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 2008—अगस्त 1, 2008 (श्रावण 4, 1930)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 2008—AUGUST 1, 2008 (SRAVANA 4, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 825

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 687

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 9

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 983

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) ..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 5641

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 403

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 5651

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 169

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 825

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 687

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 983

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 5641

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 403

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 5651

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 169

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2008

सं. 1/3/2007-कमेटी--सामान्य सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय का दिनांक 1 जुलाई 2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था। डॉ. एन. रामकृष्णन, निदेशक, उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान, भोपाल के स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति होने के परिणामस्वरूप शासी निकाय से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। डॉ. चन्द्र शेखर, निदेशक, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी को अब उनके स्थान पर शासी निकाय की शेष अवधि के लिए सीएसआईआर की शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

सुशील कुमार
वरिष्ठ उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2008

सं. 12-7/2006-डीएस-I--भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के नियम 10.1(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षकऔर आरंभ : (1) इन नियमों को भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है कि भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है कि भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता सेवा नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है कि भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के नियम 10.1 (ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

बशर्ते केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. **छूट प्रदान करने का अधिकार** :--जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. **प्रतिबंध** :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. **सेवा की अन्य शर्तें** :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	26,000/- रुपये (नियत)
4.	वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता से संबंधित है जोभारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामित व्यक्तियों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए।
7.	शैक्षिक अर्हता और अनुभव	निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। वह एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति होगा जो अनुसंधान हेतु नेतृत्व प्रदान करेगा और उसे प्रशासनिक एवं शिक्षण का अनुभव होना चाहिए तथा प्रोफेसर की अर्हता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त होगा। एक नियुक्त व्यक्ति एक से अधिक कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10.	चयन समिति का गठन	चयन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। खोज-सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: :-- (i) मानव संसाधन विकास मंत्री -अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर -सदस्य- (iii) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग -सदस्य- (iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव -सदस्य- खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I--भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के नियम 12.1(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है कि भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है कि भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली सेवा नियम;

(ख) "निदेशक" का अर्थ है कि भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के नियम 12.1 (ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

4. बशर्ते केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :-जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. प्रतिबंध :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	26,000/- रुपये (नियत)
4.	वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह पद भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामित व्यक्तियों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए।
7.	शैक्षिक अर्हता और अनुभव	निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। वह एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति होगा जो अनुसंधान हेतु नेतृत्व प्रदान करेगा और उसे प्रशासनिक एवं शिक्षण का अनुभव होना चाहिए तथा प्रोफेसर की अर्हता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त होगा। एक नियुक्त व्यक्ति एक से अधिक कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10.	चयन समिति का गठन	चयन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: :— (i) मानव संसाधन विकास मंत्री -अध्यक्ष- (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर -सदस्य- (iii) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग -सदस्य- (iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव -सदस्य- खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पेनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I—भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के नियम 10.1(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमों" का अर्थ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, के संघ ज्ञापन और नियमों से है;

(ख) "सेवा नियम" का अर्थ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे के सेवा नियमों से है;

(ग) "निदेशक" का अर्थ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे के सेवा नियमों के खण्ड 10.1 (2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, के निदेशक से है।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :—निदेशकों के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : कोई व्यक्ति,

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

यदि केंद्र सरकार यह समझती है कि ऐसा विवाह सम्बंध व्यक्ति के वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुरोध है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो केन्द्र सरकार उस व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :—जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचत :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें :—निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों को जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	26,000/- रुपये (नियत)
4.	आर्हता	यह लागू नहीं है क्योंकि यह पद भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार है। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए
7.	शैक्षिक आर्हता और अनुभव	निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक विशिष्ट व्यक्ति हों जो अनुसंधान के लिए आगे आएं और उनके पास प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव हो, उनके पास प्रोफेसर की अर्हता हो।
8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी। इस तरह नियुक्त व्यक्ति एक कार्यकाल से अधिक पुनः नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10.	चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चयन के उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदनों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः :— (I) मानव संसाधन विकास मंत्री -अध्यक्ष- (II) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर -सदस्य- (III) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग -सदस्य- (IV) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव -सदस्य- खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

सं. 12-7/2006-टीएस-I—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की नियमावली के 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के सेवा नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की सेवा नियमावली के खण्ड 10(क)(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

बशर्ते केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :-जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार, लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. प्रतिबंध :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	25,000/- रुपये (नियत)
4.	वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।
7.	शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें लीडरशिप क्षमताओं के अलावा सामान्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी के और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, प्रबंध शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के संबंध में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री सहित पीएच.डी.) और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। (ख) अभ्यर्थी के पास एक प्रोफेसर को शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। (ग) अभ्यावेदक को 60 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।
8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।

9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।
10.	चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः :--

(i)	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	--अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर	--सदस्य
(iii)	मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद्	--सदस्य
(iv)	ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	--संयोजक

खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. I2-7/2006-टीएस-I--पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के नियमावली के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के सेवा नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर की सेवा नियमावली के खण्ड 10(क)(2)के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

बशर्ते केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :-जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. **प्रतिबंध :**—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. **सेवा की अन्य शर्तें :**—निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1. पद का नाम	निदेशक
2. पदों की संख्या	एक
3. वेतनमान	25,000/- रुपये (नियत)
4. वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6. आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।
7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें आयोजन और लीडरशिप क्षमताओं के अलावा सामान्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी के और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, डिजाईन और विनर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के संबंध में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री सहित पीएच.डी.) और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। (ख) अभ्यार्थी के पास एक प्रोफेसर की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। (ग) अभ्यावेदक को 60 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।
8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।
10. चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः :— (i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर —सदस्य (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद् —सदस्य (iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय —संयोजक खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के नियम के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जा सकता है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमों" का अर्थ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के संघ ज्ञापन और नियमों से है;

(ख) "सेवा नियम" का अर्थ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के सेवा नियमों से है;

(ग) "निदेशक" का अर्थ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, की सेवा नियमों के खण्ड 10(क)(2)के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान के निदेशक से है।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशकों के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : कोई व्यक्ति,

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

यदि केंद्र सरकार यह समझती है कि ऐसा विवाह सम्बंध व्यक्ति के वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुरोध है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो केन्द्र सरकार उस व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :-जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचत :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों को जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं, के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	25,000/- रुपये (नियत)
4.	अर्हता	यह लागू नहीं है क्योंकि यह पद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।
7.	शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें आयोजन और लीडरशिप क्षमताओं के अलावा सामान्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी के और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, डिजाईन और विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के संबंध में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में पीएच. डी. डिग्री और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए।) (ख) अभ्यावेदक की 60 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।

8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।
10.	चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चयन के उद्देश्य से बनाई गई खोज -सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अध्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: :-- (i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग --अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर --सदस्य (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद् --सदस्य (iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय --संयोजक खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए एक नई खोज-सह चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I--अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर की नियमावली के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के सेवा नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर की सेवा नियमावली के खण्ड 10(क)(2)के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

बशर्ते केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :-जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. **प्रतिबंध** :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. **सेवा की अन्य शर्तें** :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर
अपर सचिव

अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	25,000/- रुपये (नियत)
4.	वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों की आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।
7.	शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें लीडरशिप क्षमताओं के अलावा विशेष तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध शिक्षा में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री सहित पीएच.डी.) और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए।)
8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	(ख) अभ्यर्थी की 60 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। लागू नहीं।
9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।
10.	चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः :-- (i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग --अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर --सदस्य (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद् --सदस्य (iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय --संयोजक खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए एक नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2008

सं. एफ. 9-16/2007-यू-3-(ए)--जबकि केन्द्र सरकार की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि अंतरिक्ष विभाग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केरल राज्य के तिरूवन्तपुरम के नजदीक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तत्वावधान में उस समय स्थापित किए जा रहे 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान' को एक समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव हुआ है।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 2 जनवरी, 2008 के पत्र सं. एफ 27-1/2007 (सीपीपी-I) के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम को पांच वर्ष की अवधि के लिए 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है।

4. अतः अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम को नई श्रेणी के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पांच वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

(i) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की कार्य प्रणाली एवं निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने विशेषज्ञ समिति के माध्यम से वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाएगी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को दिए गए दर्जे की पांच वर्ष की अवधि के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निष्पादन रिपोर्ट एवं तदुपरांत आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी।

(ii) अंतरिक्ष विभाग भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के संगम ज्ञापन और नियमावली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/नियमावली के अनुसार उसी की तर्ज पर अंतिम रूप देगा। इस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त संगम ज्ञापन एवं नियमावली में पाई गई भिन्नताओं पर ध्यान देगा और आयोग की सहमति से प्रासंगिक प्रावधानों में सुधार एवं संशोधन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी नियमावली के खण्ड 20 के तहत प्रस्तावित प्रावधानों के विषय वस्तु को बरकरार रख सकता है।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा उन शर्तों के अधीन है जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 5 में है।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2008

संकल्प

सं. 33-1/06-सी डी एन--संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से विचारों और रुचियों के विविध रूपों के एक समेकित दृष्टिकोण से निर्णय लेने को एक सहभागी प्रक्रिया तैयार करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड गठित करने का संकल्प पारित किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. संस्कृति मंत्री — अध्यक्ष
   14-अकबर रोड,
   नई दिल्ली-11

2. डॉ. बी. एन. गोस्वामी — सदस्य
   171-सेक्टर,19-ए,
   चंडीगढ़-160019

3. श्री एस. के. मिश्रा
   अध्यक्ष, इनटैक
   71, लोदी इस्टेट,
   नई दिल्ली-3

4. सुश्री रूपिका चावला
   4,जयपुर एस्टेट
   ईस्ट निजामुद्दीन
   नई दिल्ली

5. सुश्री लीला सैमसन
   निदेशक
   कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान
   तिरूवनमियूर
   चैन्नै-600041
   (तमिलनाडु)

6. श्री गुलाम शेख
   "निहारिका" विश्वविद्यालय
   स्वास्थ्य केंद्र के पीछे,
   प्रताप गंज,
   वडोदरा-390002 (गुजरात)

7. सुश्री अजीत कौर
   संस्थापक अध्यक्ष,
   अकादमी फाइन आर्ट्स
   एंड लिट्रेचर,
   4/6 सीरी फोर्ट संस्थागत क्षेत्र,
   नई दिल्ली-49

8. श्री आलन नाम्बियार
   19/18, फर्स्ट क्रास फर्स्ट मेन रोड,
   जय महल एक्सटेंशन,
   बंगलौर-560046
   (कर्नाटक)

9. श्री श्याम बेनेगल
103, संगम पेड्डार रोड़,
मुंबई-400026
(महाराष्ट्र)

10. श्री रतन थेय्यम
अध्यक्ष
कोरस रिपर्टरी थिएटर,
उरीपोक हाओबाम दीवान साबे,
इम्फाल-795001
(मणिपुर)

11. श्री अमजद अली खाँ
3-साधना एनक्लेव,
नई दिल्ली-17

12. श्री गोपी चंद नारंग
डी-252, सर्वोदय एन्कलेव,
नई दिल्ली-17

13. श्री राजीव सेठी
अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठान,
न्यासी एशियाई विरासत प्रतिष्ठान
सी-52, साउथ एक्सटेंशन पार्ट II
नई दिल्ली-49

14. श्री गौती सेन
जी-18/1, निजामुद्दीन पश्चिम,
नई दिल्ली-13

15. श्री रोनेश रॉय
आर-176, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली-48

16. श्री अभिजित सेनगुप्त
सचिव, संस्कृति मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

II केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ विषय

(क) संस्कृति मंत्रालय को ऐसे कार्यक्रम विकसित करने के लिए नीति स्तर पर सलाह देना, जो भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मकता पर ध्यान देंगे, जिनकी या तो अब तक उपेक्षा की गई है अथवा मौजूदा संस्थागत क्रियाविधि के माध्यम से उन्हें बढ़ावा नहीं दिया गया है।

(ख) विभिन्न उप-क्षेत्रों में मानव भंडारों को अभिज्ञात करना तथा संचारण की सततता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों पर सलाह देना तथा सरकार को ऐसे कार्यक्रमों की सिफारिश करना, जो इन लंबी परंपराओं की सृजनात्मकता को विकास की प्रक्रियाओं के साथ समेकित करेंगे।

(ग) मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक निकाय के कार्यों को समन्वित करना ताकि ससक्तिशील नीति का बृहत् उपाय ढूँढा जा सके।

(घ) उस सीमा तथा तरीके की जांच करना, जिसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर संबंधित एजेंसियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

(ङ) संस्कृति के क्षेत्र में नए, आवश्यकता - आधारित कार्यक्रमों के निर्माण हेतु इनपुट प्रदान करने में सहायता करना।

(च) संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय मिशन के कार्य का मार्गदर्शन करना।

III कार्यकाल

यदि सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया गया हो, केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल, संकल्प जारी होने की तारीख से तीन वर्षों का होगा।

IV बैठक

बोर्ड की बैठक कम-से-कम तीन माह में एक बार अवश्य होगी।

V सचिवालय सहायता

सचिवालय सहायता संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

VI यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड में नामित बाहर के, गैर-सरकारी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 19020/1/84-ई. IV दिनांक 23.06.1986 के अनुसार निम्नानुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी :

(i) किसी राज्य अतिथि गृह अथवा मध्य स्तर के आई टी डी सी होटलों में एकल कमरों अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यटक होटलों/होस्टलों अथवा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा प्रदान किए गए आवासीय स्थान में किराए की प्रतिपूर्ति।

(ii) आवासीय प्रयोजन हेतु सिविल सेवियों के सर्वोच्च ग्रेड को यथा स्वीकार्य डी. ए. की सामान्य दरों के 90 प्रतिशत की दर से डी. ए.।

(iii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाहर के, गैर-सरकारी सदस्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यथा निर्णीत सिटिंग शुल्क के पात्र होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आदेश की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अग्रेषित की जाए।

(फाइल सं. 33-1/2006-सी डी एन)

आर. सी. मिश्रा
संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 08 जुलाई 2008

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए भारतीय टीम की तैयारी की योजना

सं. 70-83/2007-सीजी--

1. प्रस्तावना

1.1 किसी व्यक्ति के समग्र विकास में खेल और शारीरिक शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है | स्वास्थ्य के बारे में खेल तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लाभ को भी अब विस्तृत मान्यता प्राप्त हो रही है | देश के युवाओं के बीच एकता और भाइचारे की भावना को विकसित करने के लिए खेल से अच्छा कोई माध्यम नहीं है | युवा विकास, समुदायिक विकास, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पर खेलों के पड़ने वाले लाभकारी प्रभावों के अलावा यह भी तथ्य है कि खेलों का एक पहलू जो कि जनमानस के मन में बस चुका है, वह यह कि विश्व स्तर पर खेलों में सम्मान प्राप्त किया जाए | सॉफ्टवेयर, आईटी, संचार और उद्योग में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के बाद अब लोगों का ध्यान खेलों की तरफ जा रहा है | देश के लोगों की यह भावना है कि अब हमें खेल के क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करनी है और विश्व में अपनी एक जगह बनानी है | इस तथ्य को अब तेजी से मान्यता मिल रही है कि केवल खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां देश उच्च सम्मान तथा सर्वोच्चता हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं |

1.2 दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के साथ-साथ हमारे खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों को एक चुनौती भी प्रदान करेंगे कि वे इन खेलों में उच्च प्रदर्शन हासिल करें तथा लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सर्वश्रेष्ठ में से एक हों |

1.3 इस स्कीम का उद्देश्य है कि उपलब्ध खिलाड़ियों में से एक कोर ग्रुप बनाया जाए जिन्होंने अपनी विशिष्ट खेल विधा में उत्कृष्टता हासिल की हो | इस कोर ग्रुप के

प्रमुख खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेल 2010 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, प्रदर्शन के अवसर, वैज्ञानिक समर्थन आदि प्रदान किया जाएगा । इन खेलों में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए प्रमुख खिलाड़ियों की जरुरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । प्रशिक्षण के दौरान इन एथलीटों का प्रदर्शन, सुधार/प्रगति की भी निगरानी की जाएगी । विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की मजबूती व कमियों को ध्यान में रखते हुए उन खेल विधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिनमें पदक जीतने की अधिक संभावना है । स्कीम के अंतर्गत मंत्रलाय, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के बीच सहयोग और समन्वय होगा । उम्मीद है कि यह स्कीम रुपरेखा तैयार करेगी और हमारे खिलाड़ियों का राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में सराहनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी ।

2 राष्ट्रमंडल खेल, 2010

2.1 भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रस्तुत की गई दावेदारी पर राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ ने 19वें राष्ट्रमंडल, 2010 दिल्ली, भारत को आबंटित किए । 1930 में आरंभ होने के बाद से राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक चार वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, ये अब 3 अक्तूबर से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे । राष्ट्रमंडल युवा खेल जो कि मुख्य प्रतियोगिता की एक उप-प्रतियोगिता है 12-18 अक्तूबर,2008 को पुणे में आयोजित किए जाएंगे । 1982 के एशियाई खेलों के बाद से भारत पहली बार बड़े स्तर पर बहु-खेल विधा खेल प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है । एशिया में दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो रहे हैं इससे पहले

1998 में कोयम्बटूर में आयोजित हुए थे | ओलंपिक खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल दूसरे बड़े बहु-खेल विधा प्रतियोगिता है | इन खेलों में 71 देशों के 8000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे |

2.2 आरंभ में राष्ट्रमंडल खेलों में 15 खेल विधाओं का प्रस्ताव था लेकिन देश की पदक संभावनाओं को देखते हुए तीन अन्य विधाएं अर्थात कयु स्पोर्ट, तीरंदाजी तथा टेनिस को शामिल करने का प्रस्ताव है | राष्ट्रीय खेल परिसंघ ने केवल दो और खेल विधाओं अर्थात तीरंदाजी तथा टेनिस को मंजूरी दी है, अतः अब ये खेल निम्नलिखित 17 खेल विधाओं में आयोजित किए जाएंगे:

i. तीरंदाजी
ii. एथलेटिक्स
iii. जलक्रीडा
iv. बैडमिंटन
v. मुक्केबाजी
vi. साइक्लिंग
vii. जिम्नास्टिक
viii. हॉकी
ix. लॉन बॉल
x. नेट बॉल
xi. रग्बी 7
xii. निशानेबाजी
xiii. स्कवैश

xiv. टेबल टेनिस

xv. टेनिस

xvi. भारोत्तोलन

xvii. कुश्ती

उपर्युक्त खेल विधाओं के अतिरिक्त प्रमुख विकलांग खिलाड़ियों (ईएडी) के लिए चार विधाओं अर्थात (1) एथलेटिक (2) पावरलिफ्टिंग (3) टेबल टेनिस और (4) तैराकी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी | इस श्रेणी के पदकों को भी प्रतिभागी देश की समग्र पदक तालिका में शामिल किया जाता है | उपर्युक्त 17 खेल विधाओं में प्रत्येक का संक्षिप्त सार अनुबंध-1 पर दिया गया है |

2.3 राष्ट्रमंडल युवा खेल 12-18 अक्तूबर, 2008 तक पुणे में 9 विधाओं अर्थात एथलेटिक, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती में आयोजित की जाएंगी |

2.4 राष्ट्रमंडल खेल, 2010 एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा जो न केवल भारत की इतनी बड़ी प्रतियोगिता को आयोजित करने की क्षमता को दर्शाएगा बल्कि विश्व में भारत को एक खेलप्रिय देश के रुप में उभारेगा | घरेलू दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने से भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा तथा उन्हें प्रतियोगिता जीतने वाला प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित करेगा | नए खेल जैसे नेटबॉल, रग्बी 7 जिनके लिए हमारे खिलाड़ी नए हैं से भी घरेलू दर्शक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे हालांकि यह हो सकता है कि उनमें हमें पदक न मिले | यह कहने की जरुरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देशों का प्रदर्शन उनके राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाता है इसलिए देश में होने वाली इस बोर्ड स्तर की प्रतियोगिता

की वजह से लोगों की एथलीटों से उम्मीद काफी बढ़ जाती है । इसलिए राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली, 2010 एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसके लिए हमारे खिलाड़ियों को पूर्ण रुप से तैयार रहना होगा ताकि वे उच्च स्तर का प्रदर्शन हासिल कर सकें ।

2.5 राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में विभिन्न विधाओं में ईएडी श्रेणी के अंतर्गत पदकों सहित कुल पदकों की संख्या 863 है (277 स्वर्ण, 277 रजत और 309 कांस्य) ।

2.6 हमारे प्रमुख खिलाड़ियों के वर्तमान प्रदर्शन तथा उसमें सुधार तथा मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल, 2002 और मेलबौर्न राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में जहां भारत ने क्रमश: 69 पदक (30 स्वर्ण, 22 रजत तथा 17 कांस्य) और 50 पदक (22 स्वर्ण, 17 रजत तथा 11 कांस्य) जीते थे, को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 96-127 पदकों का लक्ष्य रखा है । इससे भारत पदक तालिका में उपर के तीन देशों में जगह बना लेगा । ये अनुबंध-2 पर दिए गए हैं । पिछले तीन "राष्ट्रमंडल खेलों" में भारतीय टीम के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-3 पर दिया गया है ।

3. उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में पदक तालिका में बढ़ोत्तरी करना;
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रमुख खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ-साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अर्हता हासिल करने के लिए एक तंत्र तैयार करना ।

- प्रमुख खिलाड़ियों/पदक संभावितों सर्वोत्तम प्रशिक्षण और बेहतर प्रतियोगी अवसर प्रदान करना और
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के चयन के लिए एक तंत्र विकसित करना |

4 मंत्रालय की मौजूदा स्कीम/स्कीमें

4.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चल रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत खिलाड़ियों को देश तथा विदेश में प्रशिक्षण, कोचिंग शिविर आयोजित करने, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों/प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की प्रतिभागिता, अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |

4.2 आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों की प्रशिक्षण/कोचिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये स्कीमें तैयार की गई हैं | अधिकतर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले विदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि खिलाड़ी विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करके सीधे प्रतियोगिता में पहुंचे | ऐसे ही देश में कोचिंग के संदर्भ में किया जाता है जहां किसी विशिष्ट प्रतियोगिता से पहले कोचिंग शिविर लगाए जाते हैं और विशिष्ट प्रतियोगिताओं के लिए कोच भी अनुबंधित किए जाते हैं | सरकार प्रदानकर्ता की भूमिका अदा करती है तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघ के अनुरोध पर एथलीटों के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग/विश्व में प्रदर्शन के अवसर, उनके चयन के मानदंडों पर

खरा उतरने के बाद अपेक्षित निधि प्रदान करती है । दूसरे शब्दों में स्कीम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय खेल परिसंघों टीमों को कोचिंग, प्रशिक्षण (भारत तथा विदेश दोनों), भारतीय तथा विदेशी कोचों को अनुबंधित करना चाहते हैं वे सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

4.3 ये स्कीमें किसी एक विशिष्ट प्रमुख खिलाड़ियों के समूह के लिए नहीं बनी हैं इसलिए ये इन खिलाड़ियों की मध्यम/लम्बी अवधि की समग्र अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है । इसलिए इन स्कीमों की रुपरेखा के अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेल, 2010 जैसी प्रतियोगिता के लिए प्रमुख एथलीटों/पदक संभावितों की प्रशिक्षण तथा तैयारी पर ध्यान देना संभव नहीं है ।

5. कमियां जिन्हें दूर किया जाना है

(1) एथलीटों का प्रशिक्षण लगातार न होना । प्रशिक्षण/कोचिंग में लंबा अंतराल होने की वजह से प्रदर्शन का स्तर प्रारंभिक अवस्था पर पहुंच जाता है ।

(2) प्रशिक्षण/प्रतियोगिता कैलेंडर की योजना में कमी की वजह से नहीं कर पाते ।

(3) पोषण की कमी, जो कि सक्षम आहारविद और खेल चिकित्सक की निगरानी एथलीटों को दी जानी चाहिए ।

(4) खेल विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी जो कि निरंतर कोचों/मसाज करने वालों के साथ समन्वय कर सकते हैं ।

(5) एथलीटों की फिटनेस और प्रदर्शन के स्तर को जीतने वाले नवीनतम उपस्करों की कमी ।

(6) विदेशी कोच जो कि नवीनतम तथा भिन्न तकनीक का उपयोग कर सकते हैं को कम संख्या में तथा कम अवधि के लिए अनुबंधित करना ।

(7) भारतीय कोचों में कौशल और तकनीक की कमी है ।

(8) विश्व स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए एथलीटों को अपेक्षित विश्व स्तरीय उपस्करों की कमी ।

(9) एथलीटों के प्रशिक्षण समय का नुकसान क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के लिए देश के अंदर लंबी दूरी तक रेल/सड़क से यात्रा करनी पड़ती है ।

(10) प्रशिक्षण/कोचिंग/प्रतियोगिता के संदर्भ में विदेश में प्रदर्शन के सीमित अवसर।

(11) डोपिंग की समस्या जिसकी वजह से एथलीट अयोग्य करार दिए जाते हैं और उनके मनोबल पर प्रभाव पड़ता है ।

(12) भारतीय खेल प्राधिकरणों के केन्द्रों पर छात्रावास तथा प्रशिक्षण सुविधाओं आदि सहित अवसंरचना की कमी, जो कि सभी विधाओं के प्रमुख एथलीटों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है ।

(13) भा.खे.प्रा. केन्द्रों में अपर्याप्त तथा पुराने प्रशिक्षण उपस्कर तथा वैज्ञानिक सहायता प्रबंध की कमी ।

(14) एथलीटों पर प्रशिक्षण/कोचिंग का प्रभाव तथा क्या अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए निगरानी तंत्र की कमी ।

6. प्रस्तावित स्कीम

6.1 राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली, 2010 के पदक संभावितों के कोर ग्रुप के प्रमुख

एथलीटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह स्कीम विशेष रुप से बनायी गई है । प्रमुख विकलांग खिलाड़ियों (ईएडी) की प्रतियोगिताओं सहित राष्ट्रमंडल खेल 2010, 17 विधाओं में आयोजित किए जाएंगे । स्कीम के अंतर्गत जो खिलाड़ी वास्तव में प्रत्येक विधा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे उनकी संख्या से 3 से 4 गुणा खिलाड़ियों को इन खेलों के लिए समग्र तथा गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा । कोर ग्रुप के खिलाड़ियों सहित जो खिलाड़ी वास्तव में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भाग लेंगे, की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-4 पर दिया गया है । परिणाम, प्रदर्शन के अवसर, प्रतियोगिता आदि का कार्यक्रम एक वर्ष में 305 दिनों का होगा । प्रशिक्षण में घरेलू तथा विदेशी घटक होंगे । जहां भी जरुरत होगी विदेशी कोचों को भी अनुबंधित किया जाएगा । संभावितों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाएंगे जो कि उनके प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के अवसर के वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, शारीरिक प्रशिक्षक, भौतिक चिकित्सक, मसाजिया, खेल वैज्ञानिक विशेषज्ञ आदि सहित वैज्ञानिक खेल सुविधाएं वैज्ञानिक/चिकित्सक उपस्करों के रुप में प्राप्त की जाएंगी । विशेषज्ञों के माध्यम से उन खेलों के लिए जहां अच्छे प्रदर्शन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाएगी । पावर स्पोर्टस और उन खेलों के लिए जिनमें गहन शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है के लिए उपयुक्त आहार प्रदान किया जाएगा । भारत में इन एथलीटों के प्रशिक्षण/कोचिंग केन्द्रों में छात्रावास, प्रशिक्षण सुविधाओं, उपस्करों तथा

वैज्ञानिक प्रबंधों सहित वास्तविक अवसंरचना का उन्नयन किया जाएगा | स्कीम को भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा |

6.2 प्रत्येक खेल विधा में निरंतर तथा शारीरिक फिटनेस के संबंध में निगरानी मानदंडों पर आधारित एक निगरानी तंत्र गठित किया जाएगा | निगरानी तंत्र से कोर ग्रुप के प्रत्येक एथलीट को प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा | तथा उनके कोर ग्रुप में बने रहने या बदले जाने का निर्णय लिया जाएगा | इस तरीके से जो खिलाड़ी उच्चतम प्रदर्शन करेगा वहीं खेलों में देश में प्रतिनिधित्व करेगा |

6.3 खेलों से पहले प्रत्येक खेल विधा के लिए जांच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, इससे चयनित एथलीट प्रतियोगी पर्यावरण में नए सृजित प्रतियोगिता स्थलों का अहसास प्राप्त कर सकेंगे | इससे एथलीटों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में भी सहायता मिलेगी |

7. किए जाने वाले कार्य

1. राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की 17+1 (ईएडी) खेल विधाओं में से प्रत्येक के लिए, विशिष्ट एथलीटों के एक समूह का चयन किया जाएगा जो उस विशेष खेल विधा के लिए संभावितों के कोर समूह का निर्माण करेगा | इस कोर समूह की संख्या उन खिलाड़ियों की संख्या का 3 से 4 गुणा होगी जो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में उस विधा में देश का वास्तव में प्रतिनिधित्व करेंगे | प्रत्येक विधा में विशिष्ट खिलाड़ियों की संख्या (संभावित पदक विजेता) तथा कोचों और सहायक कार्मिकों की संख्या को दर्शाने वाली सूची अनुबंध-5 में दी गई है | इन संभावितों का चयन राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में उच्चतम प्रदर्शन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ किया जाएगा | चयन के मानदंड में वर्तमान प्रदर्शन स्तरों,

अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों, पदक जीतने के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य तथा यह जांचने के लिए क्या एथलीट 2010 के अंत तक प्रदर्शन के शीर्ष स्तर पर बने रहेंगे, आयु संबंधी मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा ।

2. इन एथलीटों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण अनुसूची तैयार की जाएगी जिसमें वर्ष के 305 दिन कवर करने के लिए प्रशिक्षण (भारत और विदेश में), उच्च स्तरीय प्रशिक्षण जहां भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं (भारत और विदेश में) शामिल होंगी । प्रशिक्षण जारी रखने को सुनिश्चित किया जाएगा ।

3. सर्वोत्तम उपलब्ध भारतीय कार्यों को तथा उच्च स्तरीय विदेशी कोचों को तैनात किया जाएगा जहां भी जरूरी होगा विदेशी प्रशिक्षकों की तैनाती जारी रखी जाएगी ।

4. संभावितों के इस कोर समूह के प्रशिक्षण के लिए पहचाने गए भा.खे.प्रा. केन्द्रों को आवास, प्रशिक्षण अवस्थापना और सुविधाएं, खेल विज्ञान बैकअप उपस्कर, प्रदर्शन मानीटरिंग उपस्करों आदि के संदर्भ में पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जाएगा । ऐसा विचार है कि ये केन्द्र टीयर 1 केन्द्रों में विकसित किए जाएंगे जिनके पास विश्व में श्रेष्ठ के मुकाबले की आधुनिक सुविधाएं होंगी ।

5. पहले से ही तैयार किए गए वार्षिक कैलेंडरों के आधार पर, विदेशी प्रशिक्षण/अवसर हेतु आरक्षण समय से संबंधित विदेशी संस्थाओं में किया जा सकता है । इसी प्रकार सबसे उच्च विदेशी कोचों को पहले से ही बुक/हायर किया जा सकता है जब उनके पात्र पारिश्रमिक और तैनाती की अवधि के संदर्भ में निश्चितता हो ।

6. जब भी जरुरत होगी, भारतीय कोचों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा ।

7. खेल विज्ञान में विशिष्टता प्राप्त सक्षम चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरापिस्ट, स्त्री/पुरुष मसाजी, खेल विश्लेषकों, योग अनुदेशकों खेल विधा पर निर्भर मनोवैज्ञानिकों को प्रत्येक खेल विधा के विशिष्ट एथलीटों के कोर समूह को उपलब्ध कराया जाएगा |

8. भोजन अनुपूरकों सहित आहार संबंधी जरुरतें अनुभवी पोषाहारविदों/खेल चिकित्सकों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी |

9. डोपिंग के भय को रोकने के लिए, इन एथलीटों के सैम्पल लिए जाएंगे और इन प्रशिक्षण केन्द्रों में नियमित आधार पर उनकी जांच की जाएगी | खिलाड़ियों, कोचों तथा सहायक स्टाफ के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि उन्हें नियमों और विनियमों से अवगत कराया जा सके और उन्हें डोपिंग, प्रतिबंधित पदार्थों आदि के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जा सके |

10. चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, फिजियोलॉजिस्टों तथा रिकवरी विशेषज्ञों की सहायता से पूर्णकालिक आधार पर प्रत्येक खेल विधा के लिए "संपूर्ण वैज्ञानिक बैकअप" प्रस्तुत करना प्रस्तावित है ताकि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए एथलीटों के कोर समूह के प्रदर्शन को कायम रखा जा सके/बढ़ाया जा सके |

11. चयनित एथलीटों के प्रदर्शन स्तर में प्रगति को मानीटर/मूल्यांकन करने के लिए एक वेब आधारित मानीटरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी | प्रत्येक खेल विधा के लिए मानीटरिंग पैरामीटरों का एक सैट विकसित किया जाएगा और इन पैरामीटरों के संदर्भ में प्रत्येक एथलीट की प्रगति नियमित आधार पर रिकार्ड की जाएगी | प्रणाली प्रशिक्षण केन्द्रों को केन्द्रीय मानीटरिंग प्रणाली के साथ जोड़ेगा | यह प्रणाली इन एथलीटों के स्तरों में सुधार का मूल्यांकन करने में सहायता करेगी ताकि समूह में उनके बने रहने अथवा समूह से उनको निकालने के बारे में उपयुक्त निर्णय लिया जा सके |

12. खेलों में जहां प्रीमियर टूर्नामेंटों के लिए योग्यता विश्व रैंकिंग पर निर्भर करती है (विभिन्न टूर्नामेंटों से अर्जित अंकों के आधार पर), चैलेंजर्स तथा अन्य टूर्नामेंट आयोजित किय जाएंगे ताकि भारतीय खिलाड़ी अपनी विश्व रैंकिंग को बढ़ा सकें | इससे उन्हें विश्व में उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के विरुद्ध खेलने का अवसर मिलेगा ताकि उनके प्रदर्शन का स्तर सुधर सके और वे राष्ट्रमंडल खेलों जैसी प्रतियोगिताओं में इन खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा कर सकें |

13. प्रत्येक खेल विधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की "टेस्ट प्रतियोगिताएं" राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008/ राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से पहले आयोजित की जाएंगी | इससे न केवल नवसृजित सुविधाओं की जांच होगी बल्कि इससे भारतीय खिलाड़ी अपने आप प्रतियोगिता संबंधी पर्यावरण में सुविधाओं के साथ अवगत हो सकेंगे |

14. खिलाड़ियों, कोचों, सहायक कार्मिकों तथा अधिकारियों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, खेलने के अवसर आयोजित किए जाएंगे | देशीय खेलों, डोप विरोधी आदि के लिए प्रचार अभियान आयोजित किए जाएंगे |

8 प्रमुख स्वामित्वधारियों की भूमिका- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भा.खे.प्रा., भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय डोप-विरोधी एजेंसी

8.1 प्रत्येक खेल विधा में विशिष्ट खिलाड़ियों (संभावित पदक विजेता) के चयन, तथा प्रशिक्षण/अवसर/प्रतियोगिताओं, सुविधाओं के उन्नयन, वैज्ञानिक समर्थन आदि से प्रारंभ होकर राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक, इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल संबंधित प्रत्येक एजेंसी की भूमिका और दायित्व निम्नलिखित होंगे:-

(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(i) रूपरेखा विकसित करेगा जिसके अंतर्गत योजना को तैयार किया जाएगा और विभिन्न स्वामित्वधारियों को भूमिकाएं सौंपी जाएंगी |

(ii) प्रशिक्षण तथा संबंधित अवसंरचना के सृजन/उन्नयन, कोर संभावितों के चयन, प्रशिक्षण, कोचिंग, अवसर, वैज्ञानिक बैकअप, टैस्ट प्रतियोगिताओं/ राष्ट्रीय *अंतराष्ट्रीय टूर्नामैंटों* आदि के *आयोजन* के लिए अन्य स्वामित्वधारियों जैसे भा.खे.प्रा., भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघों आदि को वित्तीय सहायता सहित सहायता प्रदान करेगा ।

(iii) भा.खे.प्रा., भारतीय ओलंपिक संघ तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों आदि के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करेगा ताकि उनके अनुपालन से यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के समग्र उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वे हैं, धनराशि जारी करते समय शर्तें भी निर्धारित करेगा ।

(iv) इन एथलीटों के नमूनों की नियमित जांच की प्रणाली स्थापित करेगा जिसका प्रयोजन डोपिंग तथा संबंधित अस्वस्थ परंपराओं के प्रयोग का अंत करना है ।

(v) विधिवत गठित "संचालन समिति" के जरिए एथलीटों, कोचों, सहायक कार्मिकों के कोर समूह के चयन को अंतिम रुप देगा ।

(vi) विधिवत "संचालन समिति" के जरिए संभावित कोर समूह के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रुप देगा ।

(vii) मानीटरिंग प्रणाली के जरिए संभावित खिलाड़ियों के चयनित कोर समूह की प्रगति तथा प्रदर्शन को मानीटर करेगा तथा "संचालन समिति" और "समीक्षा समिति" के जरिए प्रदर्शन स्तरों की समीक्षा करेगा ।

(viii) प्रत्यक्ष रुप से अथवा भा.खे.प्रा./भाओसं/राष्ट्रीय खेल परिसंघों आदि के जरिए एथलीटों/कोचों/सहायक कार्मिकों, आदि के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा ताकि उनके ज्ञान का स्तर, व्यावसायिक कौशल, आचार संहिता तथा डोप विरोधी नीति और कार्यक्रमों की जागरुकता को बढ़ाया जा सके ।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एलटीएफ, जैसी सहमति हुई थी, कार्यान्वित किए गए हैं, मंत्रालय निम्नलिखित मदों के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा:-

- जरुरत के अनुसार विदेशी मुद्रा के लिए ।
- जरुरत के अनुसार सभी खेल उपस्करों के आयात के लिए ।
- इन आयातों पर कस्टम शुल्क छूट के लिए ।
- प्रायोजन तथा मीडिया अभियान अर्थात दृश्य-श्रव्य तथा व्यावसायिक टीवी प्रायोजन का उत्पादन । उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण के लिए ।
- टूर्नामेंट अधिकारियों की तकनीकी योग्यता तथा टूर्नामेंट के मानकों का उन्नयन करना ताकि उन्हें मुख्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ड्यूटी करने के योग्य बनाया जा सका ।
- विदेशों में एथलीटों व प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ।
- भारत में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन तथा मेजबानी के लिए ।
- अवस्थापना, खेल संवर्धन तथा खेल प्रायोजन में निवेश के लिए ।

• संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य मदें ।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.)

(i) काफी पहले विशिष्ट एथलीटों के लिए प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के व्यापक वार्षिक कैलेंडर को तैयार करने में (राष्ट्रीय खेल परिसंघों) की सहायता करेगा ।

(ii) एथलीटों के कोर-समूह को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने केन्द्रों में छात्रावास सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, उपस्कर, वैज्ञानिक समर्थन आदि सहित सभी आवश्यक प्रबंध करेगा ।

(iii) संचालन समिति द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर चयनित कोचों (भारतीय/विदेशी) तथा सहायक कार्मिकों को तैनात करे ।

(iv) अनुभवी पोषाहारविदों/खेल औषधि के चिकित्सकों के पर्यवेक्षण में भोजन अनुपूरकों सहित संपूर्ण आहार प्रदान करेगा (खिलाड़ियों की जरुरत के अनुसार)

(v) कोचों (भारतीय और विदेशी), मसाजियों, खेल विज्ञान चिकित्सकों, अन्य सहायक कार्मिकों को वेतन वितरण करेगा तथा उनके रिकार्ड का उपयुक्त रखरखाव करेगा ।

(vi) इस योजना के अंतर्गत अपेक्षित खेल उपस्करों को खरीदेगा जिसमें खिलाड़ियों की किट, वैज्ञानिक उपस्कर, प्रशिक्षण सहायक उपकरण आदि शामिल हैं और उनके रिकार्ड का रखरखाव करेगा ।

(vii) एक प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जिसे –राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ" के नाम से जाना जाएगा जिसमें खेलों की 17+1 विधाओं के लिए एक कार्यक्रम अधिकारी तथा एक कार्यक्रम सहायक होगा | उन्हें अपने संबंधित खेल विधाओं की विशिष्ट जानकारी और विशेषज्ञता प्राप्त होगी और उन्हें संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा | प्रकोष्ठ कोर संभावितों के लिए पहचान, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता अनुसूची के बारे में तथा कोचों एवं सहायक कार्मिक के संदर्भ में सभी तकनीकी तथा अन्य निवेश, प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा | प्रकोष्ठ संभावितों के कोर समूह के कार्यक्रमों को तैयार करने में भी सहायता करेगा और उनकी प्रगति की निगरानी करेगा | यह अनिवार्य/क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं के अलावा टूर्नामेंटों में संभावितों के प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ अनुबंध में भी सहायता करेगा और एथलीटों, कोचों आदि के लिए आवश्यक प्रबंध भी करेगा |

(viii) विशिष्ट एथलीटों, कोचों, सहायक कार्मिकों, अधिकारियों आदि के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा |

(ix) सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा जिसमें उन खेल विधाओं के लिए खिलाड़ियों का चयन, उनका प्रशिक्षण/विदेशों में खेलने के अवसर, उपस्कर आदि भी शामिल होंगे जिनकी देश में कोई मान्यता प्राप्त परिसंघ नहीं है |

(ग) भारतीय ओलंपिक संघ

(i) चयन में सहायता करेगा और संचालन समिति में अपने प्रतिनिधि के जरिए प्रत्येक खेल विधा के लिए संभावित कोचों, सहायक कार्मिकों के कोर समूह की प्रगति को मानीटर करेगा ।

(ii) आवश्यक तकनीकी निदेश प्रदान करेगा और एथलीटों के प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर को तैयार करने में सहायता करेगा ।

(iii) संभावितों के कोर समूह के बहुविधात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेने जैसे ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल आदि, के लिए आवश्यक प्रबंध करेगा ।

(iv) संचालन समिति और समीक्षा समिति में अपने प्रतिनिधि के जरिए योजना के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करेगा ।

(घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ

(i) राष्ट्रीय टीमों के चयन के लिए तथा चयनित राष्ट्रीय टीमों के लिए अनिवार्य टूर्नामेंटों से पहले तैयारी/प्रशिक्षण शिविरों के प्रबंध तथा पर्यवेक्षण और उनके संबंधित खेल विधा के अंतरदेशीय टूर्नामेंटों में उनकी सहभागिता के लिए, जिनके लिए वे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ से मान्यता प्राप्त हैं, जिम्मेदार होंगे ।

(ii) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संभावितों के कोर समूह का पता लगाएंगे जिन्हें "संचालन समिति" के समक्ष अंतिम रुप देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) भा.खे.प्रा. के परामर्श से विशिष्ट एथलीटों के लिए प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता का वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे जिन्हें "संचालन समिति" के समक्ष अंतिम रुप देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iv) कोचों (भारतीय/विदेशी), डाक्टरों, फिजियोथैरापिस्टों, मनोवैज्ञानिकों, शरीर रचना विज्ञानियों, खेल विश्लेषकों स्त्री/पुरुष मसाजियों आदि सहित सहायक कार्मिकों का पता लगाएंगे जिन्हें विशिष्ट एथलीटों की कोचिंग आदि के लिए तैनात किया जाना है । इन्हें "संचालन समिति" के समक्ष अंतिम रुप देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(v) भा.खे.प्रा. परामर्श से कोर समूह के प्रशिक्षण/कोचिंग/प्रदर्शन के लिए भारत तथा विदेश में प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का पता लगाएंगे तथा प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए शर्तों आदि हेतु उनसे बातचीत करेंगे ।

(vi) एथलीटों के कोर समूह के प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपस्करों/किटों के आयात/खरीद हेतु भा.खे.प्रा. की सहायता करेंगे ।

(vii) भा.खे.प्रा. को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि वह एथलीटों के कोर समूह की प्रगति तथा प्रदर्शन को उनकी विधा के संदर्भ में मानीटर करने में सक्षम बन सके और उनके प्रदर्शन के आधार पर सूची में बने रहने तथा सूची से हटाने हेतु सुझाव दे सके ।

(viii) भारतीय खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग को सुधारने तथा उन्हें मुख्य टूर्नामेंटों का पात्र बनाने के लिए उन खेल विधाओं हेतु जहां प्रीमियर टूर्नामेंटों की योग्यता विश्व रैंकिंग पर निर्भर करती है (विभिन्न टूर्नामेंटों से अर्जित अंकों के आधार पर), "चैलेंजर्स ट्राफी" जैसे टूर्नामेंटों का आयोजन करेंगे ।

(ix) प्रत्येक खेल विधा में खिलाड़ियों के कोर समूह को बेहतर प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन करेंगे ।

(x) संभावितों के कोर समूह के प्रदर्शन को जांचने के लिए 2008-09/2009-10/2010-11 में उनकी संबंधित खेल विधा में टेस्ट प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे तथा कमियों का पता लगाएंगे ताकि उन्हें उपयुक्त रूप से दूर किया जा सके ।

(ङ) राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी (नाडा)

खिलाड़ियों पर नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण की समूची अवधि के दौरान तथा राष्ट्रमंडल खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी से पहले, जब भी जरुरत होगी, डोप परीक्षण आयोजित करेगी ।

9 वित्तीय सहायता

भारतीय खेल प्राधिकरण को:

9.1 जरुरतों को पूरा करने पर भारतीय खेल प्राधिकरण को, जैसा कि इस योजना/जीएफआर के प्रावधानों में समाहित है, निम्नलिखित के लिए:-

(क) छात्रावास, प्रशिक्षण सुविधाओं, वैज्ञानिक सहायता प्रणालियों, उपस्करों आदि सहित विद्यमान भा.खे.प्रा. केन्द्रों का उन्नयन/नवीकरण करना ताकि उन्हें

विश्व श्रेणी के एथलीटों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं में विकसित किया आ सके |

(ख) संचालन समिति की अनुमति से भा.खे.प्रा. द्वारा नियुक्त कोचों (भारतीय और विदेशी दोनों), सहायक कार्मिकों जैसे फिजियोथेरापिस्ट, मनोविज्ञानिकों, खेल विज्ञान चिकित्सकों, मसाजियों, खेल विश्लेषकों आदि के वेतन/फीस के भुगतान करना |

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तथा भारत और विदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न टूर्नामेंटों में सहभागिता के दौरान भोज्य अनुपूरक सहित संपूर्ण आहार (खिलाड़ियों की जरुरत के अनुसार) उपलब्ध कराना |

(घ) प्रकोष्ठ के कार्य के लिए, जिसे "राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ" के रुप में जाना जाएगा, जो मंत्रालय के " अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग" के लिए प्रशासनिक समर्थन प्रदान करेगा और योजना के लिए अन्य सहायता प्रदान करेगा |

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल/विज्ञान/चिकित्सा उपस्करों/किटों का आयात/खरीद करना तथा योजना की आवश्यकता के अनुसार देशीय उत्पादों का आयात/खरीद करना |

(च) आवश्यकतानुसार विशिष्ट खिलाड़ियों एवं सहायक कार्मिकों तथा अधिकारियों हेतु सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना |

(छ) विशिष्ट एथलीटों, कोचों आदि के लिए भारत में प्रशिक्षण और प्रतियोगिता अनुसूची, यात्रा व्यय, आकस्मिक व्यय आदि करना |

(ज) टीमों की तैयारी के संबंध में तथा राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए वेब आधारित मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना, डाटाबेस के विकास, समितियों की

मानीटरिंग, खेलों हेतु टीमों की तैयारी पर बैठकों के आयोजन, सेमिनारों, कार्यशालाओं, अभिविन्यास कार्यक्रमों, मीडिया तथा प्रचार अभियानों, भारत तथा विदेश में सहायक कार्मिकों का प्रशिक्षण/प्रदर्शन आदि की व्यवस्था करना ।

9.2 **राष्ट्रीय खेल परिसंघों** को:

(क) राष्ट्रीय टीमों में चयनित कोर संभावितों हेतु तैयारी शिविरों के आयोजन तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों/निकायों द्वारा आबंटित भारत तथा विदेश में अनिवार्य और अन्य मान्यताप्राप्त अंतरदेशीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए, जैसा कि 2007 से 2010 तक (राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 सहित) की अवधि के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है । इसमें प्रदेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, आवास/प्रतिदिन के प्रभार, प्रशिक्षण शुल्क, हवाई यात्रा, आकस्मिक व्यय आदि शामिल होगा ।

(ख) प्रशिक्षण तथा टूर्नामेंटों में सहभागिता के लिए कोर संभावितों को विदेश भेजना ।

(ग) विशिष्ट एथलीटों की सुविधाओं और प्रदर्शन की जांच करने के लिए उनकी संबंधित खेल विधाओं में 2008-2009/2009-2010/2010-11 में टैस्ट प्रतियोगिताएं आयोजित करना ।

(घ) भारतीय खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग को सुधारने के लिए उन खेल विधाओं हेतु जहां प्रीमियर टूर्नामेंटों की योग्यता विश्व रैंकिंग पर निर्भर करती है (विभिन्न

टूर्नामेंटों) से अर्जित अंकों के आधार पर), "चैलेंजर्स ट्राफी) जैसे विभिन्न टूर्नामेंटों का आयोजन करना |

प्रत्येक एनएसएफ इस आशय की वचनबद्धता देगी कि वह किसी भी लागत को खिलाड़ियों तथा उनके परिवार को नहीं देगी | निर्धारित पैटर्न पर सभी व्यय संबंधित एनएसएफ द्वारा उनके अपने संसाधनों में से वहन किए जाएंगे |

9.3 **राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी (नाडा)** को: जब भी जरुरत होगी, खिलाड़ियों का उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के प्रारंभ से पहले डोप परीक्षण करना, तथा

9.4 **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** को टीमों की तैयारी के संबंध में तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए वेब आधारित मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना, डाटाबेस के विकास, समितियों की मानीटरिंग, खेलों हेतु टीमों की तैयारी पर बैठकों का आयोजन, सेमिनारों, कार्यशालाओं, अभिविन्यास कार्यक्रमों, मीडिया तथा प्रचार अभियानों, भारत तथा विदेश में सहायक कार्मिकों के प्रशिक्षण/प्रदर्शन आदि जैसे संबंधित मामलों पर व्यय के लिए |

10. **दीर्घावधिक रुपरेखा** (एलटीएफ):

10.1 एलटीएफ को विशेष रुप से प्रत्येक खेल विधा में विशिष्ट एथलीटों के कोर समूह की जरुरतों को पूरा करने के लिए निरुपित किया गया है जो राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 के लिए संभावित पदक विजेता होंगे | योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि प्रत्येक विधा में जो खिलाड़ी जो खिलाड़ी देश का वास्तव में प्रतिनिधित्व करेंगे,

उनके 3 से 4 गुणा एथलीटों को इन खेलों के लिए व्यापक तथा गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा | प्रशिक्षण, अवसर, प्राप्ति प्रतियोगिता आदि की अनुसूची वर्ष में 305 दिनों की अवधि कवर करेगी | प्रशिक्षण में घरेलू तथा विदेशी घटक शामिल होंगे | जहां भी जरुरत होगी, विदेशी प्रशिक्षकों को लगाया जाएगा | संभावित पदक विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अवसर प्रदान किए जाएंगे जो प्रशिक्षण और अवसर की वार्षिक अनुसूची का हिस्सा होगा | वैज्ञानिक/चिकित्सा उपस्करों से संबंधित वैज्ञानिक समर्थन की सुविधाएं भारत में उनके प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई जाएंगी जिसके साथ सहायक कार्मिकों जैसे शारीरिक प्रशिक्षकों, फिजियोंथेरापिस्टों, मसाजियों, खेल विज्ञान विशेषज्ञों आदि की सेवाएं भी होंगी | जहां प्रदर्शन में सुधार के लिए उच्च स्तरीय एकाग्रता आवश्यक होगी, खेलों के लिए विशेषज्ञों के जरिए मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाएगा | पावर स्पोर्टस तथा वे खेल जिनमें अधिक शारीरिक अभ्यास की जरुरत होती है, उनके एथलीटों को उपयुक्त भोजन सहायता प्रदान की जाएगी | छात्रावासों, प्रशिक्षण सुविधाओं, उपस्कर तथा वैज्ञानिक बैक-अप प्रबंधों सहित भा.खे.प्रा. में शारीरिक अवसंरचना को उन्नत किया जाएगा ताकि भारत में प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए इन एथलीटों की जरुरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें | एलटीएफ की अवधि तीन वर्षों की होगी और यह प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर के साथ सतत योजना होगी तथा प्रदर्शन व अन्य कारकों के संदर्भ में संशोधन के लिए दोनों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी |

10.2 प्रत्येक खेल विधा के लिए प्रगामी सुधार तथा शारीरिक अनुकूलता के संदर्भ में मोनीटर योग्य पैरामीटरों के आधार पर एक मोनीटरिंग प्रणाली विकसित की

जाएगी । उसका प्रयोग एथलीट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तथा कोर समूह में उसको बने रहने तथा उसके प्रतिस्थापित करने के बारे में समीक्षा करने के लिए किया जाएगा । इस प्रकार मुख्य अनिवार्य प्रतियोगिता तक पहुंचने में सर्वोच्च प्रदर्शन स्तर वाले एथलीट खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे ।

10.3 एलटीएफ को भा.खे.प्रा. के परामर्श से एनएसएफ द्वारा तैयार किया जाएगा और एनएसएफ/ भा.खे.प्रा. द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । एसीटीसी वर्ष के लिए प्रतियोगिताओं के कैलेंडर और भा.खे.प्रा., एनएसएफ तथा अन्य स्वामित्वधारियों की संबंधित भूमिकाओं व दायित्वों को निर्दिष्ट करेगा । एलटीएफ तैयार करने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश अनुबंध-6 में दिए गए हैं । भा.खे.प्रा./एनएसएफ विस्तृत योजनाओं को तैयार करने तथा कार्यान्वयन का अनुपालन करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों, अथवा पेशेवरों की नियुक्ति की अवधि, जैसा भी मामला हो, योजना चक्र के अनुसार होनी चाहिए और वह संचालन समिति द्वारा अनुमोदित होगी ।

11. योजना के घटक

योजना के सहायता अनुदान के रुप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी जो योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी ऐसी शर्तों के अधीन होगी और जो सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली और सरकार द्वारा समय-समय पर जो ऐसे निर्णयों/अनुदेशों जो लागू हों, को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाएगी:-

क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक विशिष्ट एथलीटों के चयनित समूह के लिए वर्ष में 305 दिनों तक भारत तथा विदेश में व्यापक प्रशिक्षण तथा कोचिंग

कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा स्पर्धाओं में अवसर तथा सहभागिता, इस शर्त के अधीन अनिवार्य और अन्य प्रतियोगिताओं के जरिए विदेशों में खेलने के अवसर तथा विदेशों में प्रशिक्षण/कोचिंग की अधिकतम अवधि विशिष्ट खिलाड़ियों के कोर समूह हेतु सामान्यतः प्रति वर्ष 75 दिनों से ज्यादा नहीं होगी ।

ख) विशिष्ट एथलीटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भा.खे.प्रा. केन्द्रों स्थित अवसंरचना का विकास/उन्नयन/नवीकरण जैसा कि संचालन समिति द्वारा अनुमोदित है ।

ग) नवीनतम आधुनिक सुविधाओं से भा.खे.प्रा. केन्द्रों को सुसज्जित करने के लिए खेल/विज्ञान/चिकित्सा उपस्करों की खरीद जैसा कि संचालन समिति द्वारा अनुमोदित है ।

घ) वैज्ञानिक बैकअप तथा सहायक कार्मिकों आदि सहित राष्ट्रीय/विदेशी कोचों की नियुक्ति जैसा कि संचालन समिति द्वारा अनुमोदित है; और

ङ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शामिल प्रत्येक खेल विधा के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन ।

11.1 प्रतिष्ठित एथलीटों का विदेश में गहन प्रशिक्षण और कोचिंग कार्यक्रम

11.1.1 उद्देश्य

इस घटक का मुख्य लक्ष्य शीर्ष खिलाड़ियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण, कोचिंग, प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना और 2008-2010 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनको सहभागिता प्रदान करना है जिससे राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक

सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन स्तर प्राप्त किया जा सके ताकि पदक तालिका में अधिक पदक प्राप्त किय जा सकें ।

11.1.2 पात्रता

(1) चूंकि यह योजना विशेष रुप से राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में एथलीटों के प्रदर्शन में वृद्धि तथा पदकों की संख्या में वृद्धि पर लक्षित है अतः योजना के इस घटक के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण, आईएओ तथा उन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी खेल विधाएं राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शामिल की गई हैं । वे खेल विधाएं जिन्हें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शामिल नहीं किया गया है उन्हें इस मंत्रालय की नियमित योजनाओं के अंतर्गत उसी प्रकार सहायता के लिए कवर किया जाता रहेगा जिस प्रकार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की खेल विधाओं के उन खिलाड़ियों को कवर किया जाएगा जिन्हें एथलीटों के कोर समूह में शामिल नहीं किया गया है ।

आईएओ तथा इन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को:

क) आधारभूत मानदंडों को बनाये रखना चाहिए, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरुप कार्य करना चाहिए;

ख) खेल में निष्पक्षता तथा चयन में निष्पक्ष समान तथा पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए;

ग) उपयुक्त, लोकतांत्रिक और स्वस्थ प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना चाहिए जिससे सभी स्तरों पर और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता हो;

घ) सभी स्तरों पर समुचित लेखा प्रक्रिया हो तथा जब कभी कहा जाए मंत्रालय को वार्षिक वित्तीय विवरण दे दिया जाए;

ङ) वर्ष के समाप्त होने के छः महीने के अंदर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

11.1.3 सहायता का पैटर्न

वित्तीय अवसर (संचालन समिति द्वारा अनुमोदित एसीटीसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और सहभागिता के लिए)

(क) यात्रा व्ययः (i) भारत में निवास स्थान से पहुंचने के स्थान तक वायुयान से जहां तक संभव हो, इकानामी क्लास में जाने-आने के दौरा किराया सहित आकस्मिक (वास्तविक के अनुसार), जैसे एयरपोर्ट टैक्स, वीजा फीस, यात्रा और विदेश में ठहरने के दौरान चिकित्सा बीमा, अनिवार्य प्रकृति के अन्य टैक्स/फीस ।

(ii) सामान्यतः विदेश में स्थानीय परिवहन विदेशी प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । । ऐसी सुविधा की अनुपलब्धता की स्थिति में ही, सरकार सभी सरकारी दौरों के लिए एयरपोर्ट से रुकने के स्थान तक तथा प्रतियोगिता स्थल से रुकने के स्थान तक टैक्सी/स्थानीय सार्वजनिक परिवहन के वास्तविक व्यय का भुगतान करेगी;

(iii) समय की हानि रोकने के लिए, कोर समूह के एथलीटों, कोचों तथा सहायक कार्मिकों को प्रतियोगिता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) के लिए उनके गृह नगर (के निकटतम एयरपोर्ट) से प्रतियोगिता/प्रशिक्षण स्थल

तक, जहां तक संभव हो, इकनामी क्लास के हवाई यात्रा किराया के लिए दौरा किराया ।

(iv) सरकार अनुमोदित सार्वजनिक/निजी ट्रैवल एजेंटों से माइलेज प्वाइंट के लाभ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कूपन, तय रूटों/तारीखों पर दौरा किराया विभिन्न एयरलाइंस द्वारा रियायती किराया, सीजनल छूट आदि प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ न्यूनतम दर के लिए बातचीत करेगी । यह मंत्रालय और भा.खे.प्रा. की यात्रा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा । केवल उन ट्रैवल एजेंटों को वार्षिक आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ दरों पर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे ।

(ख) भोजन और आवास: उन मामलों में जिनमें आयोजक सभी प्रबंध करते हैं तथा शुल्क निमंत्रण पत्र/प्रोस्पेक्टस में दर्शाया जाता है, के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार । अन्य मामलों में वास्तविक व्यय के अनुसार दो-व्यक्तियों के रहने का शुल्क (नाश्ते सहित) बशर्ते प्रति दिन प्रति व्यक्ति 60 डालर से अधिक न हो । यदि नाश्ता शामिल नहीं है तो 15 डालर नाश्ते के लिए भी दिए जाएंगे । प्रति दिन 40 डालर तथा 20 डालर का दैनिक भत्ता नाश्ते और रात्रिभोजन के लिए दिया जाएगा । आवास व्यय का भुगतान एकमुश्त 55 डालर (नाश्ता सहित) अथवा 40 डालर (बिना नाश्ता) की दैनिक भत्ते की दर से किया जाएगा ।

(ग) अतिरिक्त सामान शुल्क: मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अनुसार, किसी आकस्मिकता की स्थिति में, सरकार अतिरिक्त सामान शुल्क का भुगतान, प्रति व्यक्ति ले जाने वाले खेल उपकरण आदि के अनुसार, समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, वास्तविक व्यय के अनुसार करेगी ।

(घ) **आकस्मिक व्यय:** जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के दौरान तथा विदेश में प्रशिक्षण/कोचिंग प्राप्त करने के लिए भी आयोजकों द्वारा पूरा भोजन/आवास खर्च कवर किया जाता है, वहां आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन महँगाई भत्ते का 25% | संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ उपर्युक्त (क) से (ग) तक की मदों अथवा टीम अथवा इसके किसी सदस्य अथवा कोच/सहायक कार्मिकों आदि की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान करने के लिए अपेक्षित कोई भी अन्य अतिरिक्त राशि का भुगतान करेंगे | राष्ट्रीय खेल परिसंघ भी इस लागत को खिलाड़ियों (संभावित पदक विजेताओं) अथवा उनके परिवारों पर न डालने का वचन देगी |

(ङ.) **परिवहन की लागत तथा उपकरण को किराये पर लेना:** उपकरण/अवसंरचना के परिवहन और किराये पर लेने की लागत, वास्तविक खर्च के अनुसार, स्थानीय रुप से दी जानी चाहिए | उदाहरणार्थ निशानेबाजी आदि के मामले में गोला-बारुद आदि, स्थानीय नियमों के अनुसार;

उपकरण किराये पर लेने अथवा मुहैया कराने तथा स्थल पर अभ्यास के लिए उपभोज्य अथवा अन्य अनिवार्य भुगतान जो आमंत्रण पत्र के अनुसार आयोजक अपेक्षित होगा, का भुगतान भी वास्तविक के अनुसार किया जाएगा |

11.2 प्रतिष्ठित एथलीटों का भारत में गहन प्रशिक्षण और कोचिंग शिविर/कार्यक्रम:

1) भा.खे.प्रा. के विभिन्न केन्द्रों में कोचिंग शिविर आयोजित करने के लिए तथा 2) भारत में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में शीर्ष खिलाड़ियों की सहभागिता के लिए:-

(क) यात्रा लागत: दौरा लागत, जहां तक संभव हो, वायुयान की इकानमी क्लास में सबसे छोटे मार्ग से जाना-आना;

(ख) परिचालन लागत: भा.खे.प्रा. भोजन के लिए खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रावास में तथा कोचों और अन्य सहायक कार्मिकों के लिए भा.खे.प्रा. अतिथि गृह में आवास के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 250/-रु0 प्राप्त करेगा । भा.खे.प्रा. औसत के आधार पर एक वास्तविक दर, जिससे आवास संबंधी वास्तविक व्यय तथा उपभोज्य और गैर-उपभोज्य के लिए परिचालनात्मक लागत जिसमें उपकरणों का रखरखाव, उपयोग संबंधी लागत शामिल है, तय करेगा तथा इसे प्रत्येक वर्ष संचालन समिति से अनुमोदित करवायेगा । भा.खे.प्रा. राष्ट्रीय टीमों, तैयारी शिविरों के आयोजन आदि के लिए अन्य संगठनों जैसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों के समान दरें ही वसूल करेगा । यदि राष्ट्रीय परिसंघ कहीं और ऐसे शिविर आयोजित करेंगे तो भी सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों का वित्त पोषण करेगी ।

(ग) खेल किट: भारत में प्रशिक्षण/कोचिंग शिविरों में उपस्थित होने और सहभागिता के लिए सभी खिलाड़ियों और उनके कोचों को प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 10,000/-रु0 तक वास्तविक व्यय दिया जाएगा ।

(घ) चिकित्सा बीमा: सरकार चयनित शीर्ष संभावित खिलाड़ियों, कोचों, तकनीकी और सहायक कार्मिकों के चिकित्सा बीमा के लिए भा.खे.प्रा. को प्रीमियम का भुगतान भी करेगी ।

11.3 कोचिंग फीस/कोचों का वेतन:

11.3.1 भा.खे.प्रा. के कोच:

(i) मुख्य कोच के लिए 50,000/-रु0 प्रति माह तक जिसे संचालन समिति के मूल्यांकन के आधार पर योजना के दूसरे वर्ष से 10% प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है |

(ii) सहायक कोच के लिए 30,000/-रु0 प्रति माह जिसे संचालन समिति के मूल्यांकन के आधार पर योजना के दूसरे वर्ष से 10% प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है |

(iii) शीर्ष खिलाड़ियों के लिए कोच/सहायक कोच की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि अथवा 2010 में राष्ट्रमंडल/एशियाई खेल सम्पन्न होने तक की जानी चाहिए | तथापि, शर्तों में कोचों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या, प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुशलता की प्रकृति और मापक स्तर जैसे मुख्य संभावितों के प्रदर्शन का स्तर, व्यक्तिगत एवं टीम में, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए प्रत्येक तिमाही में प्राप्त किया जाने वाला मुख्य लक्ष्य, विशेषज्ञों द्वारा निगरानी और समीक्षा, प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन और गैर-प्रोत्साहन, जैसा भी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए |

11.3.2 राष्ट्रीय खेल परिसंघों के राष्ट्रीय कोच:

i) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शामिल खेल विधाओं से संबंधित प्रत्येक राष्ट्रीय खेल परिसंघ एक राष्ट्रीय कोच नियुक्त करने के लिए पात्र होगा | राष्ट्रीय कोच की निम्नलिखित योग्यताएं होंगी:-

क. एनएसएआइएस से अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी संस्थान/विश्वविद्यालय से डिप्लोमा/डिग्री अथवा वह ओलंपिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी हो तथा पेशेवर कोच के रुप में पूर्णकालिक कार्यरत हो |

ख. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं वाली राष्ट्रीय टीमों की कोचिंग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो |

ii) राष्ट्रीय कोच का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष संबंधित एनएसएफ का अध्यक्ष होता है | इस समिति में कार्यकारी अध्यक्ष (टीम्स) भा.खे.प्रा., दो वरिष्ठ/पूर्व/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच तथा एक पूर्व-अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो एनएसएफ द्वारा तैयार पैनल में से, एनएसएफ द्वारा इसके सदस्य के रुप में (प्राधिमानत: पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता अथवा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हो) नामित किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय कोच के नाम पर सावधानीपूर्वक विचार करने तथा तत्पश्चात संचालन समिति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय कोच की नियुक्ति की जाएगी |

iii) राष्ट्रीय कोच की नियुक्ति अवधि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 समाप्त होने तक रहेगी ।

iv) एनएसएफ द्वारा प्रत्येक छः माह पर राष्ट्रीय कोचों/सहायक कोचों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में उनके प्रदर्शन पर आधारित होगा तथा संबंधित एनएसएफ द्वारा वह मूल्यांकन रिपोर्ट संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी । संचालन समिति द्वारा इस मूल्यांकन को स्वीकार करने की शर्त पर ही केन्द्रीय अनुदान जारी रखा जाएगा ।

v) सरकार राष्ट्रीय कोचों के वेतन का भुगतान करेगी, जो कोचिंग की विश्वसनीयता, आंशिक अथवा पूर्णकालिक उपलब्धता तथा उस व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होगा । इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए प्रतिमास होगी । वे कोच, जो खेलों के क्षेत्र में नियमित रुप से रोजगाररत अथवा स्वरोजगाररत हैं, उनके लिए रोजगार का विवरण, उसकी प्रकृति तथा क्षतिपूर्ति पैकेज, यदि कोई हो, का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा तथा राष्ट्रीय कोच के रुप में उसकी नियुक्ति की सिफारिश करते समय चयन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके हितों में कोई विरोधाभास न हो । एनएसएफ द्वारा उस खेल के लिए चयनित राष्ट्रीय कोच-खिलाड़ियों/टीम के समग्र प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होगा ।

vi) आपवादिक परिस्थितियों में संचालन समिति के अनुमोदन के अनुसार, सरकार एक सहायक कोच के वेतन का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है जिसका वेतन अधिकतम 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा, जो खेल विधा की आवश्यकता तथा चयनित व्यक्ति की भूमिका और उसके योगदान पर निर्भर करेगा । सहायक कोच की उपयुक्त योग्यता होगी तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तर की टीमों को कोचिंग का समुचित अनुभव होगा तथा उसे राष्ट्रीय कोच के चयन के लिए गठित समिति की

सिफारिशों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा । सहायक कोच की नियुक्ति की प्रक्रिया उसी प्रकार की होगी जैसे कि राष्ट्रीय कोच के संबंध में ऊपर दर्शाई गई है।

vii) सामान्यतः टीम के कोच, खेल विज्ञान विशेषज्ञों आदि को एकबार चुने जाने के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के समाप्त होने तक न तो बदला जाएगा न ही उसमें संशोधन किया जाएगा ।

11.3.3 विदेशी कोच/तकनीकी परामर्शदाता

(i) विदेशी कोच अथवा तकनीकी परामर्शदाता भारतीय कोचों/तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण/कोचिंग भी प्रदान करेंगे अथवा उनमें क्षमता निर्माण करेंगे । चूंकि कोचों/तकनीकी विशेषज्ञों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण उस समय दिया जा सकता है, जब प्रमुख शीर्ष खिलाड़ियों/टीमों के वास्तविक प्रशिक्षण/कोचिंग का कार्य भी चल रहा हो । अतः भा.खे.प्रा. उन्हें उनके दीर्घावधिक फ्रेमवर्क (एलटीएफ) के रूप में लगा सकती है तथापि भा.खे.प्रा. द्वारा एक वर्ष में छः महीने की अवधि के लिए विदेशी कोचों/विशेषज्ञों को नियुक्त करेगी जो संचालन समिति द्वारा अनुमोदित रोजगार की शर्तों, जो बातचीत के आधार पर तथा कोच के प्रदर्शन के आधार पर अनुमोदित की जाएगी, एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है । तथापि इन शर्तों में विदेशी कोच/विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले कोचों/विशेषज्ञों की न्यूनतम संख्या, प्रशिक्षणार्थी कोच/विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त की गई कुशलता की पद्धति तथा उसका मापक स्तर (जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बेंच मार्क परीक्षा

पास करना), प्रमुख संभावितों के प्रदर्शन का स्तर, व्यक्तिगत और टीम के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आवधिक लक्ष्य, विशेषज्ञों द्वारा निगरानी और समीक्षा, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और गैर-प्रोत्साहन जैसा भी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, शामिल होंगे ।

(ii) राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी कोचों/विशेषज्ञों को नियुक्त करने के इच्छुक राष्ट्रीय खेल परिसंघ के मामले में भी ऐसी नियुक्तियों पर भी उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी तथा संचालन समिति का अनुमोदन जिसमें उनकी नियुक्ति की शर्तें शामिल होंगी, लागू होंगी । ऐसी नियुक्तियां अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए होंगी जिन्हें संचालन समिति द्वारा अनुमोदित बातचीत के आधार पर तय की गई शर्तों के आधार पर तथा उस कोच के प्रदर्शन के आधार पर तथा सरकार द्वारा, 5000 अमरीकी डालर प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक भुगतान के अधीन, एकबार में छः माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा । तथापि आपवादिक परिस्थितियों में "संचालन समिति" "समीक्षा समिति" को 5000 अमरीकी डालर से अधिक भुगतान करने की सिफारिश कर सकती है और केवल सरकार के अनुमोदन पर ही विदेशी कोच को प्रतिमाह 5000 अमरीकी डालर से अधिक के वेतन का भुगतान किया जा सकता है ।

(iii) संचालन समिति द्वारा संबंधित खेल विधाओं में विदेशी कोचों/विशेषज्ञों का चयन उनके पूर्व के अनुभव, योग्यताओं आदि के आधार पर किया जाएगा ।

11.4 भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन :

i) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारत में ओपन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए भोजन और आवास, परिवहन, खेल मैदानों का वास्तविक किराया, उपभोज्य उपकरण जिनमें प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार राशि शामिल है, की लागत प्रदान करके सहायता की जाएगी | पुरस्कार राशि निम्नानुसार होगी :

1.	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप	:	1.00 करोड़ रु0
2.	राष्ट्रमंडल खेल/एशियाई चैम्पियनशिप	:	0.50 करोड रु0

उपर्युक्त वित्तीय सहायता उस प्रतियोगिता में न्यूनतम छः देशों के भाग लेने पर ही दी जाएगी |

ii) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित ब्यौरों सहित अनुरोध उस चैम्पियनशिप की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व संचालन समिति के समक्ष करना होगा |

11.5 सहायक कार्मिकों की फीस/वेतन :

i) राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ के उन सहायक कार्मिकों और अधिकारियों, जिन्हें कांट्रेक्ट आधार पर नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार लिया जाएगा, के समेकित वेतन अथवा

प्रोफेशनल फीस के संबंध में, उन्हें भुगतान करने के लिए भा.खे.प्रा. को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ।

क्र0 सं0	सहायक कार्मिक	वेतन/फीस	
		पूर्णकालिक (रु0/प्रतिमाह)	अंशकालिक* (रु0/प्रति विजिट)
1	डॉक्टर (खेल औषधि)	50,000/-	1500/-
2	फिजियोथेरेपिस्ट	40,000/-	1200/-
3	फिजियोलाजिस्ट	40,000/-	1200/-
4	मनोवैज्ञानिक	40,000/-	1200/-
5	बायोमेकेनिस्ट	40,000/-	1200/-
6	बायोकेमिस्ट	40,000/-	1200/-
7	खेल विश्लेषक	30,000/-	1000/-
8	न्यूट्रीशनिस्ट/डाइटिशियन	30,000/-	1000/-
9	मसाजर्स (मालिशकर्ता)	20,000/-	600/-
10	सुरक्षाकर्मी (ईएडी)	10,000/-	300/-
11	कार्यक्रम अधिकारी (राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ)	30,000/-	---
12	कार्यक्रम सहायक (राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ)	15,000/-	---

*एक सप्ताह में सामान्यतः तीन विजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

ii) भा.खे.प्रा. को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा जाएगा कि ऐसे सहायक कार्मिकों की सेवाओं को भा.खे.प्रा. के एक केन्द्र में सभी खेल विधाओं के लिए उपयोग किया जाए जिससे उनकी पेशेवर सेवाओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके |

11.6 भा.खे.प्रा. तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)

भा.खे.प्रा. तथा संबंधित एनएसएफ के बीच एक बाध्यकारी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे जिसमें दोनों एजेंसियों की भूमिका, जैसे कि एलटीएफ तथा एसीटीसी में सहमति हुई थी, के अनुसार स्पष्ट रुप से वर्णित होगी तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए प्रदर्शन के विशिष्ट लक्ष्य वर्णित होंगे | इन प्रतिबद्धताओं अथवा लक्ष्यों को पूरा न करने पर लगने वाले दंड का उल्लेख भी एमओयू में होगा | समझौते के मसौदे को भा.खे.प्रा. द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहमति से अंतिम रुप दिया जाएगा तथा इसे संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा | कार्यान्वयन के दौरान फीडबैक/अनुभव के आधार पर संचालन समिति समझौता-ज्ञापन के किसी प्रावधान को जोड़ने/हटाने पर विचार कर सकती है |

11.7 खेल उपकरण

इस योजना के अंतर्गत भा.खे.प्रा. को उपभोज्य और गैर-उपभोज्य दोनों प्रकार के अपेक्षित उपकरणों के लिए, वास्तविक आधार पर निर्धारित प्रपत्र में उनसे प्राप्त

प्रस्ताव, जिसके साथ खरीदे जाने वाले उपकरणों की एक सूची, पूर्ण औचित्य सहित हो, सहायता प्रदान की जाएगी | संचालन समिति प्रत्येक भा.खे.प्रा. केन्द्र के लिए ऐसे उपकरणों को मुहैया कराने के लिए अनुमति देगी, तथा इनके लिए वित्तीय सहायता की सीमा निर्धारित करेगी | खरीदे जाने वाले खेल उपकरणों को केवल प्रतिष्ठित विदेशी निर्माताओं से आयात करना चाहिए अथवा भारत में उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से खरीदना चाहिए तथा ये संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा तय मानकों के अनुरुप होने चाहिए | घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जाने वाले उपकरण, उन आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जाने चाहिए जो डी जी एस एंड डी अथवा भा.खे.प्रा. की कांट्रेक्ट दरों पर हों | प्रोप्राइटरी तथा वरीयता वाले उपकरणों के लिए भा.खे.प्रा. तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की मुहैया संबंधी समितियां गठित करेगा, जो उनके टेंडर/दरों की जांच उनकी तर्कसंगतता और मूल्यों को मुहैया कराने अथवा किराये पर लेने के सभी मामलों में भा.खे.प्रा. निर्धारित प्रक्रिया और वित्तीय मानदंडों का पालन करेगा |

11.8 अवसंरचना

11.8.1 लक्ष्य

इस घटक का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में अधिकतम पदक जीतने के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों (संभावित पदक विजेताओं) के कोर समूह को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर

में भा.खे.प्रा. (भारतीय खेल प्राधिकरण) के प्रशिक्षण केन्द्रों/कोचिंग शिविरों में खेल अवसंरचना के सृजन/स्तरोन्नयन को सुविधानजक बनाना है |

11.8.2 पात्रता

अनुदान भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) को दिया जाएगा | भा.खे.प्रा. को एक परियोजना प्रणाली अपनानी होगी ताकि काम को समय पर पूरा करना तथा *सृजित सुविधाओं/अवसंरचना के समुचित उपयोग व देखरेख सुनिश्चित* की जा सकी |

11.8.3 आवेदन प्रस्तुत करना

viii) सभी आवेदन भा.खे.प्रा. द्वारा सभी अपेक्षित विवरण सहित मंत्रालय को प्रस्तुत करने चाहिए |

ix) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदनों की संवीक्षा करेगा तथा उन्हें मंत्रालय को अग्रेषित करने से पूर्व उनकी आवश्यकता व औचित्य के विषय में स्वयं को संतुष्ट करेगा | अधूरे और अपात्र मामले मंत्रालय न भेजे जाएं |

11.8.4 पूर्णता प्रमाण पत्र

काम पूरा हो जाने के बाद, संबंधित इंजीनियर का पूर्णता प्रमाण पत्र कुल किए गए व्यय के लेखा विवरण सहित भिजवाना चाहिए | कुल संस्वीकृत अनुदान की

25 प्रतिशत राशि की अंतिम किश्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही जारी की जाएगी |

11.9 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में सहायक कार्मिकों की सहभागिता के लिए खेल/वैज्ञानिक/चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद और सहायता | कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण माड्यूल्स, प्रचार अभियानों आदि में भाग लेना |

11.9.1 लक्ष्य

खेल विज्ञान एक तकनीक है जिसमें खेल प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक सिद्धांतों व प्रणालियों के अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है | खेल विज्ञान बुनियादी रुप से प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को एकत्रित करने के लिए सहायता प्रणाली उपलब्ध कराता है तथा व्यायाम, फिजियोलॉजी, एन्थ्रोपोमेट्री बायो-मैकेनिक्स खेल पोषाहार, खेल बायो कैमिस्ट्री तथा खेल मनोविज्ञान के द्वारा सैद्धांतिक संकल्पनाएं लागू करता है | खेल विज्ञान निम्नलिखित विभिन्न तरीको से उपयोगी है:-

i) बहु-खेल विधा के लिए कारगर तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विश्लेषण, तैयार करने और प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में हस्तक्षेप करने की तकनीक के निर्धारण की भी आवश्यकता है |

ii) खिलाड़ियों/एथलीटों के खेल प्रदर्शन पर निगरानी रखना तथा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर उन्हें सुझाव देना;

iii) विशेष खेल विधा के लिए उचित प्रतिभा का पता लगाना;

iv) विशेष खेल विधा की जरुरतों का मूल्यांकन करना;

11.9.2 सहायता पद्धति:

I) सहायक कार्मिक

i) विशिष्ट प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए

पूर्णकालिक आधार पर विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भा.खे.प्रा. द्वारा तैनात कोचों, खेल विशेषज्ञों/सहायक कार्मिकों/संबंधित अधिकारियों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी बशर्ते कि ऐसे प्रशिक्षण के लिए देश में सुविधाएं उपलबध न हो | यह सहायता किसी व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दी जाएगी | इस प्रकार की विशिष्ट प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए प्रत्येक वर्ष चार से अधिक व्यक्तियों को नहीं भेजा जाएगा | विदेशी प्रशिक्षण के लिए सहायता की पद्धति निर्धारित किए गए मानकों के अनुरुप होगी |

ii) सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अभिमुखीकरण कार्यक्रमों तथा प्रचार अभियानों इत्यादि का आयोजन/भाग लेना:

कोचों/विशेषज्ञों/सहायक कार्मिक/अधिकारियों को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने से संबंधित विषयों के आधार पर तथा सेमिनारों/सम्मेलनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इत्यादि प्राप्त करने के लिए देशी खेलों को लोकप्रिय बनाने जैसे संगत विषयों पर प्रचार अभियानों में भी उनके भाग लेने के लिए सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं इत्यादि में भाग लेने/आयोजन के लिए प्रवधान किया जाएगा | इस घटक के तहत ऐसी गतिविधियों में भाग लेने/आयोजन के लिए निम्नलिखित मानकों के आधार पर भारत सरकार/भा.खे.प्रा. के अधिकारियों तथ अन्य कर्मचारियों तथा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को सहायता दी जाएगी:

(क) निवास स्थल से शिविर/सम्मेलन स्थल तक, दोनों ओर का, इकानमी क्लास का वायुमार्ग से जाने-आने का, जहां संभव हो, निष्क्रमण किराया;

(ख) आकस्मिकता सहित आवास और भोजन के लिए सहायता का पैमाना (वास्तविक आधार पर) विदेशी प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए सामान्य मानकों के अनुसार होगा |

(ग) वास्तविक आधार पर शिविर आयोजित करने के लिए विशेषज्ञ को दिए जाने वाले शुल्क;

(घ) वास्तविक आधार पर सेमिनार/कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करने के लिए सहायता | इस उद्देश्य के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण में उपलब्ध सुविधाएं दी जाएंगी 1

(ङ) प्रचार से संबंधित सामग्री तैयार करना |

iii) सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा विदेशों में प्रचार अभियानों इत्यादि में भाग लेना

सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं इत्यादि में भाग लेने के लिए कोचों/विशेषज्ञों/सहायक कार्मिकों/अधिकारियों को सहायता दी जाए बशर्ते कि "अनुवीक्षण समिति" कोचों/सहायक कार्मिकों के वर्तमान कार्य से इन सेमिनारों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं की उपादेयता व संगतता के प्रति आश्वस्त हो |

सहायता पर राष्ट्रीय टीमों के विदेशों में भाग लेने के लिए पैमाने के आधार पर विचार किया जा सकता है |

2) वैज्ञानिक सहायता

आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय सहायता सुविधाओं के लिए भा.खे.प्रा. में अपेक्षित उपकरणों व उपस्करों की खरीद के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

11.10 केन्द्रीय अनुदान जारी करना

11.10.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा एक या अधिक किश्तों में जिनका निर्णय समय-समय पर सरकार करेगी, वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से सहायता अनुदान के रूप में भा.खे.प्रा. को सारी निधियां सीधे ही दी जाएंगी । राष्ट्रीय खेल परिसंघों के मामले में, भा.खे.प्रा. से अलग टूर्नामेंटों और राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन जैसी कुछ गतिविधियों के लिए संबंधित परिसंघ को अनुदान सीधे ही दिया जाए । अन्य मामलों में, विदेशी प्रशिक्षण/खेलने के लिए दौरे हेतु अथवा सरकार से अनुदान प्राप्त करने में राष्ट्रीय खेल परिसंघ के अपात्र होने की स्थिति में, खिलाड़ियों को सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रैवल एजेंटों अथवा भा.खे.प्रा. के माध्यम से अथवा सीधे ही अनुदान दिए जा सकते हैं ।

11.10.2 प्रथम दृष्टया खेल उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय अनुदान ग्राही को प्रथम किश्त के रूप में संस्वीकृत कुल अनुदान के 75% से अधिक नहीं दिया जाएगा । अनुदानग्राही से सभी संदर्भों में निर्धारित पूर्ण प्रोफार्मा के अनुसार प्री स्टेम्प्ड रिसीट प्राप्त होने पर ही वास्तविक राशि दी जाएगी । शेष संस्वीकृत राशि

अनुदानग्राही संगठन से उपभोग प्रामण पत्र व व्यय विवरण के प्राप्त होने तथा संस्वीकृति प्राधिकारी के इस बात से आश्वस्त हो जाने के बाद ही कि अनुदानग्राही ने संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम व शर्तों के अनुसार वास्तविक व्यय किया है, जारी की जाएगी |

11.10.3 अन्य मामलों में द्वितीय तथा अनुवर्ती किश्तें कोर संभावितों, कोचों/विशेषज्ञों के कार्य निष्पादन, अवसंरचना तथा उपकरणों की प्रगति तथा उनके समुचित देखरेख और संचालन की संपूर्ण संवीक्षा के बाद ही जारी की जाएंगी | इसके अलावा, अनुदानग्राही को सहायता की पिछली किश्त के संबंध में निर्धारित फारमेट में परीक्षित लेखे, उपभोग प्रमाण पत्र तथा संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की सामान्य शर्त माननी होगी | उपभोग प्रमाण पत्र में इसका भी उल्लेख होना चाहिए कि क्या विशिष्ट, परिमाणित तथा गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं अथवा नहीं जिनके प्रमाण-पत्र पर सक्षम प्राधिकारी के प्रति-हस्ताक्षर होने चाहिए जिसका रैंक उप सचिव से कम न हो तथा इसमें कुल व्यय दिखाया जाना चाहिए | अन्य एजेंसियों तथा प्रयोजकों के निवेश यदि हो, भी दर्शाए जाने चाहिए | प्रगति रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पूरे/आंशिक रुप से पूरे/अधूरे किए गए कार्य की मदें, तथा सभी अधूरे कार्य की मदों को पूरा करने पर संभावित व्यय को दिखाना चाहिए |

11.11 केन्द्रीय अनुदान जारी करने की शर्तें

11.11.1सरकारी संगठन, जिसे केन्द्रीय अनुदान की संस्वीकृति प्रदान की जाती है/प्रदान की जानी है, को निम्नलिखित पैरा में "अनुदानग्राही संगठन" तथा पदाधिकारी

जिसे अनुदान जारी किया जाता है/किया जाना है, को "अनुदानग्राही" कहा गया है ।

11.11.2 अनुदानग्राही को जारी किए गए अनुदान में से खरीदे गए खेल उपकरणों के लेखे उचित रुप से तथा अलग से रखे जाएंगे तथा जब कभी आवश्यकता होगी तब प्रस्तुत किए जाएंगे । उन्हें जांच के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपने विवेक के आधार पर लेखा परीक्षा के लिए भी खोला जाएगा ।

11.11.3 अनुदानग्राही सरकारी अनुदान में से पूर्णत: अथवा अंशत: प्राप्त सभी परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखेगा तथा निर्धारित प्रोफामा में ऐसी परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर रखेगा । भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, जिन उद्देश्यों के लिए अनुदान दिया गया है उन्हें छोड़ कर ऐसी परिसंपत्तियां बेची नहीं जा सकेंगी, उन पर ऋण नहीं लिया जा सकेगा अथवा उपयोग किया जाएगा। किसी भी समय एजेंसी के बंद होने की स्थिति में ऐसी परिसंपत्तियां भारत सरकार को वापस हो जाएंगी ।

11.11.4 जब भी भारत सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि संस्वीकृत अनुदान अनुमोदित उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है तो अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है तथा पूर्व में जारी किए गए अनुदान की वसूली की जा सकती है ।

11.11.5 किसी विशेष वर्ष में, वित्त वर्ष के अंत में, संस्वीकृत/जारी किए गए कुल अनुदान में से अप्रयुक्त धनराशि सरकार को वापस करनी होगी अथवा आगामी वर्ष में धनराशि के उपभोग के लिए अनुदानग्राही द्वारा धनराशि को आगामी वित्त वर्ष में लाए जाने के लिए अनुमति लेनी होगी अन्यथा दाण्डिक ब्याज, जो लागू हो,

सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुदानग्राही से वसूल किया जाएगा ।

11.11.6 अनुदानग्राही संगठन तथा अनुदानग्राही संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम व शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे तथा यह विवाद होने पर कि संस्वीकृति में उल्लिखित नियम व शर्तों से विचलन अथवा उल्लंघन किया गया है, सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुदानग्राही उसे मानने के लिए बाध्य होगा ।

11.11.7 अनुदानग्राही संगठन (राष्ट्रीय खेल परिसंघ/गैर-सरकारी संगठन के मामले में) को अनुदान जारी होने से पहले इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक बॉड प्रस्तुत करना होगा । अनुदानग्राही को जारी किए गए अनुदान में से खरीदे गए खेल उपकरणों के लेखे उचित रूप से तथा अलग से रखे जाएंगे तथा जब कभी आवश्यकता होगी तब प्रस्तुत किए जाएंगे । उन्हें जांच के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपने विवेक के आधार पर लेखा परीक्षा के लिए भी खोला जाएगा ।

11.11.8 प्रथम दृष्टया खेल उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय अनुदान ग्राही को प्रथम किश्त के रूप में संस्वीकृत कुल अनुदान के 75% से अधिक नहीं दिया जाएगा । अनुदानग्राही से सभी संदर्भों में निर्धारित पूर्ण प्रोफामा के अनुसार प्री स्टेम्प्ड रिसीट प्राप्त होने पर ही वास्तविक राशि दी जाएगी । शेष संस्वीकृत राशि अनुदानग्राही संगठन से उपभोग प्रामण पत्र व व्यय विवरण के प्राप्त होने तथा संस्वीकृति प्राधिकारी के इस बात से आश्वस्त हो जाने के बाद ही कि अनुदानग्राही

ने संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम व शर्तों के अनुसार वास्तविक व्यय किया है, जारी की जाएगी |

11.11.9 अनुदानग्राही संगठन को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को समय-समय पर निर्धारित अथवा अपेक्षित कार्य –निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें *प्रशिक्षण मोड्यूल/कार्यशाला/सेमिनार इत्यादि* के पूरे हो जाने के तीन माह के अन्दर वास्तविक तथा वित्तीय दोनों उपलब्धियां दर्शाई गई हो |

11.11.10 किसी विशेष वर्ष में, वित्त वर्ष के अंत में, संस्वीकृत/जारी किए गए कुल अनुदान में से अप्रयुक्त धनराशि सरकार को वापस करनी होगी अथवा आगामी वर्ष में धनराशि के उपभोग के लिए अनुदानग्राही द्वारा धनराशि को आगामी वित्त वर्ष में लाए जाने के लिए अनुमति लेनी होगी अन्यथा दाण्डिक ब्याज, जो लागू हो, सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुदानग्राही से वसूल किया जाएगा |

11.11.11 टीम के साथ जाने वाले प्रबंधक और कोच राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग/प्रशिक्षण के लिए टूर्नामेंट के समाप्त होते ही भा.खे.प्रा. तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को "कार्य –निष्पादन" रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे | इस रिपोर्ट के आधार पर अनुदान की परवर्ती किश्त जारी की जाएगी |

11.11.12 *खिलाड़ी के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अलावा*, कोच तथा मैनेजर स्पर्धा की पूरी अवधि के दौरान खिलाड़ी के आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे और यह रिपोर्ट का एक भाग होगा |

11.11.13 मैनेजर के दौरे व्यय केवल महिला टीमों के लिए स्वीकार्य होगा बशर्ते कि प्रस्तावित व्यक्ति ने कम से कम पिछले एक वर्ष से नियमित आधार पर संघ के मैनेजर के पद पर कार्य किया हो |

12. स्कीम का प्रचालन

12.1 योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रमंडल खेलों के प्रत्येक खेल-विधा के लिए संभावितों के कोर समूह के चयन से प्रारंभ हो जाएगा | संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ भा.खे.प्रा. के परामर्श से स्कीम तथा प्रत्येक खिलाड़ी की प्रोफाइल में दर्शाए गए मानदंडों (अनुबंध-7 में) के आधार पर संभावितों के कोर समूह को सुनिश्चित करेगा और इस सुनिश्चितीकरण के आधार पर स्कीम के तहत अनुमोदन के लिए इन्हें संचालन समिति को प्रस्तुत करेगा | संचालन समिति की संरचना और कार्य अनुबंध-8 पर दर्शाये गए हैं | ऐसी ही प्रक्रिया प्रत्येक खेल विधा के लिए कोचों (भारतीय व विदेशी दोनों) तथा अन्य सहायक कार्मिकों के लिए सुनिश्चित व चयन के लिए अपनायी जाएगी |

12.2 इन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचिंग, खेल के अवसरों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनके भाग लेने के संपूर्ण ब्यौरे सहित वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रशिक्षण व स्पर्धाओं (एसीटीसी) का वार्षिक कार्यक्रम स्कीम के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष के चक्र के आधार पर पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर से पहले प्रस्तुत किया जाएगा | इस समय-सारणी में वर्ष के 305 दिन तक की अवधि होगी जिसमें से विदेशी प्रशिक्षण/प्रतिस्पर्धा सामान्यतः वर्ष में 75 दिनों से अधिक नहीं होगी | भा.खे.प्रा. से पर्याप्त परामर्श के पश्चात प्रत्येक खेल विधा के लिए राष्ट्रीय परिसंघों से अब तक प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम संचालन समिति के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा |

12.3 वर्ष की प्रथम तिमाही में संचालन समिति अपनी बैठक में एक वर्ष के चक्र के आधार पर (वित्तीय वर्ष) स्कीम के प्रावधानों के तहत कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान करेगी | समिति वार्षिक प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एसीटीसी) को अनुमोदन प्रदान करेगी और एसीटीसी में शामिल प्रत्येक गतिविधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को विनिर्दिष्ट करेगी | हालांकि फारमेट (जो अनुबंध-9 में है) पर अलग-अलग प्रस्ताव प्रदान होने पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भा.खे.प्रा. इत्यादि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी | इन प्रस्तावों पर मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग में वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए एथलीटों के कोर समूह तथा चयनित कोचों व सहायक कार्मिकों के अनुमोदित कार्यक्रम और अनुमोदित सूची के आधार पर विचार किया जाएगा |

12.4 भा.खे.प्रा./भाओसं तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रस्ताव मंत्रालय में (अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग) में विचारार्थ प्रस्तावित प्रशिक्षण माडयूल्स/स्पर्धा/ इवेन्टमेंट/स्पर्धा कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत करने हैं |

12.5 भारतीय खेल प्राधिकरण के मामले में अवसंरचना के सृजन/स्तरोन्नयन, उपकरणों की खरीद के लिए तथा कोचिंग शिविर इत्यादि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप आवेदन पर विचार करने के बाद दी जाएगी |

13 स्कीम की निगरानी

प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के कोर समूह की तैयारी व प्रगति, कोचों (भारतीय व विदेशी) और सहायक कार्मिकों के प्रदर्शन पर संचालन समिति द्वारा की जाएगी | संचालन समिति प्रत्येक माह में एक बार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की प्रत्येक खेल विधा के तहत की गई

प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए और जब कभी जरुरत हो सुधारात्मक उपायों के लिए संवीक्षा समिति को सिफारिश देने के लिए बैठक आयोजित करेगी | भा.खे.प्रा. का राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से निगरानी मापदंडों के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का रिकार्ड तैयार करेगा | समिति व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात संवीक्षा समिति के सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिश कर सकती है जिसमें खराब प्रदर्शन वाले एथलीटों और कोचों इत्यादि को कोर समूह से हटाना तथा नये एथलीटों व कोचों को शामिल करना हो सकता है | संवीक्षा समिति की संरचना व कार्य अनुबंध-10 में है |

14 लेखा परीक्षा तंत्र

स्कीम के वर्तमान प्रावधानों और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अलावा, मंत्रालय को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जहां सरकारी निधियों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं अथवा दुरुपयोग हो, विशेष लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा |

15 रियायत खंड

चूंकि स्कीम को विशेष रुप से पदक तालिका में वृद्धि करने तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में खेल प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है अतः स्कीम के तहत सभी संबंधित एजेंसियों अर्थात भा.खे.प्रा. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की नियमित स्कीमों के तहत बिना उनको श्रेणियों में बांटे व हकदारी के सहायता दी जा सकती है |

अनुबंध 1

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शामिल की गई प्रत्येक खेल-विधा पर संक्षिप्त विवरण

1. तीरंदाजी :- यह खेल राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में पहली बार शुरू किया गया है और इसकी दो उप श्रेणियों अर्थात कम्पाउन्ड और रिकर्व होंगे । दावेदारी 24 पदकों की (8 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य) (कम्पाउंड और रिकर्व में प्रत्येक 12) होगी । प्रति देश प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 16 तक सीमित होगी और कोई देश अधिकतम 12 पदक तक जीत सकता है । भारतीय तीरंदाज हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे है और महिला टीम (रिकर्व) ने भी बीजिंग ओलंपिक खेल, 2008 के लिए क्वालीफाई कर लिया है । भारत राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 4 पदक जीत सकता है बशर्ते तीरंदाजों को गहन रूप से और समुचित विदेशी प्रदर्शन और वैज्ञानिक सहायता के साथ नियमित आधार पर प्रशिक्षित किया गया हो । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 32 पुरुष और 32 महिलाओं का चयन किया जाएगा और राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों पर अगले तीन वर्षों से अधिक के लिए 2 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 14 प्रशिक्षकों की देख रेख में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

2. जलक्रीड़ा :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान इन खेल में दावेदारी के 162 पदक होंगे । कोई देश सभी प्रतियोगिताओं में प्रवेश ले सकता है । तथापि, कोई देश अधिकतम 150 पदक जीत सकता है । भारतीय तैराकों का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में बिल्कुल निराशाजनक रहा है और केवल दो तैराक मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में पिछले 8 तक पहुंच सके थे । इस प्रकार, प्रशंसनीय प्रदर्शन के लिए इस विधा के लिए व्यापक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है और दिल्ली में आगामी राष्ट्रमंडल खेल के दौरान कुछ पदक जीते जा सकते हैं । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 4 पदकों का संतुलित लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 60 पुरुष और 45 महिला तैराकों की पहचान की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों पर भारत और विदेश में 2 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 14 प्रशिक्षकों की देख रेख में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

3. एथलेटिक्स :- चूंकि सभी देश इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं अतः इन विधाओं में प्रतिस्पर्धा स्तर अत्यधिक ऊँचा है । भारतीय एथलीट ने मानचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल, 2002 और मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में प्रत्येक में केवल 2 रजत पदक जीत सके थे । हमारे एथलीटों में बेहतर प्रदर्शन की क्षमता है बशर्ते उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित कठोर प्रशिक्षण समय सारणी और अपेक्षित विदेशी प्रशिक्षण उपलब्ध हो । दावेदारी के लिए पदकों की संख्या 46 होगी । प्रति देश

प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 102 तक प्रतिबंधित है । कोई देश अधिकतम 90 तक पदक जीत सकता है । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 10 पदकों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है ।इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों के अधीन व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के परामर्श से तैयार किया गया है । मेजबान देश होने के नाते, भारतीय एथलीट सभी 102 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं । 10 पदकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 100 पुरूष और 100 महिला एथलीटों के राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों/अन्य केन्द्रों पर निरंतर आधार पर 10 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 48 प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन केन्द्रों पर राष्ट्रीय कोचिंग कैम्पों के लिए अपेक्षित सुविधाएं होंगी । पर्याप्त विदेशी प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाग होगा, जिस पर विचार किया गया है ।

4. बैडमिन्टन :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में दावेदारी के 18 पदक होंगे और प्रति देश प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 10 तक प्रतिबंधित होगी । किसी देश द्वारा पदक जीत सकने की संख्या 11 होगी । भारतीय खिलाडियों ने राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में 2 कांस्य पदक जीते थे । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 4 पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 पुरूष और 20 महिलाओं को निरंतर आधार पर 2 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 10 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा जिन्हें पूरे खेल वैज्ञानिक बैकअप और सहायक कार्मिकों द्वारा विधिवत सहायता दी जाएगी ।

5. मुक्केबाजी :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान इस खेल विधा में दावेदारी के लिए कुल 44 पदक (11 स्वर्ण, 11 रजत और 22 कांस्य) हैं । प्रति देश प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 11 तक सीमित है और कोई देश अधिकतम 11 पदक जीत सकेंगे । भारत ने मोलबोर्न राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में 5 पदक (1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य) जीते थे और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 8 पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया है । यह सम्पर्क खेल है (ज्यादा चोट लगने की संभावना है) । अत: प्रत्येक प्रवेश के लिए 4 मुक्केबाजों अर्थात अधिकतम 11 प्रविष्टियों के विरूद्ध कुल 44 मुक्केबाजों को प्रशिक्षण के लिए चिन्हित किया गया है । इन 44 मुक्केबाजों को एक विदेशी प्रशिक्षक सहित 7 कोचों की निगरानी में राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों में व्यापक आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन केन्द्रों पर आवश्यक और अपेक्षित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ।

6. साइकिलिंग :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान दावेदारी के लिए 54 पदक होंगे और कोई देश अधिकतम 34 पदक जीत सकता है । यद्यपि भारत ने अभी तक राष्ट्रमंडल खेल, के दौरान साइकिलिंग में कोई पदक कभी नहीं जीता है, फिर भी

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान 2 पदक का वास्तविक लक्ष्य रखा गया है । इसे प्राप्त करने के लिए 75 पुरूष और 42 महिलाओं का चयन किया जाएगा और खेलों तक 8 भारतीय और 2 विदेशी प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रशिक्षित किया जाएगा । राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

7. जिमनास्टिक :- एथलेटिक्स और तैराकी के बाद, इस विधा में दावेदारी के लिए तीसरी बड़ी संख्या अर्थात 60 होगी । कोई देश अधिकतम 40 पदक जीत सकता है और प्रति देश प्रविष्टियां 15 तक सीमित हैं । भारत ने अभी तक राष्ट्रमंडल खेल के दौरान कोई पदक नहीं जीता है और राष्ट्रमंडल खेल, 2006 के दौरान 5 वीं स्थिति पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है । भारत के पास (कलात्मक) आर्टिस्टिक और लयात्मक (रिदमिक) जिमनास्ट में अच्छे प्रदर्शन के सुअवसर हैं और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 3 5 पदक का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 60 संभाव्य खिलाड़ियों की (24 पुरूष एवं 36 महिला) पहचान की गई है और उन्हें राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों में 2 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 10 प्रशिक्षकों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

8. हाकी (पुरूष और महिला) :- पुरूष और महिला हाकी में प्रत्येक में एक पदक की दावेदारी होगी और भारत ने पुरूषों के साथ साथ महिलाओं की हाकी में एक पदक का लक्ष्य रखा है । भारतीय महिला हाकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेल, 2006 के दौरान रजत पदक जीता था । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा विभिन्न भाखेप्रा केन्द्रों/अन्य पहचान किये केन्द्रों पर 2 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 14 प्रशिक्षकों द्वारा पुरूष और महिला टीम प्रत्येक के लिए 48 संभाव्य खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा । खिलाड़ियों को प्रशिक्षण/प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त विदेशी प्रदर्शन प्रदान किया जाएगा ।

9. लान बाउल्स :- दावेदारी के लिए 18 पदक होंगे और प्रति देश प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 10 होगी । कोई देश अधिकतम 12 पदक तक पदक जीत सकते हैं । आवश्यक ध्यान देकर तथा जरूरी सुविधाएं प्रदान करके 2 पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया है । हम यह लक्ष्य अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह खेल उभर रहा है और आस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकांश भाग लेने वाले देश नये हैं । 2 पदकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 पुरूष और 15 महिलाओं की पहचान की गई है और 1 विदेशी प्रशिक्षक सहित 5 प्रशिक्षकों की निगरानी में इन्हें और प्रशिक्षित किया जाएगा ।

10. नेटबाल (महिला) :- दावेदारी 3 पदकों के लिए होगी और 12 खिलाड़ियों की एक टीम हो सकती है । यद्यपि यह देश के लिए नया खेल है, मेजबान देश होने के

नाते प्रशंसनीय सम्मानीय प्रदर्शन दर्शाने/पदक जीतने के लिए बेहतर प्रयास किये जायेंगे । इस प्रयोजन के लिए 36 खिलाड़ियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें एक विदेशी प्रशिक्षक सहित 5 प्रशिक्षकों द्वारा निरंतर आधार पर भाखेप्रा केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

11. रग्बी 7 एस :- दावेदारी 3 पदकों की होगी और 12 खिलाड़ियों की एक टीम खेल मैदान में हो सकती है । देश के लिए यह नया खेल है और मेजबान देश होने के नाते प्रशंसनीय/सम्मानीय प्रदर्शन दर्शाने/पदक जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ और संगठित प्रयास किये जाने चाहिए । इस प्रयोजन के लिए 36 खिलाड़ियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें एक विदेशी प्रशिक्षक सहित 5 प्रशिक्षकों द्वारा निरंतर आधार पर भाखेप्रा केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

12. निशानेबाजी :- दावेदारी के लिए पदक 120 होंगे और प्रति देश प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 40 होगी । कोई देश अधिकतम 60 पदक जीत सकता है । भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में 27 पदक (16 स्वर्ण, 7 रजत, और 4 कांस्य) जीते थे । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 35 पदक जीतने की संभावना है बशर्ते हमारे निशानेबाजों को भारत और विदेश में बेहतर प्रशिक्षण और अपेक्षित सहायता दी जाए । इस खेल विधा का राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान भारत की पदक तालिका में व्यापक योगदान हो सकता है । यह उल्लेख करना अच्छा होगा कि हमारे 8 निशानेबाजों ने बीजिंग ओलंपिक खेल, 2008 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है और कुछ अधिक लोगों के क्वालीफाई करने की आशा है । 35 पदकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 4 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 19 प्रशिक्षकों की निगरानी में 100 पुरूषों और 50 महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विचार किया गया है । इन निशानेबाजों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपेक्षित गोला-बारूद, खेल वैज्ञानिक बैक-अप और अन्य संसाधन द्वारा उपयुक्त रूप से सहायता दी जाएगी । प्रशिक्षण भाखेप्रा रेंजों पर दिया जाएगा ।

13. स्क्वैश :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान दावेदारी के लिए 15 पदक होंगे (5 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य,) होंगे । प्रति देश प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या 10 तक नियत है और कोई देश अधिकतम 10 पदक जीत सकता है । यद्यपि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल के दौरान इस खेल में कोई पदक नहीं जीता है लेकिन जूनियर विश्व स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, आशा की जाती है कि हम राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान 2-3 पदक जीत सकते हैं बशर्ते हम प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में अपने खिलाड़ियों की सहायता करें । इस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए 15 पुरुषों और 15 महिलाओं को एक विदेशी प्रशिक्षक सहित 5 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा । भाखेप्रा केन्द्रों/ राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा पहचान किये गये केन्द्रों पर संभाव्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

14. टेबल टेनिस :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान इस खेल के लिए दावेदारी हेतु 21 पदक होंगे जिसमें से अधिकतम 10 प्रविष्टियों द्वारा कोई देश अधिकतम 12 पदक जीत सकता है । राष्ट्रमंडल खेल, 2006 के दौरान भारत ने 3 पदक जीते थे (2 स्वर्ण, और 1 कांस्य) । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 6 पदक जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 पुरूष और 20 महिला खिलाड़ियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें एक विदेशी प्रशिक्षक सहित 7 प्रशिक्षकों द्वारा भाखेप्रा और अन्य विदेशी केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

15. टेनिस :- इस खेल के लिए दावेदारी हेतु 21 पदक होंगे जिसमें से अधिकतम 10 प्रविष्टियों द्वारा कोई देश अधिकतम 12 पदक जीत सकता है । अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ जूनियर खिलाड़ी भविष्य के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 4 पदक जीतने का वास्तविक लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 पुरूष और 20 महिला खिलाड़ियों को भारत और विदेश में एक विदेशी प्रशिक्षक सहित 7 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

16. भारोत्तोलन :- राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान दावेदारी के लिए 45 पदक होंगे और किसी देश की अधिकतम 15 प्रविष्टियां होंगी । अत: कोई देश अधिकतम 15 पदक जीत सकता है । राष्ट्रमंडल खेल, 2006 के दौरान भारत ने 9 पदक (3 स्वर्ण, 5 रजत तथा 1 कांस्य पदक) जीते थे और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 12 पदक जीतने की आशा है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 32 पुरूष और 28 महिलाओं को एक विदेशी प्रशिक्षक सहित प्रशिक्षकों द्वारा नियमित आधार पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा चिन्हित भाखेप्रा केन्द्रों/एएसआई पुणे/केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा । भारोत्तोलकों को सहायक कार्मिकों के साथ पूरा खेल वैज्ञानिक बैक-अप प्रदान किया जाएगा ।

17. कुश्ती :- दावेदारी के लिए 84 पदक होंगे और एक देश की अधिकतम 21 प्रविष्टियां हो सकती हैं । अत: एक देश अधिकतम 21 पदक जीत सकता है । भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में 6 पदक जीते थे (यह खेल राष्ट्रमंडल खेल, 2006 का भाग नहीं था) और यह महसूस किया गया है कि निशानेबाजी के बाद यह खेल विधा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारत की पदक तालिका में पदकों की संख्या में ज्यादा योगदान दे सकता है । देश के लिए सभी संभावित 21 पदकों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 58 पुरूष और 28 महिलाओं को 2 विदेशी प्रशिक्षकों सहित 14 प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण भाखेप्रा केन्द्रों पर दिया जाएगा । हमारे पहलवानों के लिए पर्याप्त विदेशी प्रदर्शन को भी योजनाबद्ध किया गया है ।

18. विशिष्ट विकलांग एथलीट :- विशिष्ट विकलांग एथलीटों के लिए एथलेटिक, तैराकी, टेबल टेनिस और पावर लिफ्टिंग की 4 विधाएं होंगी । इन विधाओं के लिए दावेदारी के लिए 36 पदक होंगे । प्रत्येक देश के लिए प्रविष्टियों की संख्या 24 तक सीमित है । अतः कोई देश अधिकतम 24 पदक जीत सकता है । भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में 1 कांस्य पदक जीता था । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए 4 पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 54 संभाव्य खिलाड़ियों को बंगलौर और राष्ट्रीय खेल परिसंघ/पीसीआई द्वारा पहचान किए गए भाखेप्रा केन्द्रों पर नियमित आधार पर 6 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

अनुबंध-2

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए कुल पदकों की संख्या तथा लक्षित पदकों की संख्या

क्र0 सं0	विधा	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल	लक्ष्यगत पदक
1	जलक्रीड़ा	54	54	54	162	2-4
2	तीरंदाजी	04	04	04	12	4
3	एथलेटिक्स	47	47	47	141	4-10
4	बैडमिन्टन	06	06	06	18	2-4
5	मुक्केबाजी	11	11	22	44	6-8
6	साइक्लिंग	18	18	18	54	1-2
7	जिमनास्टिक	20	20	20	60	3-5
8	हाकी	02	02	02	06	2
9	लान बाल्स	06	06	06	18	1-2
10	नेटबाल (म0)	01	01	01	03	शून्य
11	रग्बी7एस(पु0)	01	01	01	03	शून्य
12	निशानेबाजी	40	40	40	120	30-35
13	स्क्वैश	05	05	05	15	2-4
14	टेबल टेनिस	07	07	07	21	4-6
15	टेनिस	07	07	07	21	2-4
16	भारोत्तोलन	15	15	15	45	10-12
17	कुश्ती	21	21	42	84	21
18	ईएडी प्रतियोगिता (i) तैराकी-4 (ii)एथलेटिक्स-4 (iii)टेबलटेनिस-4 (iv)पावरलिफ्टिंग-4	12	12	12	36	2-4
	कुल	277	277	309	863	96-127

अनुबंध 3

पिछले तीन राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीमों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण

रा.मं. खेल (वर्ष/मेजबान देश)	सहभागी राष्ट्रों की संख्या	खेल विधा/ प्रतियोगिताओं की संख्या	खेलों में भारत		
			सहभागियों की सं0	जीते गए पदकों की सं0	भारतीय रैंक
1998 कुआलालम्पुर (मलेशिया)	70	15 खेल विधा (जलक्रीड़ा, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, क्रिकेट, साइक्लिंग, जिमनास्टिक, हॉकी, लान बाल्स, नेटबाल्स, रग्बी 7 एस, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबलिंग सउलिंग, भारोत्तोलन) 213 प्रतियोगिताएं	114 (88 खिलाड़ी और 26 अधिकारी)	25 पदक 7 स्वर्ण निशानेबाजी (4), भारोत्तोलन (3) 10 रजत निशानेबाजी(2), भारोत्तोलन (5) बैडमिन्टन (2) मुक्केबाजी (1) 8 कांस्य निशानेबाजी (1), भारोत्तोलन (3) बैडमिन्टन (2)	निम्नलिखित के साथ भारत 25 पदकों के साथ सातवें स्थान पर था (7 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य) रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल 1 | आस्ट्रेलिया | 82 | 61 | 57 | 200 2 | इंगलैंड | 36 | 49 | 53 | 138 3 | कनाडा | 30 | 31 | 40 | 101 4 | मलेशिया | 10 | 14 | 12 | 36 5 | दक्षिण अफ्रीका | 9 | 11 | 14 | 34 6 | न्यूजीलैंड | 8 | 6 | 20 | 34
1998 मैनचैस्टर (इंगलैंड)	72	17 खेल विधा (14 व्यक्तिगत खेल और 3 टीम खेल) (जलक्रीड़ा, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो, लान बाल्स, नेटबाल्स, रग्बी 7 एस, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथ्लेसन, भारोत्तोलन, कुश्ती) 281 प्रतियोगिताएं	172 (108 खिलाड़ी और 64 अधिकारी)	69 पदक 30 स्वर्ण निशानेबाजी (14), भारोत्तोलन (11) मुक्केबाजी (1), हॉकी (1) कुश्ती (3), 22 रजत एथलेटिक्स (1), मुक्केबाजी (1) जूडो (1) निशानेबाजी (7),	निम्न के साथ भारत 69 पदकों की संख्या के साथ चौथे स्थान पर था (30 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य) रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल 1 | आस्ट्रेलिया | 82 | 62 | 63 | 207 2 | इंगलैंड | 54 | 52 | 60 | 166 3 | कनाडा | 31 | 41 | 46 | 118

				भारोत्तोलन (9) कुश्ती (3), 17 कांस्य एथलेटिक्स (1), बैडमिन्टन (1), मुक्केबाजी (1) जूडो (1) निशानेबाजी (3), टेबल टेनिस (3), भारोत्तोलन (7)	
2006 मेलबोर्न, विक्टोरिया, (आस्ट्रेलिया)	71	16 खेल विधा (12 व्यक्तिगत खेल और 4 टीम खेल) (जलक्रीड़ा, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, जिमनास्टिक, हाकी, लान बाल्स, नेटबाल्स, रग्बी 7 एस, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथैलन, भारोत्तोलन,) 247 प्रतियोगिताएं	270 (183 खिलाड़ी और 77 अधिकारी)	50 पदक 22 स्वर्ण निशानेबाजी (16), भारोत्तोलन (3) टेबल टेनिस (2), मुक्केबाजी (1), 17 रजत निशानेबाजी (7), भारोत्तोलन (5) एथलेटिक्स (2), मुक्केबाजी (2) हाकी (1) 11 कांस्य बैडमिन्टन (2), टेबल टेनिस (1), निशानेबाजी (4), भारोत्तोलन (1) एथलेटिक्स (1), मुक्केबाजी (2)	निम्न के साथ भारत 50 पदकों की संख्या के साथ चौथे स्थान पर था (22 स्वर्ण, 15 रजत और 11 कांस्य)

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	आस्ट्रेलिया	84	69	68	221
2	इंगलैंड	36	40	34	110
3	कनाडा	26	29	31	86

क्र0 सं0	विधा	खिलाड़ियों की संख्या जो वास्तव में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भाग लेंगे		प्रशिक्षण के लिए चयनित कोर समूह खिलाड़ियों की संख्या		विशिष्ट खिलाड़ियों के कोर समूह के व्यय के लिए औचित्य
		पु.	म.	पु.	म.	
1	तीरंदाजी	08	08	32	32	1:4 का अनुपात । उपर्युक्त अनुपात में पदक जीतने की संभावना है । तीरंदाजों के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, हम 2-4 पदक की आशा कर सकते हैं ।
2	एथलेटिक्स	60	42	100	100	परिमेय प्रतियोगिता । अर्हक शर्तों के अनुसार संभाव्य पदक विजेता चयन किये जाते हैं । भारतीय एथलीट 31 पुरूष और 21 महिला प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे । विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय एथलीट पिछले खेलों में 2 की तुलना में 4-10 पदक जीत सकते हैं ।
3	जल क्रीड़ा	20	15	60	45	1:3 के अनुपात में । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा अत्यंत कड़ा है । हमारे तैराक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जूनियर/सबजूनियर स्तर पर अच्छा कर रहे हैं । तथापि, कुछ तैराक जैसे वीर धावन खोडे जो ओलंपिक खेल, 2010 में अकेले क्वालीफाई कर चुके हैं, मुरलीधरन, संदीप सेजवाल, शिखा टंडन आदि सहित अपने प्रदर्शनों

						से पदक जीत सकते हैं ।
4	बैडमिन्टन	05	05	20	20	1:4 के अनुपात में। पुरूष और महिला खिलाड़ियों के विश्व रैंकिंग को देखते हुए, हम बैडमिन्टन खिलाड़ियों से पिछले समय से बेहतर प्रदर्शन की आशा करते हैं । (पिछले खेलों में 2 पदक जीते थे)
5	मुक्केबाजी	11	00	44	0	1:4 के अनुपात में । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, हम पिछले राष्ट्रमंडल खेल, 2006 की तुलना में इस समय मुक्केबाजों से अच्छे प्रदर्शन की आशा कर सकते हैं । पाँच मुक्केबाज ओलंपिक, 2008 में क्वालीफाई कर चुके हैं ।
6	साइक्लिंग	25	14	75	42	1:3 के अनुपात में । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कड़ा है । देश में साईक्लिंग प्रतियोगिता पिछले दो वर्षों से निष्क्रिय थी । हाल ही में यह विधा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 का एक अंग है, राष्ट्रीय शिविर पटियाला और लुधियाना में चल रहा है । साइकिल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए विदेशी प्रशिक्षक भी उपलबध कराये गये हैं ताकि कठोर, गहन और निरंतर प्रशिक्षण के पश्चात इस विधा से कुछ पदकों की आशा की जा सकती है ।
7	जिम्नास्टिक	06	09	24	36	1:4 का अनुपात । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कड़ा है । जूनियर जिमनास्ट अच्छा कर रहे है । कुछ सीनियर श्रेणी में जिमनास्ट हैं जो एशिया स्तर पर पदक जीत चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक नियमित प्रशिक्षण के साथ हम कुछ पदक प्राप्त करने की आशा रखते हैं ।

8	हाकी	16	16	48	48	1:3 के अनुपात में टीम प्रतियोगिता होने के नाते, हम राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में दोनों वर्गों में पदक सुरक्षित रखने की आशा रखते हैं ।
9	लान बाल्स	05	05	15	15	1:3 का अनुपात । यह विधा भारत में प्रथम बार शुरू की गई है । परिसंघ के दीर्घवाधिक विकास कार्यक्रम के आयोजन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक निरंतर आधार पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में सच्चे प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में प्रतिष्ठित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।
10	नेट बाल	00	12	0	36	1:3 का अनुपात । यह विधा भारत में प्रथम बार शुरू की गई है । परिसंघ के दीर्घवाधिक विकास कार्यक्रम आयोजन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक निरंतर आधार पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में सच्चे प्रयासो के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में प्रतिष्ठित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।
11	रग्बी सेवन एस	12	00	36	0	1:3 का अनुपात । यह विधा भारत में प्रथम बार शुरू की गई है । परिसंघ के दीर्घवाधिक विकास कार्यक्रम के आयोजन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक निरंतर आधार पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में सच्चे प्रयासो के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में प्रतिष्ठित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

12	निशानेबाजी	26	14	100	50	1:4 का अनुपात (अनुमानित) । यह विधा अधिकांश पदक प्रदान करेगा । पिछले 2-3 वर्षों से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं । 9 निशानेबाजों ने ओलंपिक, 2008 को क्वालीफाई किया है । ओलंपिक, 2008 में निशानेबाजों से स्वर्ण पदक आ सकते हैं ।
13	स्क्वैश	05	05	15	15	1:4 का अनुपात । जूनियर/सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्क्वैश खिलाड़ियों का प्रदर्शन बढ़ रहा है । हम इन विधाओं में भी कुछ पदक पाने की आशा कर सकते हैं ।
14	टेबल टेनिस	05	05	20	20	1:4 का अनुपात । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में प्रतिस्पर्धा स्तर ऊंचा है यद्यपि भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं और कम से कम 4 पदक जीतने की आशा है ।
15	टेनिस	05	05	20	20	1:4 का अनुपात । टेनिस खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके विश्व रैंकिंग के आधार पर आशा की जाती है कि वे राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में 3-4 पदक सुरक्षित रखेंगे ।
16	भारोत्तोलन	08	07	32	32	1:4 का अनुपात । यह विधा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान पदकों की संख्या प्रदान करने में तीसरा रहेगा । इस विधा के लिए निरंतर प्रशिक्षण और निगरानी रखने की आवश्यकता है ।
17	कुश्ती	14	07	56	28	1:4 का अनुपात । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में पदक प्रदान करने में दूसरी विशाल खेल विधा है । निरंतर कोचिंग शिविर पटियाला में प्रगति पर है । तीन विदेशी प्रशिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं ।

18	ईएडी (विकलांगों से विशिष्ट खिलाड़ी)	18	06	36	18	1:2 का अनुपात । ईएडी प्रतियोगिता को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । पिछले पैरालम्पिक खेल, एथेन्स, 2004 में प्रदर्शन को देखते हुए जहां भारत ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता था हम दो या ज्यादा पदक की आशा करते हैं ।
	कुल	249	175	733	553	

अनुबंध 5

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीमों की सहभागिता के लिए खिलाड़ियों/ प्रशिक्षकों/ सहायक कार्मिकों के कोर समूह की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	खेल	खिलाड़ियों की सं०		टीमों की सं०		खेल निदेशक	सहायक कार्मिकों की संख्या						
		पु०	म०	[illegible]	[illegible]		डॉक्टर (खेल औषधि)	अभ्यास चिकित्सक	[illegible]/खेलविशेषज्ञ/ [illegible]	फिजियोथेरेपिस्ट	पुरुष मसाजिया	महिला मसाजिया	[illegible] के लिए सहायक
1	तीरंदाजी	32	32	12	2	1	1	1	1	0	1	1	0
2	एथलेटिक्स	100	100	38	10	1	1	1	0	2	6	6	0
3	जलक्रीड़ा	60	45	12	2	1	1	1	0	0	1	1	0
4	बैडमिंटन	21	20	8	2	1	0	1	0	1	1	1	0
5	मुक्केबाजी	44	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
6	साइकिलिंग	15	22	6	2	1	1	1	0	1	1	1	0
7	जिम्नास्टिक्स	24	35	8	2	1	1	0	0	0	2	2	0
8	हॉकी	18	48	12	2	2	2	2	0	2	1	1	0
9	लॉन बॉल्स	[illegible]	[illegible]	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0
10	नेटबॉल	[illegible]	36	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
11	रग्बी सेवन्स	36	[illegible]	4	1	1	1	0	0	1	1	0	0
12	निशानेबाजी	108	[illegible]	15	[illegible]	1	0	0	3	0	0	0	0
13	स्क्वैश	15	15	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0
14	टेबल टेनिस	23	20	0	1	[illegible]	0	0	0	1	1	1	0
15	टेनिस	25	20	6	1	1	1	0	0	1	1	1	0
16	भारोत्तोलन	32	28	9	[illegible]	1	1	0	0	1	1	1	0
17	कुश्ती	56	28	12	2	[illegible]	1	0	0	1	2	1	0
18	ईएडी*	30	18	0	0	1	1	0	0	1	1	1	18
	कुल	733	553	174	36	19	13	8	4	13	22	20	18

* [illegible]

खिलाड़ी	1286
कोच	210
खेल निदेशक	19
[illegible]	18
सहायक कार्मिक	80
कुल	1613

अनुबंध 6

(पैरा 10)

दीर्घावधिक रूपरेखा तैयार करने के लिए मार्ग निर्देश

दीर्घावधिक रूप रेखा (एलटीएफ) की तैयारी एक प्रभावी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई खेल संगठन अपने लक्ष्यों को स्थापित करता है और उनके लिए कार्य करने हेतु सर्वोत्तम साधनों को पहचान सकता है । खिलाड़ियों के समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए जा सकते हैं यदि एलटीएफ पदक सुव्यवस्थित ढंग से तैयार की गयी हो और उसमें सभी संबंधित गतिविधियां समाहित की गयी हों । राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में समाहित खेलों के सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 तक अगले तीन वर्षों की योजनाएं तत्काल सरकारी अनुमोदन के लिए तैयार हैं ।

2. निम्नलिखित पैरों में दिया गया प्रपत्र मात्र सुझावपरक है और विशिष्ट संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तृत करने अथवा संशोधित करने की जरूरत है । सुझाया गया प्रपत्र न्यूनतम अपेक्षा के रूप में निम्नलिखित घटकों पर आधारित है ।

2.1 परिचय

परिचय में संगठन की पृष्ठभूमि तथा योजना का परिदृश्य उपलब्ध कराना चाहिए । इसे योजना का विस्तार भी उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि यह क्यों तैयार की गयी, इस योजना में क्या समाहित है ।

2.2 मिशन वक्तव्य तथा संगठनात्मक चार्ट

संगठन के मिशन वक्तव्य को प्रस्तावित एक टीम के जरिए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों/उद्देश्यों को स्पष्ट तथा व्यापक रूप से दर्शाना चाहिए ।

2.3 तीन वर्षीय विकास योजना (अप्रैल 2008 से अक्टूबर, 2010 तक)

विकास योजना में योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य समाहित होने चाहिए । योजना में प्रशिक्षण शिविरों (लगभग 210 दिन), विदेशी प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता (लगभग 75 दिन), तथा (लगभग 20 दिनों), अर्थात वर्ष में कुल 305 दिनों की परिकल्पना होनी चाहिए । योजना की तैयारी अधिक सार्थक होने की संभावना है, यदि उद्देश्यों को प्रचालनात्मक अथवा मुख्य लक्ष्य क्षेत्रों में समूहबद्ध कर दिया जाए । मुख्य लक्ष्य क्षेत्रों के उदाहरण निम्नलिखित हैं जो एनएसएफ के लिए उपयुक्त हो सकते हैं:-

1. एथलीट विकास
2. कोचिंग
3. घरेलू टूर्नामेंट अनुसूची
4. अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सहभागिता
5. टेस्ट प्रतियोगिताओं की मेजबानी
6. प्रगति की समीक्षा
7. खेल विज्ञान
8. सुविधाएं और उपस्कर

2.3.1 एथलीट विकास

इस मुख्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में एथलीटों के सामर्थ्य निर्धारण के लिए 'कोर समूह' पहचान प्रक्रिया, कोर समूह एथलीटों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सहायक स्टाफ (जैसे कोच तथा खेल वैज्ञानिक), एथलीट प्रदर्शन डाटा बेस की स्थापना और रखरखाव, एथलीटों का विशेषीकरण, प्रतिबद्धताएं तथा दायित्व, चयन की नीतियां तथा मानदंड, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आदि शामिल हो सकते हैं ।

2.3.2 प्रशिक्षण

प्रयोजन, एथलीटों, कोचों, सहायक कार्मिकों आदि की संख्या, प्रत्येक शिविर की अवधि, विशिष्ट खेल उपस्कर की जरूरत, यदि कोई है, तथा अन्य संबंधित विवरण को निर्दिष्ट करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

2.3.3 घरेलू टूर्नामेंट अनुसूची

पहले से ही घरेलू टूर्नामेंट अनुसूची की योजना अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को योजनाबद्ध करने के लिए खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों की सहायता करती है । यह राज्य इकाईयों की भी सहायता करती है ताकि वे अपने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय टूर्नामेंटों की योजना उपयुक्त ढंग से कर सके । प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को सभी इच्छुक व्यक्तियों को टूर्नामेंटों की तारीखें तथा स्थल मुद्रित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए । एक बार निर्णित कार्यक्रमों की तारीखों और स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

2.3.4 *अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सहभागिता*

प्रत्येक विशिष्ट खिलाड़ी अथवा टीम के लिए, वर्ष के प्रारंभ में मुख्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का पता लगाया जाएगा जिसमें यह अथवा टीम भाग ले रही है । बड़ी प्रतियोगिताओं से पहले छोटी प्रतियोगिताएं भी हो सकती है जो अवसर अथवा प्रतियोगिता अनुभव लाने में खिलाड़ी अथवा टीम की मदद कर सकेगी । तथापि, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का पता लगाने के पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है जो अच्छी प्रतियोगिता उपलब्ध कराती है । प्रतियोगिताओं में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से लेकर प्रदर्शन मैच तक कुछ भी शामिल हो सकता है । पहले से ही अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की योजना वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण अनुसूची तैयार करने में सहायता करती है ।

2.3.5 टेस्ट प्रतियोगिताओं की मेजबानी

विदेशी टीमों के साथ टेस्ट प्रतियोगिताओं की मेजबानी की योजना संगठन द्वारा बनायी जानी चाहिए ताकि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भाग लेने से पहले हमारे खिलाड़ियों के प्रतियोगिता के अवसर प्रदान किए जा सके । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये प्रतियोगिताएं उपयुक्त तथा व्यावसायिक ढंग से आयोजित की जांए ताकि विश्व में भारत की एक अच्छी छवि बने कि यह ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए एक अच्छा स्थल है ।

2.3.6 प्रगति की समीक्षा

एसएसएफ द्वारा संभावितों को कोर ग्रुप में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी चाहिए तथा ऐसे खिलाड़ी जो लक्षित स्तर से नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए।

2.3.7 खेल विज्ञान

खेल विज्ञान में एथलीट जांच और बायो मैकेनिक्स, फिजियोलाजी मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि शामिल करने का लक्ष्य होना चाहिए ।

2.3.8 सुविधाएं और उपस्कर

विकास योजना में एथलीटों की अपेक्षित सुविधाओं तथा उपस्कर के मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिए ।

3. योजना का ढांचा

योजना के ढांचे में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- उपर्युक्त प्रत्येक मुद्दे के लिए निश्चित उद्देश्य का विवरण
- खेलों के लिए दीर्घकालिक परिदृश्य का विवरण
- 2008-2010 की अवधि के लिए एक विशेष तीन वर्षीय वार्षिक योजना

- व्यावसायिक प्रबंधन तरीके आरंभ करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव

4. **योजना के अनुमोदन और निगरानी की प्रक्रिया**

राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर संचालन समिति की बैठक जिसका गठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, में विचार-विमर्श किया जाएगा तथा सहमत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा । कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होगा :-

1 संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्कीम/अनुमोदित एलटीएफ के प्रावधानों का कार्यान्वयन करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ।

2 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वित्तीय प्रतिबद्धताएं और

3 अनुमोदित अनुसूची के अनुसार भाखेप्रा द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

सहमत एलटीएफ पर हुए कार्य की निगरानी करने के लिए संचालन समिति की नियमित रूप से बैठक होगी और उसमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी तथा संबंधित एजेंसियों को उपचारात्मक कदम सुझाए जाएंगे । उपचारात्मक कदमों पर सहमति के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा वर्क के दौरान कार्य किया जाएगा ।

अनुबंध-7

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए खिलाड़ियों(संभावितों का कोर ग्रुप) के चयन के मानदंडों को दर्शाने वाला विवरण

1. विश्व चैम्पियनशिप 2006 तथा ओलंपिक खेल, 2004 के पदक विजेता/प्रतिभागी ;
2. एशियाई खेल तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2006 के पदक विजेता ;
3. एशियन चैम्पियनशिप, 2006 विश्व कप, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप और अन्य समकक्ष प्रतियोगिताओं के पदक विजेता ;
4. विश्व चैम्प्यिनशिप, ओलंपिक खेल, 2004 एशियाई खेल तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2006 तथा उपर्युक्त 3 में उल्लिखित प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी ;
5. प्रथम अफ्रो एशियाई खेल, एसएएफ खेल और 2007 में आयोजित राष्ट्रीय चैम्प्यिनशिप के पदक विजेता ;
6. विश्व रैंक, जहां की मान्य हो ; और
7. आयु मानदंड तथा प्रदर्शन का वर्तमान स्तर ।

संबंधित भाखेप्रा के परामर्श से राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में से इस स्कीम के अंतर्गत संचालन समिति, कोर संभावितों के चयन को अंतिम रूप देगी जिन्हें पदक संभावितों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

अनुबंध 8

संचालन समिति की संरचना और कार्य

संरचना :

1. संयुक्त सचिव (आईएसडी) - अध्यक्ष
2. *कार्यकारी निदेशक (टीम), भाखेप्रा* - सदस्य
3. संबंधित राष्ट्रीय खेल के प्रतिनिधि - सदस्य
4. भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि - सदस्य
5. निदेशक (टीम), भाखेप्रा - सदस्य
6. एक सरकारी पर्यवेक्षक (संबंधित खेल विधा) - सदस्य
7. निदेशक (आईएसडी) - सदस्य सचिव

कार्य :

1. राष्ट्रमंडल खेल की प्रत्येक खेल विधा के लिए पृथक एक समिति होगी ।
2. समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक होगी ।
3. समिति कोर संभावितों की सूची को अंतिम रूप देगी और अनुमोदन प्रदान करेगी ।
4. संचालन समिति प्रत्येक खेल विधा के कोर संभावितों को वार्षिक प्रशिक्षण और स्पर्धा (एसीटीसी) कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान करेगी तथा इसके कार्यान्वयन के विशिष्ट दायित्वों को विभिन्न एजेंसियों जैसे भाखेप्रा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों इत्यादि को सौंपेगी । *समिति एसीटीसी के कार्यान्वयन* तथा उसे और अधिक कारगर बनाने के लिए समय समय पर संशोधन करने की दृष्टि से संवीक्षा भी करेगी ।
5. समिति कोचों (भारतीय व विदेशी दोनों) तथा सहायक कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिए शर्तों का चयन और अनुमोदन भी करेगी ।
6. समिति खिलाड़ियों के कोर समूह, कोचों (भारतीय व विदेशी दोनों) तथा सहायक कार्मिकों के कार्य निष्पादन के स्तरों, उसमें सुधार के संबंध में प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखेगी और आवश्यक होने पर, सूची में संशोधन करने के लिए संवीक्षा समिति से सिफारिश करेगी ।
7. समिति सचिवालय प्रत्येक खेल विधा के सभी कोर संभावितों का डाटा बेस रखेगा ।

*****

अनुबंध 9

प्रशिक्षण/विदेशों में खेलने के अवसर के लिए राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीम को तैयार करने की स्कीम के तहत वित्तीय सहायता पाने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन फार्म ।

प्रोफार्मा

1. आवेदक का नाम और पता (परिसंघ/संघ इत्यादि का नाम)
2. खेल विधा
3. स्पर्धा का ब्यौरा

(i)

क. नाम :

ख. श्रेणी :

ग. आयोजन स्थल :

घ. दिनांक : ..... से .....तक

ङ. विदेश में ठहरने की प्रस्तावित अवधि : ..... से .....तक

(ii) क्या टीम किसी अन्य स्पर्धा में भाग लेगी ? यदि हां, कृपया निम्नलिखित विवरण दें :

क. खिलाड़ियों के नाम :

ख. कोच :

ग. आयोजन स्थल :

घ. दिनांक :

ङ. नियम व शर्तें :

च. वित्तीय अनुप्रयोग :

4. टीम की संरचना

(i)

क. खिलाड़ी का नाम :

ख. कोचिंग शिविर में प्राप्त प्रदर्शन का स्तर :

ग. वर्तमान रिकार्ड :

(ii) कोच

क. कोच का नाम* :

ख. योग्यता :

ग. क्या कोच के चयन को सरकार द्वारा विधिवत गठित 'संचालन समिति' द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(iii) कोई अन्य अधिकारी (कृपया विस्तृत औचित्य दें) :-

* उपर्युक्त कालम 4(क) और 4 (ख) में दिए गए नामों को संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए (इस संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पत्र की प्रति संलग्न करें) ।

5. वित्तीय बाध्यताएं और अन्य ब्यौरे :-

(i) प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले संगठन का ब्यौरा :

क. नाम :

ख. पता और टेलीफोन नं0 :

ग. ईमेल का पता :

(ii) मेजबान द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा (आयोजक से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करें)

क. स्थानीय आवास :

ख. आतिथ्य (भोजन) :

ग. स्थानीय परिवहन :

घ. वायुयान से यात्रा :

ङ. कोई अन्य समर्थन :

च. आयोजक से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान :

6. मांगी गई सहायता

(i) यात्रा की लागत :

क. प्रकार (वायुयान से/अन्य तरीके से) :

ख. भारत में प्रवेश का स्थान :

ग. विदेश में पहुंचने का स्थान :

(ii) यात्रा में आकस्मिक व्यय

क. वीजा शुल्क :

ख. एयरपोर्ट टैक्स :

(iii) कोई अन्य अपेक्षा (कृपया मद-वार ब्यौरे सहित औचित्य बताएं और संबंधित सहायक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें) :

(iv) अपेक्षित विदेशी मुद्रा की राशि :

(v) संभावित प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा:

(vi) अपेक्षित नेट (शुद्ध) विदेशी मुद्रा :

(vii) भारतीय रिजर्व का कार्यालय जिसे सलाह दी जानी है।

दिल्ली/कोलकाता/मुम्बई/चेन्नई :

7. क्या टीम का कोई अन्य सदस्य/अधिकारी सरकारी कर्मचारी/राजनीतिक दल का पदाधिकारी है यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय से अपेक्षित क्लियरेंस प्राप्त कर ली गई है ? कृपया गृह मंत्रालय से प्राप्त क्लियरेंस की प्रति संलग्न करें ।

नोट :-

(i) कृपया इसे प्रतियोगिता प्रारंभ होने की अधिसूचित तारीख से कम से कम एक मास पूर्व दो प्रतियों में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग, नई दिल्ली को तथा एक प्रति भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) को भेज दें ।

(ii) कृपया सभी कालम सभी अपेक्षित ब्यौरे सहित सही-सही भरें ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य परिसंघ के रिकार्ड तथा मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं । इसके अलावा प्रमाणित किया जाता है कि टीम के किसी सदस्य/टीम द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा का पूरा लेखा निर्दिष्ट समय-सीमा में विधि के अनुसार तैयार कर लिया जाएगा ।

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम.....

मोहर

दिनांक.....

अनुबंध-10

समीक्षा समिति की संरचना और कार्य

1. सचिव (युवा कार्यक्रम और खेल)	- अध्यक्ष
2. महानिदेशक , भाखेप्रा	- सदस्य
3. संयुक्त सचिव (खेल)	- सदस्य
4. भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि	- सदस्य
5. एक सरकारी पर्यवेक्षक (प्रत्येक खेल विधा से एक)	- सदस्य
6. संयुक्त सचिव (आईएसडी)	- सदस्य सचिव

नोट 1: क्रम सं0 5 में उल्लिखित सदस्य तब उपस्थित होंगे जब भी उनसे संबंधित खेल विधाओं पर चर्चा होगी ।

कार्य :

1. समिति की बैठक प्रत्येक तीन मास में एक बार होगी ।
2. समिति खिलाड़ियों के कोर समूह, कोचों (भारतीय और विदेशी) तथा सहायक कार्मिकों के प्रदर्शन के स्तर के संबंध में प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेगी तथा 'संचालन समिति' तथा विभिन्न स्वामित्वधारियों को , जब भी अपेक्षित होगा, मार्गदर्शन देगी ।
3. समिति उपचारात्मक उपाय करेगी जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले एथलीटों और कोचों आदि को कोर समूह से निकालना तथा संचालन समिति की सिफारिश पर विकल्प/नये को शामिल करना, शामिल होगा ।

*****

राहुल भटनागर
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 8th July 2008

No. 1/3/2007-Cte.—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research was reconstituted for a period of three years with effect from 1st July, 2007. Consequent to the voluntary retirement of Dr. N. Ramakrishnan, Director, Advanced Materials & Processes Research Institute (*AMPRI*), Bhopal, he ceased to be the member of Governing Body. Dr. Chandra Shekhar, Director, Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), Pilani, has now been nominated in his place as a member of the Governing Body of CSIR for the remaining tenure of the Governing Body.

SUSHIL KUMAR
Sr. Dy. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 26th June 2008

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10.1 (ii) of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Science Education and *Research* (IISER), Kolkata;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata;

(c) "Director" means the Director of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata—appointed by the Central Government under Rule 10.1 (ii) of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 26,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/ organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/ nominations.
7.	Educational qualifications and experience	Director is the Principal Academic and Executive Officer of the Institute. He is expected to be an eminent person who will provide leadership for research and must have administrative and teaching experience, preferably possessing the qualifications of a Professor.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	The Director shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier. A person so appointed shall be eligible for re-appointment for not more than another term.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :— (i) Minister of Human Resource Development —Chairman (ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member (iii) Secretary, Department of Higher Education —Member (iv) Two Secretaries of Scientific Departments of the Government of India —Members The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 12.1 (ii) of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali;

(c) "Director" means the Director of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali—appointed by the Central Government under Rule 12.1 (ii) of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 26,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/ organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/ nominations.
7.	Educational qualifications and experience	Director is the Principal Academic and Executive Officer of the Institute. He is expected to be an eminent person who will provide leadership for research and must have administrative and teaching experience, preferably possessing the qualifications of a Professor.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	The Director shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier. A person so appointed shall be eligible for re-appointment for not more than another term.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :— (i) Minister of Human Resource Development —Chairman (ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member (iii) Secretary, Department of Higher Education —Member (iv) Two Secretaries of Scientific Departments of the Government of India —Members The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10.1 (2) of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune;

(c) "Director" means the Director of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune—appointed by the Central Government under Rule 10.1 (2) of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 26,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/ organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/ nominations.
7.	Educational qualifications and experience	Director is the Principal Academic and Executive Officer of the Institute. He is expected to be an eminent person who will provide leadership for research and must have administrative and teaching experience, preferably possessing the qualifications of a Professor.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	The Director shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier. A person so appointed shall be eligible for re-appointment for not more than another term.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :— (i) Minister of Human Resource Development —Chairman (ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member (iii) Secretary, Department of Higher Education —Member (iv) Two Secretaries of Scientific Departments of the Government of India —Members The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10(a)(1) of the Indian Institute of Infomation Technology (IIIT), Allahabad, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Indian Institute of Infomation Technology (IIIT), Allahabad (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Infomation Technology (IIIT), Allahabad;

(c) "Director" means the Director of Indian Institute of Infomation Technology (IIIT), Allahabad—appointed by the Central Government under Rule 10(a)(1) of Indian Institute of Infomation Technology (IIIT), Allahabad.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Information Technology, Allahabad, an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier
7.	Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in Information Technology and Management Education. He must have very impressive academic credentials (Ph.D Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record. (b) The candidate must possess academic standing corresponding to a Professor. (c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :—

(i) Secretary, Department of Higher Education —Chairman

(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member

(iii) Two other technical experts/eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development —Members

(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development —Convener

The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by clause 10(a)(2) of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur, (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur;

(c) "Director" means the Director of Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur — appointed by the Central Government under clause 10(a)(2) of Rules of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person, .

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for resons to be recoreded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in this Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier
7.	Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in regard to conduct research on different aspects of Information Technology in general and Engineering Design & Manufacturing in particular. He must have very impressive academic credentials (Ph.D Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record. (b) The candidate must possess academic standing corresponding to a Professor. (c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :—

(i) Secretary, Department of Higher Education —Chairman

(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member

(iii) Two other technical experts/eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development —Members

(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development —Convener

The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by clause 10(a)(2) of the Rule of Indian Institue of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram, (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram;

(c) "Director" means the Director of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram — appointed by the Central Government under Rule 10(a)(2) of the Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram, which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
7.	Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in regard to conduct research on different aspects of Information Technology in general and Engineering Design & Manufacturing in particular. He must have very impressive academic credentials (Ph.D Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record. (b) The candidate must possess academic standing corresponding to a Professor. (c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :—

(i) Secretary, Department of Higher Education —Chairman

(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member

(iii) Two other technical experts/eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development —Members

(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development —Convener

The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10(a)(2) of the Atal Bihari Vajpayee — Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These Rules may be called the Atal Bihari Vajpayee — Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior, (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Atal Bihari Vajpayee — Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Atal Bihari Vajpayee — Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior;

(c) "Director" means the Director of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior — appointed by the Central Government under Rule 10(a)(2) of Atal Bihari Vajpayee — Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 5 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification — No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving — Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service — The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR
Addl. Secy.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	DIRECTOR
2.	Number of Posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Atal Bihari Vajpayee – Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
7.	Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in Information Technology and Management Education. He must have very impressive academic credentials (Ph.D Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record. (b) The candidate must possess academic standing corresponding to a Professor. (c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable.
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :—

(i) Secretary, Department of Higher Education	—Chairman
(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution	Member
(iii) Two other technical experts/eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development	—Members
(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development	Convener

The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

New Delhi, the 3rd July 2008

No. F. 9-16/2007-U.3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a Deemed-to-be-University;

2. And whereas, a proposal was received from Department of Space for conferment of status of 'Deemed-to-be-University', under Section 3 of the UGC Act, 1956, to 'Indian Institute of Space Science and Technology' being set up at that point of time under the aegis of Indian Space Research Organisation (ISRO) near Thiruvananthapuram in the State of Kerala;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No. F. 27-1/2007 (CPP-I) dated the 2nd January, 2008 has recommended conferment of status of 'Deemed-to-be-University' to Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram for a period of five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Indian Institute of Space Science and Technology (IISST) Thiruvananthapuram shall be deemed to be a university, under de novo category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, with immediate effect, subject to the following conditions :—

(i) The functioning of the IISST as well as its performance shall be reviewed annually by the UGC through its Expert Committee. The status conferred upon the IISST will be confirmed after five years on the basis of performance reports of the Expert Review Committee of the UGC and the recommendation of the Commission thereon;

(ii) The Department of Space shall finalise the Memorandum of Association (MoA) and Rules of the IISST in accordance with the model MoA/Rules prescribed by the UGC and in concurrence with the Commission. For this purpose, the Department of Space shall also take into account the variations observed by the UGC in the said MoA & Rules and rectify and amend the relevant provisions in concurrence with the Commission. The IISST may, however, retain the text of the provisions proposed under Clause 20 of its Rules.

5. The declaration as made in para 4 above is further subject to fulfilment of conditions mentioned at Sr. No. 5 of the endorsement to this Notification.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 8th July 2008

No. 33-1/06-CDN—To evolve a participative process of decision-making by taking an integrated view of the various shades of ideas and interests from different domains of culture, the Government of India has resolved to constitute the Central Advisory Board on Culture (CABC) consisting of the following members :—

1. Minister of Culture
   14-Akbar Road,
   New Delhi-11 : Chairperson
2. Dr. B. N. Goswamy
   171, Sector 19-A,
   Chandigarh-160019
3. Sh. S. K. Misra
   Chairman, INTACH
   71-Lodhi Estate,
   New Delhi-3

4. Ms. Rupika Chawla
4, Jaipur Estate,
East Nizamuddin
New Delhi

5. Ms. Leela Samson
Director
Kalakshetra Foundation
Thiruvanmiyur
Chennai-600041
(Tamil Nadu)

6. Sh. Ghulam Sheikh
"Niharaka" behind University Health Centre,
Pratap Ganj,
Vadodara-390002
(Gujarat)

7. Ms. Ajeet Cour
Founder Chairperson,
Academy of Fine Arts & Literature,
4/6, Siri Fort Institutional Area,
New Delhi-49

8. Sh. Balan Nambiar
19/18, First Cross First Main Road,
Jaya Mahal Extension,
Bangalore-560046
(Karnataka)

9. Sh. Shyam Benegal
103, Sangam Peddar Road,
Mumbai-400026
(Maharashtra)

10. Sh. Ratan Theyyam
Chairman,
Chorus Repertory Theatre,
Uripok Haobam Dewan Rane,
Imphal-795001
(Manipur)

11. Sh. Amjad Ali Khan
3-Sadhna Enclave,
New Delhi-17

12. Sh. Gopi Chand Narang
D-252, Sarvodya Enclave,
New Delhi-17

13. Sh. Rajiv Sethi
Chairman & Foundation Trustee,
Asian Heritage Foundation,
C-52, South Extension Pt. II,
New Delhi-49

14. Ms. Geeti Sen
G-18/1, Nizamuddin West
New Delhi-13

15. Sh. Ronesh Ray
R-176, Greater Kailash-1,
New Delhi-48

16. Sh. Abhijit Sengupta
Secretary,
Ministry of Culture

II. TERMS OF REFERENCE OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD

(a) To advise the Ministry of Culture at the policy level to evolve programmes which would focus attention on the creativity at different levels of Indian society, and in different regions, which hitherto has been either neglected or not sustained through the existing institutional mechanisms.

(b) To identify the human repositories in the diverse sub-field and advise on the strategies to ensure a continuity of transmission and to recommend to the Government programmes that will integrate the creativity of these long traditions with the processes of development.

(c) To coordinate the functions of each of the bodies under the Ministry so as to bring about a greater measure of cohesive policy.

(d) To examine the extent and manner in which various facets of Indian Culture are being addressed by concerned agencies.

(e) To help provide inputs for the formulation of new, need — based programmes in the field of culture.

(f) To guide the work of the National Missions set up by the Ministry of Culture.

III. TENURE

The tenure of Central Advisory Board on Culture will be three years with effect from the date of issue of resolution, unless otherwise decided by the Government.

IV. MEETING

The Board will meet at least once in three months.

V. SECRETARIAL ASSISTANCE

Secretarial Assistance shall be provided by the Ministry of Culture.

VI. TRAVELLING ALLOWANCES/DAILY ALLOWANCE

Outstation, non-official members nominated on the Central Advisory Board for Culture will be allowed reimbursement in accordance with Ministry of Finance Office Memorandum Number 19020/1/84-E.IV dated 23.06.1986 and as amended from time to time as under :—

(i) Reimbursement of rent in any State Guest House or for single room in medium range ITDC hotels or State Government run Tourist hotels/hostels or residential accommodation provided by registered societies like India International Centre and India Habitat Centre.

(ii) D.A. at the rate of 90% of ordinary rates of D.A. as admissible to the highest grade of civil servant for boarding purpose.

(iii) In addition to the above the outstation, non-official members will be entitled to sitting fee as decided by the Administrative Ministry/Department concerned.

ORDERED

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of Government of India, all State Governments/Union Territories Administration.

(F. No. 33-1/06-CDN.)

R. C. MISHRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 8th July 2008

SCHEME FOR PREPARATION ON INDIAN TEAM FOR COMMONWEALTH GAMES 2010

No. 70-83/2007-CG—

1. INTRODUCTION

1.1 The importance of Sports and Physical Education in the overall development of the individual is well understood and appreciated. The benefits of sports and other forms of physical activity on health are also, now, widely acknowledged. There is no better medium than sports to inculcate and foster the spirit of unity, solidarity and brotherhood among the youth of the country. Notwithstanding the beneficial effects that sports may have on youth development, community development, health and well being of the society, there can be no denying the fact that the aspect of sport, which captures the imagination of the people and is deeply rooted in public consciousness, is that of achieving sporting honors at the world stage. With the euphoric environment created by spectacular successes in Software, IT, Communication and Industry, the public gaze is shifting to sports. The nation is being urged by popular public sentiment to prove its prowess in the field of sports and secure its rightful place in the community of nations. It is being increasingly recognized that it is only sports that offers at the world stage an arena where nations can legitimately compete with each other to earn top honors and supremacy.

1.2 In this context the Commonwealth Games, 2010 to be held in Delhi presents an excellent opportunity as well as a great challenge to our sportspersons and sports administrators to achieve the highest levels of performance in these Games and emerge among the topmost in the honors to meet the expectations of the people.

1.3 The object of this Scheme is to select from among the sportspersons, who have excelled in their particular disciplines, a Core Group. This Core Group of elite sportspersons would be given the best in terms of training, exposure, scientific back up etc. to prepare them for representing the country in the CWG, 2010. The approach will be a focused one, catering to the requirement of these elite athletes with the objective of achieving best results in the Games. The performance, improvement/progress shown by these athletes over the period of

their training will also be monitored. Taking into consideration the strengths and weaknesses of Indian sportspersons in various sports, appropriately greater attention will be given to sports/disciplines where larger number of medals can be won. The Scheme will involve close cooperation and coordination between the Ministry, Indian Olympic Association (IOA), Sports Authority of India (SAI), and National Sports Federations (NSFs). It is expected that this Scheme will provide the framework and wherewithal for our sportspersons enabling them to give the most creditworthy performance in the CWG, 2010.

2. COMMONWEALTH GAMES, 2010

2.1 On a bid proposal presented by the Indian Olympic Association (IOA), the XIXth Commonwealth Games, 2010 were allotted to Delhi, India by the Commonwealth Games Federation (CGF). Held after every four years since 1930, the Commonwealth Games will now be held in Delhi from 3rd October to 14th October, 2010. The Commonwealth Youth Games which are a sub-event of the main Games will be held in Pune from 12th to 18th October, 2008. This will be for the first time that India will be hosting a mega multi disciplinary sporting event after the Asian Games, 1982. The Commonwealth Games would be taking place for only the second time in Asia, following Kuala Lumpur in 1998. The Commonwealth Games are considered the second largest international multi disciplinary sporting event after the Olympic Games. 71 countries will participate in these Games with over 8000 sportspersons.

2.2 The Commonwealth Games were, initially proposed to be held in 15 sports disciplines, but keeping in view the country's medal prospects, 3 more disciplines namely Cue Sports, Archery and Tennis were proposed to be included. The CGF has approved inclusion of only two more disciplines i.e. Archery and Tennis. Hence, these games will now be held in the following 17 disciplines:

1. Archery
2. Athletics
3. Aquatics
4. Badminton
5. Boxing
6. Cycling
7. Gymnastics

8. Hockey
9. Lawn Bowls
10. Net Ball
11. Rugby 7s
12. Shooting
13. Squash
14. Table Tennis
15. Tennis
16. Weightlifting
17. Wrestling

In addition to the above sports disciplines, competitions will also be held for Elite Athletes with Disability (EAD) in four disciplines viz. (i) Athletics, (ii) Powerlifting (iii) Table Tennis and (iv) Swimming. The medals under this category are also included in the overall medals tally of a participating country. A brief write-up on each of the above mentioned 17 sports disciplines, is given in **Annexure-I.**

2.3 The Commonwealth Youth Games will be held fro 12th to 18th October, 2008 in Pune in 9 disciplines: Athletics, Badminton, Boxing, Shooting, Swimming, Table Tennis, Tennis, Weightlifting and Wrestling.

2.4 The Commonwealth Games, 2010 present an excellent opportunity not only to showcase India's organizational capacity to host such a major international event but also to herald the emergence of India as a significant sporting nation in the world. Performing before home crowds would boost the confidence of Indian sportspersons and inspire them to give match winning performances. Even for sports which are relatively new for our sportspersons such as Netball, Rugby 7s, home crowds expect creditable performances even though they may not necessarily lead upto medals. Needless to say that performance of countries in international competitive sporting events has become so inextricably linked to national pride that an event of this magnitude being held in the country inevitably builds up great expectations among the public from the athletes. The Commonwealth Games Delhi 2010 therefore, is an event for which our elite sportspersons have to be best prepared so that they can achieve their highest level of performance.

2.5 The total number of medals at stake in the various disciplines in the Commonwealth Games, 2010 will be 863 (277 Gold, 277 Silver and 309 Bronze), including the medals under the category EAD.

2.6 Taking into consideration, the current levels of performance of our elite sportspersons, the scope for improvement and their performance in the Manchester Commonwealth Games, 2002 and Melbourne Commonwealth Games, 2006 where India won 69 medals (Gold-30, Silver-22, Bronze-17) and 50 medals (Gold-22, Silver-17, Bronze-11) respectively, a target of winning 96-127 medals has been set for the Commonwealth Games 2010 to be held in Delhi. This should place India among top three nations in the medals tally. These have been placed at **Annexure-II.** A statement showing the performance of Indian Teams in the last three 'Commonwealth Games' is attached as **Annexure-III.**

3. OBJECTIVES

- To improve India's competitiveness in international sports and to enhance the medals tally in major international events, particularly, the Commonwealth Youth Games, 2008 and Commonwealth Games, 2010 ;
- To institutionalize a system for preparation of elite sportspersons for prestigious international competitive events which would inter-alia, also include qualifying championships for major international events ;
- To provide state of art training and better competitive opportunities to elite sportspersons/medal prospects; and
- To develop a system of selection of sportspersons based on performance monitoring in the run upto the international event.

4. EXISITING SCHEME/S OF THE MINISTRY

4.1 Under the various on-going schemes of the Ministry of Youth Affairs and Sports, financial assistance is extended for training of the sportspersons within the country and abroad, for conducting Coaching camps, for participation of

sportspersons in major International Championships/events, for organizing International competitions, etc.

4.2 These schemes are designed to cater to the training/coaching requirements of sportspersons in various disciplines with the objective of improving performance in an approaching international event. In most cases foreign training capsules precede the international event so that the athletes proceed directly from the foreign training to the event. The same is true for coaching within the country where coaching camps are held just prior to a particular event and even coaches are engaged for specific events. The Government plays the role of the provider and on the basis of requests by the National Sports Federation for a particular capsule of training/coaching/foreign exposure/competitions for a set of athletes, after exercising due diligence in respect of their selection and other criteria, provides the necessary funding. In other words the schemes provide a general framework within which National Sports Federations desirous of sending teams for coaching, training exposure (both in India and abroad), engagement of Indian and Foreign coaches can avail of Government assistance within the parameters of the Scheme.

4.3 The Schemes are not centric to a particular set of elite athletes and therefore do not cater to the overall requirements of these athletes over a medium/long term. Hence within the framework of these schemes, it may not be possible to take up in a focused manner the training and preparation of selected elite athletes/medal prospects for an event like the Commonwealth Games, 2010.

5. GAPS WHICH NEED TO BE ADDRESSED

(1) Lack of continuity in the training of athletes. Long gaps in training/coaching lead to performance levels reverting to original.

(2) Inadequate planning of calendar of training/competitions which results in lack of recovery by the athletes so that they are unable to take the desired load.

(3) Lack of dietary supplements which need to be given to athletes under the supervision of competent nutritionists and sports doctors.

(4) Inadequate support of sports specialist doctors who can coordinate with coaches and masseur/masseuse on continuous basis.

(5) Lack of advanced equipment to monitor physical fitness and performance levels of athletes.

(6) Engagement of top level foreign coaches in inadequate numbers for insufficient periods of time who can use advanced and innovative techniques.

(7) Indian coaches lack skills and techniques.

(8) Dearth of latest, world class equipment for athletes which are necessary for world class performance.

(9) Loss of valuable training time of athletes as they have to travel sometimes long distances in the country for training/competitions by train/road.

(10) Limited foreign exposure in respect of training/coaching/competition.

(11) Menace of doping which leads to disqualification of athletes and their demoralization.

(12) Insufficient infrastructure including hostels and training facilities etc. at centres of Sports Authority of India, which could simultaneously cater to the training requirements of elite athletes of all the disciplines.

(13) Inadequate, insufficient and outdated equipment training aids and scientific support arrangements at SAI Centres.

(14) Lack of monitoring system to assess the impact of training/coaching on athletes and whether the desired results are being achieved.

6. PROPOSED SCHEME

6.1 This Scheme is specifically designed to cater to the requirements of a core group of elite athletes, who will be medal probables for the Commonwealth Games, Delhi 2010. The Commonwealth Games 2010 would be held in 17 disciplines along with events for Elite Athletes with Disability (EAD). It has been envisaged under the Scheme that around 3 to 4 times the number of athletes who will actually represent the country in each discipline would be taken up for

comprehensive and intensive training for these Games. A statement showing the number of sportspersons in the Core Group vis-à-vis the number of sportspersons who will actually participate in the Commonwealth Games, 2010 is attached as **Annexure-IV** The schedule of training, exposure, competition etc. would cover a period of **305** days in a year. The training would comprise domestic and foreign components. Foreign coaches would also be engaged wherever required. The probables will be exposed to international competitions which will form part of their annual schedule of training and exposure. Scientific support facilities in the nature of Scientific/ Medical equipments would be provided during their training in India along with the services of physical trainers, physiotherapists, masseurs, sports science experts, etc. Psychological support through experts would be provided for sports where high levels of concentration are critical for improving performance. Appropriate food supplements would be provided for athletes of power sports and those sports which entail vigorous physical exercise. The physical infrastructure at the centers of Sports Authority of India including hostels, training facilities, equipment and scientific back up arrangements would be upgraded to provide state of art facilities to cater to the requirement of these athletes for their training/coaching in India. The Scheme will be implemented through the Sports Authority of India (SAI)

6.2 A monitoring system based on monitorable parameters in respect of progressive improvement and physical fitness for each discipline would be put in place. The monitoring system would be used to evaluate the performance of each athlete from the core group and take a view in respect of his/her continuance or replacement in the core group. In this manner in the run up to the Games the athletes with the highest performance levels would be able to represent the country in the Games.

6.3 Test events will be conducted for each discipline closer to the Games. These will help familiarize the selected athletes with the newly created venues in a competition environment. It will also assist in evaluating the performance levels of the athletes.

7. WHAT IS TO BE DONE

(1) For each of the 17+1 (EAD) disciplines of the CWG, 2010, a group of elite athletes will be selected who will form the Core Group of Probables for that particular discipline. The number of this Core Group will be around 3 to 4 times the numbers of sportspersons who will actually represent the country in that discipline in the CWG 2010. A list indicating number of elite sportsperson (medal probables) in each discipline and the number of Coaches and supporting personnel is at **Annexure V.** These probables will be selected with the objective of achieving highest performance level in the CWG, 2010. The selection criteria will take into consideration current performance levels, achievements at international and national level, potential for attaining medal winning performance and age criteria to assess whether the athletes can remain at their peak levels of performance by end 2010.

(2) Annual training schedules for these athletes will be drawn up which will include training (in India and abroad), high altitude training wherever required, coaching, competitions (India and abroad) to cover **305** days in a year. Continuity of training will be ensured.

(3) The best available Indian coaches would be engaged as also top level foreign coaches. Continuity of foreign coaches wherever required will be maintained.

(4) The SAI Centers identified for training of this core group of probables will be adequately strengthened in terms of accommodation, training infrastructure and facilities, sports science back up equipment, performance monitoring equipments, etc. It is intended that these centers be developed into Tier 1 centers which would have state of art facilities comparable to the best in the world.

(5) On the basis of annual calendars drawn up well in advance, reservations for the foreign training/exposure capsules can be made timely in the concerned foreign institutions. Similarly top of the line foreign coaches can be booked/hired

in advance when there is a certainty in respect of their eligible remuneration and period of engagement.

(6) Indian coaches will be sent for advance level coaching abroad wherever necessary.

(7) Competent doctors with specialization in sports sciences, physiologists, physiotherapists, masseurs/masseuse, sports analysts, yoga instructors, psychologists depending upon the sports discipline would be made available to the Core Group of elite athletes of each discipline.

(8) The dietary requirements including food supplements would be provided under the supervision of experienced nutritionists/sports doctors.

(9) To keep the menace of doping in check; samples of these athletes will be taken and checked on a regular basis in these training centers. Seminars, workshops for the sportspersons, coaches and auxiliary staff will be conducted frequently to familiarize them with the rules and regulations and to educate them about the harmful effects of doping, banned substances, etc.

(10) "Complete Scientific Back up", with the help of Doctors, psychologists, physiologist and recovery experts, on full time basis, is proposed to be introduced for each Sports Discipline, to sustain/enhance the performance of the Core Group of athletes for the Commonwealth Games, 2010.

(11) A web based monitoring system will be developed to monitor/evaluate the progress in performance levels of the selected athletes. For each discipline a set of monitoring parameters will be developed and progress of each athlete with respect to those parameters will be recorded on a regular basis. The system will link the training centers to a Central Monitoring System. This system will assist in evaluating the improvement levels of these athletes so that appropriately decisions can be taken about their continuation or exclusion from the group.

(12) In sports where qualification for premier tournament depends upon world

other tournaments will also be organized so that Indian players can raise their world rankings. This will give them an opportunity to play against top level players in the world so that their performance levels improve and they can compete with these players in events like Commonwealth Games.

(13) 'Test Events' of international level will be organized for each discipline before the Commonwealth Youth Games, 2008/Commonwealth Games, 2010. This will not only test the newly created facilities but also enable the Indian Sportspersons to familiarize themselves with the facilities in a competition environment;

(14) Seminars, workshops, exposures for Sportspersons, Coaches, Supporting Personnel, and Officials will be organized. Publicity Campaign regarding indigenous sports, anti-doping etc. will also be conducted.

8. ROLE OF THE MAJOR STAKEHOLDERS – MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS, SPORTS AUTHORITY OF INDIA, INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION, NATIONAL SPORTS FEDERATIONS, NATIONAL ANTI DOPING AGENCY

8.1 The role and responsibility of each of the concerned agencies involved in the implementation of this Scheme commencing from the selection of elite sportspersons (medal probables) in each discipline, and training/exposure/competitions. up gradation of facilities, scientific support, etc right upto the Commonwealth Games, 2010 will be as below:

(A) MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS will

(i) Develop the framework within which the Scheme will be structured and assignment of roles to various stakeholders.

(ii) Provide support, including financial support to the other stakeholders like Sports Authority of India, Indian Olympic Association, National Sports Federations, etc. for creation/up gradation of training and related infrastructure,

selection of the core probables, training, coaching, exposure, scientific back up, organization of Test Events/National/International Tournaments, etc.

(iii) Lay down the necessary conditions for the Sports Authority of India, Indian Olympic Association and the concerned National Sports Federations etc., to comply with to ensure that the overall objectives of the scheme are achieved. Also, to lay down conditions at the time of the release of the funds to ensure that funds are utilized for the purpose for which they are intended.

(iv) Institute a system of regular testing of samples of these athletes with the purpose of putting to an end the use of doping and related unhealthy practices.

(v) Finalize the selection of the core group of athletes, coaches, support-personnel through the duly constituted 'Steering Committee'.

(vi) Finalize the Annual Calendar of Training and Competition of the core group of probables through the duly constituted 'Steering Committee'.

(vii) Monitor the progress and performance of the selected core group of probables through a monitoring system and review the performance levels through the 'Steering Committee' and 'Review Committee'.

(viii) Conduct Seminars, Workshops, training sessions for Athletes/ Coaches/Supporting Personnel/Officials, etc for enhancing their knowledge levels, professional skills, code of conduct and awareness of anti doping policy and programmes, either directly or through SAI/IOA/NSFs etc.

(ix) The Ministry will provide necessary support and assistance for the following items to the concerned agencies, in order to ensure that the LTFs, as agreed upon, are implemented ;

- For foreign exchange as required.
- For import of all sports equipment, as required.
- For customs duty exemption for these imports.

- Sponsorship and media campaigns e.g. production of audio-visuals and commercial T.V. sponsorship. for their broadcast nationally and internationally
- To upgrade the technical qualification and standards of tournament officials to enable them to do duty in major international tournaments.
- For training of athletes and coaches abroad.
- For holding and hosting of major international tournaments in India.
- For investments in infrastructure, sports promotion and sports sponsorship.
- Any other items approved by the Steering Committee.

(B) SPORTS AUTHORITY OF INDIA (SAI) will

(i) Assist (NSFs) in drawing up the comprehensive Annual Calendar of Training & Competitions (ACTC) for the Elite Athletes well in advance.

(ii) Make all necessary arrangements at their Centers including hostel facilities, training facilities, equipment, scientific support, etc for imparting state of art training to the Core Group of Athletes.

(iii) Engage the selected Coaches (Indian/ Foreign) and supporting personnel on the terms finalized by the Steering Committee.

(iv) Provide complete diet (as per requirement of the sportspersons) including food supplements under the supervision of experienced nutritionists/ Doctors of Sports Medicine.

(v) Disburse salaries to Coaches (Indian and Foreign), Masseurs, Sports Science Doctors, other supporting personnel and maintain appropriate records of the same.

(vi) Purchase sports equipment including kits for Sportspersons, scientific equipment, training aids etc required under this Scheme and maintain records of the same.

(vii) Set up a cell, to be known as 'Commonwealth Games Cell' which will have a Program Officer and a Program Assistant for each of the 17+1 disciplines of the Games. They will have specialized knowledge and expertise of their respective disciplines and will be appointed on contract basis. The cell will be responsible for providing all technical and other inputs, administrative support in respect of identification, training, competition schedule of core probables and also in respect of coaches and support personnel. The cell will also assist in drawing up of programs of the core group of probables and to monitor their progress. It will also assist in tying up with NSFs for training/competition of probables in tournaments other than mandatory/qualifying competitions and make the necessary arrangements for the athletes, coaches, etc.

(viii) Provide the necessary support to conduct Seminars, Workshops, training sessions, etc. for elite Athletes, Coaches, Supporting Personnel, Officials, etc.

(ix) Provide all necessary support/assistance, including selection of sportspersons, their training/foreign exposure, equipments etc., for the disciplines which do not have any recognized Federations in the country.

(C) INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION (IOA) will

(i) Assist in the selection and monitoring the progress of the Core Group of probables coaches, supporting personnel for each discipline through its representative on the Steering Committee.

(ii) Provide the necessary technical inputs and assist in the formulation of the Annual Calendar of Training and Competitions of the Athletes.

(iii) Make necessary arrangements for participation of core group of probables in multi disciplinary events viz. Olympics, Commonwealth Games, Asian Games etc.

(iv) Provide the necessary guidance and support for the Scheme through its representative in the Steering Committee and Review Committee.

(D) NATIONAL SPORTS FEDERATIONS (NSFs) will:

(i) Be responsible for the selection of the national teams and the management and supervision of the preparatory/training camps preceding the mandatory tournaments for the selected national teams and also their participation in these inter-country tournaments of their respective sports disciplines for which they are recognized by the concerned International Federation.

(ii) Identify the Core Group of Probables for the Commonwealth Games which would be presented for finalization to the 'Steering Committee'.

(iii) Draw up the Annual Calendar of Training & Competition (ACTC) for the elite athletes in consultation with the Sports Authority of India (SAI) which would be presented for finalization to the 'Steering Committee'.

(iv) Identify Coaches (Indian/Foreign), Supporting personnel including Doctors, Physiotherapists, Psychologists, Physiologists, Sports Analyst, Masseurs/Masseuse, etc., who are to be engaged for coaching etc of the elite athletes. These would be presented to the 'Steering Committee' for finalization.

(v) In consultation with SAI, identify the training/coaching institutes in India and abroad for training/coaching/exposure of the Core Group and negotiate with them the terms etc for the training/coaching.

(vi) Assist SAI to import/purchase of Sports equipments/kits of International standard for the use of the Core Group of Athletes.

(vii) Submit reports to SAI to enable it to monitor the progress and performance of the Core Group of Athletes of their discipline and on the basis of their performance levels suggest their continuation or deletion from the list.

(viii) Conduct tournaments like 'Challengers' Trophy, for the Sports Discipline/s where qualification for premier tournaments depends upon world rankings

(based on points earned from various tournaments), in order to improve the world rankings of Indian players and make them eligible for major tournaments.

(ix) Organize International Tournaments in India, for giving better exposure to Core group of sportspersons, in each discipline.

(x) Conduct 'Test Event/s' for their respective sports discipline in 2008-09/2009-2010/2010-11 in order to test the performance of the Core Group of Probables and identify shortcomings so that these could be addressed appropriately.

(E) NATIONAL ANTI DOPING AGENCY (NADA) will

Conduct Dope Tests, as required, on sportspersons during the entire period of training at regular intervals and before their participation in various events of the Commonwealth Games.

9. FINANCIAL ASSISTANCE

9.1 To the **Sports Authority India (SAI)** on fulfilling the requirements, as contained in the provisions of this Scheme/GFRs for the following:

(a) up gradation/renovation of existing SAI Centers including hostels, training facilities, scientific support systems, equipments etc to develop them into top level training facilities for world class athletes.

(b) for payment of salaries/fees of Coaches (both Indian and Foreign), supporting personnel such as physiotherapists, psychologists, sports science doctors, masseurs, sports analysts, etc. appointed by SAI with the approval of the Steering Committee.

(c) for providing comprehensive diet (as per requirement of the sportspersons) including food supplement, during the training programmes and during participation in various tournaments to be held in India and abroad.

(d) for operating the cell, to be known as 'Commonwealth Games Cell' which will provide administrative support to the 'International Sports Division' of the Ministry and other support for the Scheme.

(e) for import/purchase of Sports/Science/Medical equipments/Kits of International standard and also indigenous products, as per the requirements of the scheme.

(f) for organizing Seminars, Workshops, Training sessions for elite athletes as well as supporting personnel and officials whenever required.

(g) for training and competition schedule in India, the travel expenses, incidentals etc for the elite athletes, coaches, etc.

(h) for setting up of web based monitoring system, development of data base, monitoring by the Committees, convening of meetings on preparation of the teams for the Games, for conducting seminars, workshops, orientation programmes, media and publicity campaigns, training/exposures of associated personnel in India and abroad, etc. in relation to the preparation of the teams as well as for the conduct of the Commonwealth Games.

9.2 To the **National Sports Federations :**

(a) for conducting preparatory camps for the selected core probables in the national teams and their participation in the mandatory and other recognized inter-country competitions in India or abroad, allotted by the concerned international federations/bodies, as may be approved by the Ministry of Youth Affairs & Sports for the period from 2007 to 2010 (including for Commonwealth Youth Games, 2008). This would cover Entry Fees, Registration Fees, Accommodation/per diem Charges, Training Fee, Air Passage, Incidentals, etc.

(b) for sending core probables abroad for training and participation in tournaments.

(c) for conducting 'Test' event/s in 2008-2009/2009-2010/2010-11 in their respective sports disciplines in order to test the facilities and the performance of the elite athletes.

(d) for conducting various tournaments like Challengers' Trophy for the Sports Discipline/s where qualification for premier tournaments depends upon world rankings (based on points earned from various tournaments), in order to improve the world rankings of Indian players.

Each NSF shall give an undertaking that it shall not pass any of these costs to the players or their families. All expenses over and above the prescribed pattern shall be met by the concerned NSF from its own resources.

9.3 To the **National Anti Doping Agency (NADA)** for conducting Dope tests, as required, of sportspersons during their training programmes as well as before the commencement of the Commonwealth Games, 2010 ; and

9.4 To the **Ministry of Youth Affairs and Sports** for incurring expenditure on related matters like setting up of web based monitoring system, development of data base, monitoring by the Committees, convening of meetings on preparation of the teams for the Games, for conducting seminars, workshops, orientation programmes, media and publicity campaigns, training/exposures of associated personnel in India and abroad, etc. in relation to the preparation of the teams as well as for the Commonwealth Games, 2010.

10. LONG TERM FRAMEWORK (LTF):

10.1 The LTFs are specifically designed to cater to the requirements of a core group of elite sportspersons in each discipline who will be medal probables for the Commonwealth Games, 2010. It has been envisaged under the Scheme that 3 to 4 times the number of sportspersons who will actually represent the country in each discipline would be taken up for comprehensive and intensive training for these Games. The schedule of training, exposure, competition etc. would cover a period of up to **305** days in a year. The training would comprise domestic and foreign components. Foreign coaches would also be engaged

wherever required. The probables will be exposed to international competitions which will form part of their annual schedule of training and exposure. Scientific support facilities in the form of Scientific/ Medical equipments would be provided during their training in India along with the services of the Support Personnel i.e. physical trainers, physiotherapists, masseurs/masseuse, etc. Psychological support through experts would be provided for sports where high levels of concentration are critical for improving performance. Appropriate food supplements would be provided for athletes of power sports and those sports which entail vigorous physical exercise. The physical infrastructure at the Centers of Sports Authority of India including hostels, training facilities, equipment and scientific back up arrangements would be upgraded to provide state of the art facilities to cater to the requirement of these athletes for their training/coaching in India. LTF would be for a period of three years and will be a rolling plan with Annual Calendar of Training & Competitions (ACTCs) and both will be reviewed annually for modification in the light of performances and other factors.

10.2 A monitoring system based on measurable parameters in respect of progressive improvement and physical fitness for each discipline would be put in place. The monitoring system would be used to evaluate the performance of each athlete from the core group and take a view in respect of his/her continuance or replacement in the core group. In this manner in the run up to the major mandatory events, the athletes with the highest performance levels would be able to represent the country.

10.3 The LTFs will be prepared by NSFs in consultation with SAI and implemented by NSFs/SAI. The ACTCs will specify the calendar of events for the year and the respective roles and responsibilities of the SAI, NSFs and other stakeholders. Broad Guidelines for drawing of LTFs are given at **Annexure- VI.** SAI/NSFs may engage technical experts or professionals to provide assistance to prepare detailed plans and also to follow-up in implementation. The term of appointment of the technical experts or the professionals, as the case may be, should correspond with the plan cycle and will be approved by the Steering Committee.

11. COMPONENTS OF THE SCHEME

The scheme will provide Central Assistance in the form of grants-in-aid subject to all such conditions as stipulated under the Scheme and keeping in view the provisions of the General Financial Rules (GFRs), Delegation of Financial Power Rules (DFPRs) and such other decisions/instructions issued from time to time, by Government as applicable, for the following purpose/s:

A) Comprehensive Training and Coaching programme in India and abroad for up to **305** days in a year for the selected group of elite athletes till the Commonwealth Games, 2010 and exposure and participation in international and national events and competitions, subject to the condition that the maximum duration of foreign exposure through mandatory and other competitions as well as training/coaching abroad shall not normally exceed 75 days per year for the core group of elite players.

B) Development/Up gradation/Renovation of Infrastructure at SAI Centres to cater to the requirements of the elite athletes as approved by the Steering Committee.

C) Procurement of Sports/Science/Medical Equipments for equipping SAI Centres with latest state of art facilities as approved by the Steering Committee.

D) Appointment of national/foreign coaches, including scientific backup and supporting personnel, etc. as approved by the Steering Committee and

E) Organization of International Tournaments in India, for each discipline, included in the Commonwealth Games, 2010.

11.1 Comprehensive Training & Coaching Programmes of Elite Athletes abroad

11.1.1 Objective

The main aim of this component is to impart state of the art training, coaching, exposure to the elite sportspersons and their participation in national and international events from 2008-2010 with the objective of achieving highest performance levels till the Commonwealth Games, 2010 so that the tally of medals can be maximized.

11.1.2 Eligibility

(i) Since the scheme is specifically targeted for enhancing the performance of athletes in the Commonwealth Games, 2010 and increasing the medals tally, assistance, under this component of the scheme, shall be provided to the Sports Authority of India, IOA and those National Sports Federations the sports disciplines of which are included in the Commonwealth Games, 2010. The Sports disciplines not included in the Commonwealth Games, 2010 would continue to be covered under the regular schemes of the Ministry for assistance as would sports persons of Commonwealth Games, 2010 sports disciplines who are not included in the Core Group of Athletes.

The IOA and these National Sports Federations must :

a) maintain basic standards, follow norms and procedures and also conform to the high principles and objectives laid down by the concerned International Federations.

b) ensure fair play in sports and fair, equitable and transparent manner in selection;

c) follow proper, democratic and healthy management practices which provide for greater accountability and transparency at all levels;

d) have proper accounting procedures at all levels and produce annual financial statements to the Ministry, as and when asked to do so;

e) present an annual report within six months of completion of the year;

11.1.3 Pattern of Assistance

FOREIGN EXPOSURE (For training and participation in International Competitions as per ACTC approved by the Steering Committee)

(a) Passage cost: (i) Excursion fare, wherever possible, in Economy class air passage by shortest route both-ways from the place of residence in India to the destination along with incidentals (as per actuals), such as airport tax, visa fee, medical insurance during passage and stay abroad, other taxes/fees of mandatory nature.

(ii) Usually, local transport abroad is provided by the organizers of the foreign competition. Only in the event of non-availability of such a facility, the Government will reimburse the actual cost of transport between airport and place of stay and between venue of competition and place of stay for all official visits on taxi/ local public transport ;

Excursion fare, wherever possible, in Economy class air fare will be given to the Core Group of Athletes, Coaches and Supporting personnel for attending competition/training programmes (both National and International) from their Home Town (nearest airport) to the place of competition/training, to avoid loss of time.

(iv) The Government will negotiate the best deal rates with the approved public/private travel agents by way of getting the benefit of mileage points, coupons for domestic/international travels, excursion fares on fixed routes/dates, concessional fares by different airlines, seasonal discounts etc. This will be worked out for the Ministry as well as SAI travel requirements. Only those travel agents who give excellent quality of service at the best rates will be empanelled on an annual basis.

(b) Board and Lodging: As per actuals for cases where the organizers make all the arrangements and the charges are mentioned in the invitation letter/prospectus. In other cases, accommodation on twin-sharing basis (including breakfast) as per actuals, subject to a ceiling of $60 per head per day. If breakfast is not included, then $15 for breakfast will also be given. Also, a daily allowance of $40 per day @ $20 each for lunch and dinner will be paid. The payment of boarding cost shall be made through a lump sum daily allowance of $55 (including breakfast) or $40 (excluding breakfast).

(c) Extra Baggage cost: As per prior approval of the Ministry, in the event of any exigencies, Government will reimburse Extra Baggage Cost, as per actuals, per person for carrying sports equipment etc., on production of supporting documents.

(d) Incidental costs: 25% of D.A. per person per day to meet the cost of incidentals, where full boarding/lodging cost is covered by the organizers during participation in International events and also for undergoing training/coaching abroad. The concerned NSF shall undertake to pay any additional amounts required to be paid for the items from (a) to (c) above or any other incidental expenditure for meeting the genuine requirements of the team or any of its members or coach/support personnel etc. NSFs will also undertake not to pass on any of these costs to the sportspersons (medal probables) or their families.

(e) Cost of transportation and hiring of equipment : Cost of transportation and hiring of equipment/infrastructure locally to be paid, as per actuals, for instance ammunition in the case of Shooting etc., subject to local rules;

Cost of hiring or procurement of equipment and consumables for practice at the venue or other mandatory payment required by the organizer as per the invitation letter will also be re-imbursed, as per actuals.

11.2 Comprehensive Training & Coaching Camps/Programmes of Elite Athletes in India :

Financial assistance will be provided i) for organizing Coaching Camps in different SAI Centers and ii) for participation of elite sportspersons in various competitions to be organized in India which will be as under:-

(a) Passage Cost: Excursion fare, wherever possible, in Economy class air passage by shortest route both-ways;

(b) Operational Costs: SAI will get @ Rs. 250/- per head per day for boarding; and accommodation in SAI hostels for the players and in SAI guest houses for the coaches and other support personnel. SAI will determine a realistic rate on an average to cover its actual expenses on accommodation as well as all other operational costs for consumables and non-consumables, including repair and maintenance of equipment, utilities costs, and get it approved by the Steering Committee for each year. SAI will charge the same rates from other organizations such as NSFs for holding their national teams' preparatory camps etc. Government will finance the NSFs on the same scale even if the NSFs hold such camps elsewhere.

(c) Sports kit: Actuals up to Rs.10, 000/- per head per year will be provided to all the sportspersons and their coaches, for attending Training/Coaching Camps and participation in tournaments in India.

(d) Medical Insurance: The Government will also finance SAI to pay the premium towards medical insurance for the selected elite probables, coaches, technical and support personnel.

11.3 COACHING FEE/SALARY OF COACHES

11.3.1 Coaches of SAI:

(i) Upto Rs.59,000/- per month for Chief coach which can be increased by 10% per annum from the second year of the scheme on the basis of performance, as assessed by the Steering Committee.

(ii) Upto Rs.30,000/- per month for an Assistant coach which can be increased by 10% per annum from the second year of the scheme on the basis of performance, as assessed by the Steering Committee.

(iii) The appointment of the chief/assistant coaches for the elite players may be for a period of three years or till the conclusion of the Commonwealth/Asian Games in 2010. However, the terms and conditions shall include the minimum number of players that shall be trained by the coaches, the nature and measurable levels of proficiency that will be achieved by the trainees such as performance levels of the core probables, individually as well as teams, milestones to be achieved every quarter for each player, monitoring and review by experts, performance-based incentives and disincentives, as may be approved by the Steering Committee.

11.3.2 National Coaches of NSFs:

i) Each concerned National Sports Federation relating to disciplines included in Commonwealth Games, 2010 will be entitled to appoint a NATIONAL Coach. The National coach must have the following qualifications:

a. Diploma/degree from NSNIS or any foreign institute/university recognized by the Government or he/she may be an ex-Olympian, or international and engaged as a full time professional coach.

b. Minimum of 5 years coaching experience in coaching of the national teams for international competitions

ii) The selection of the National Coach will be done by a Committee, with President of the concerned NSF as its Chairman, ED(TEAMS), SAI, two senior /

ex-national / international level coaches and one ex-international player (preferably an Arjuna Awardee or an international medal winner) to be nominated by the NSF as its members, from a panel prepared by the NSF. The National Coach will be appointed by NSF after careful consideration of the name after formal approval of the Steering Committee under this scheme.

iii) The National coach will be appointed for a term co terminating with Commonwealth Games 2010.

iv) A regular evaluation of National Coach/Assistant Coach will be done by the NSFs every six months on the basis of their performance in national and international championships and submitted to the 'Steering Committee', by the concerned NSF. Continuation of the Central grants shall be subject to acceptance of the evaluation by the Steering Committee.

v) The Government will reimburse the salary of the National Coach, which shall be up to a maximum of Rs.50000 per month depending upon the coaching credentials, partial or full availability and experience of the person concerned. For coaches who are in regular employment or self employed in sports area, it would be mandatory to disclose details of employment, its nature and compensation package, if any and while recommending his/her appointment as National Coach it would be ensured by the Selection Committee that he/she does not have any conflict of interest. The National Coach will be accountable for overall performance of the sportspersons/teams selected by the NSF of the sport.

vi) In exceptional circumstances, as approved by the Steering Committee, the Government may decide to reimburse the salary of one Assistant Coach, which shall be up to a maximum salary of Rs.30000 per month, depending upon the requirement of the sport discipline and role and contribution of the person selected. The Assistant Coach will have proper qualification and experience of coaching the national/state level teams and shall be appointed as per recommendations of the Committee constituted for selection of the National Coach. The procedure for appointment of the Assistant Coach will be the same as indicated above in respect of the National Coach.

vii) The Team of Coaches, sports sciences experts etc. shall not normally be changed or modified once chosen until the conclusion of the Commonwealth Games, 2010

11.3.3 Foreign Coaches/Technical Advisers

(i) Foreign coaches or technical advisers shall also impart training/coaching or capacity building of the Indian Coaches/technical experts. Since the training of coaches/technical experts can be best done while practical training/coaching of the core elite players/teams is also underway, SAI may engage them as a part of their **'Long Term Framework (LTF)'**. However, foreign coaches/experts shall be appointed by SAI for a period of six months in a year, extendable upto one year, as per negotiated terms and conditions of employment approved by the Steering Committee and on the basis of the performance of the Coach. However, the terms and conditions shall include the minimum number of coaches/experts that shall be trained by the foreign coach/expert, the nature and measurable levels of proficiency that will be achieved by the trainee coaches/experts (such as passing some benchmarked exams of international standing), performance levels of the core probables, individually as well as teams, periodic milestones to be achieved for each trainee, monitoring and review by experts, performance-based incentives and disincentives, as may be approved by the Steering Committee.

ii) In the case of an NSF desiring to appoint a foreign coach/expert for training the national teams, such appointment shall also be subject to the same conditions as mentioned above and the approval of the Steering Committee, including the terms and conditions of engagement. Such appointments shall be for a maximum period of one year and extendable by six months at a time, as per negotiated terms and conditions of employment approved by the Steering Committee and on the basis of the performance of the Coach and further subject to reimbursement by the Government of salary upto a monetary ceiling of USD 5000 per month. However, in exceptional circumstances, the 'Steering Committee' may recommend for reimbursement exceeding USD 5000 per month to the "Review Committee" and on the approval of the Government

only foreign coach could be reimbursed a salary of more than USD 5000 per month.

(ii) Selection of the foreign coaches/experts will be done by the Steering Committee on the basis of their past experience, credentials etc. in relevant sports disciplines.

11.4 Organization of International Tournaments in India :

i) National Sports Federations will be assisted for holding of open international tournaments in India by providing Board & Lodging, Transportation, Actual Rent of playfields, Cost of consumable equipments including Certificates, Medals and prize money. The scales for prize money would be as under :

1. World Cup/ World Championship : **Rs. 1.00 Crore**
2. Commonwealth/Asian Championship : **Rs. 0.50 Crore**

The above financial assistance will however be subject to participation of at least six countries in the event.

ii) The request/s, with all required details, for seeking financial assistance will have to be submitted to the Steering Committee atleast three months before the date of the championship.

11.5 Fee/ Salary of Supporting Personnel :

i) Financial assistance will also be extended to SAI for making payment/s in respect of consolidated Salary or professional fees of Supporting Personnel and Officers of Commonwealth Games Cell who will be taken on contract basis as per details given below:

Sl. No.	Supporting Personnel	Salary/Fee	
		Full Time (Rs./month)	Part Time* (Rs./per visit)
1.	Doctors (Sports Medicine)	50,000/-	1500/-
2.	Physiotherapists	40,000/-	1200/-
3.	Physiologists	40,000/-	1200/-

4.	Psychologists	40,000/-	1200/-
5.	Biomechanists	40,000/-	1200/-
6.	Biochemists	40,000/-	1200/-
7.	Sports Analysts	30,000/-	1000/-
8.	Nutritionists/Dieticians	30,000/-	1000/-
9.	Masseur/Masseuse	20,000/-	600/-
10.	Escorts (EAD)	10,000/-	300/-
11.	Programme Officer (CG Cell)	30,000/-	---
12.	Programme Assistant (CG Cell)	15,000/-	---

• ***The number of visits normally should not exceed thrice a week.***

ii) SAI will also be asked to ensure that the services of such support personnel are shared among all the disciplines at one SAI center to ensure full utilization of their professional services.

11.6 Memorandum of Understanding (MOU) between SAI and concerned NSF:

A binding bi-partite Agreement will be signed between SAI and the concerned NSF clearly specifying the role of the two agencies, as per agreed LTF and ACTCs and specific targets in terms of performance for NSFs. The MOU will also indicate the penalty clause for not meeting the commitments or targets. The draft agreement will be finalized by SAI in consultation with NSFs and will be got approved by the Steering Committee. Incorporations/deletion of any provision of the MOU may be considered by the Steering Committee on the basis of feedback/experience during its implementation.

11.7 Sports Equipments

SAI will be assisted for getting required equipment, both consumable and non-consumable, under the scheme, on a realistic basis and on the proposal received from them in the prescribed format, along with a list of equipments to be purchased, with full justification. The Steering Committee will give approval for the procurement of such equipment and prescribe financial ceilings for such procurement for each SAI center. For the Sports equipments proposed to be imported, these may be imported only from the reputed foreign manufacturers or their authorized representatives in India and they should conform to the Standards set by the concerned International Federation. For the equipments proposed to be purchased from the indigenous suppliers, these should be from

the suppliers who are on DG,S&D or SAI rate contract. For proprietary and preferred equipment, SAI shall constitute procurement committees of technical and financial experts to scrutinize the tenders/quotations to assess their reasonableness and negotiate the prices. In all cases of procurement or hiring of equipment, SAI shall follow the prescribed procedures and financial delegations as per its Memorandum of Association and financial bye-laws. Custom duty exemption on imported equipments would also be admissible.

11.8 INFRASTRUCTURE

11.8.1 Objective

The main aim of this component is to facilitate creation/upgradation of Sports Infrastructure in the SAI (Sports Authority of India)'s Training Centres/Coaching camps throughout the country, in order to provide the best in terms of training facilities at par with international standards to the Core Group of Elite Sportspersons (medal probables) in order to maximize the medals tally in the Commonwealth Games, 2010.

11.8.2 Eligibility

The grant will be availed by the Sports Authority of India (SAI). SAI will have to adopt a project mode so as to ensure timely completion of the works and proper utilization and maintenance of the facilities/infrastructure created.

11.8.3 Submission of Application

i) All the applications must be submitted to the Ministry, by the SAI with all requisite details.

ii) Sports Authority of India (SAI) is expected to scrutinize the applications and satisfy themselves about its necessity and genuineness before forwarding the same to the Ministry. Incomplete and ineligible cases should not be sent to the Ministry.

11.8.4 Completion Certificate

After completion of the work, a Completion Certificate from concerned Engineer should be sent together with the Statement of Accounts of the total

expenditure incurred. The last installment amounting to 25 per cent of the total grant sanctioned will be released after the receipt of the Completion Certificate.

11.9 Procurement of Sports/Scientific/Medical Equipment and assistance for participation of Supporting Personnel in the training of elite sportspersons. Participation in Workshops, Seminars, Training Modules, Publicity Campaigns, etc.

11.9.1 Objectives

Sports Science is a technique that studies the application of scientific principles and methods with the aim of improving sporting performance. Sports Science basically provides a support system to synthesize and apply theoretical concepts from Exercise, Physiology, Anthropometry, Bio-mechanics, Sports nutrition, Sports Bio-chemistry and Sports Psychology to elite sports. Sports Science is useful in various ways as given below;

I) To perform a multidisciplinary need analysis, design training programme/s in effective manner and also determine intervention techniques during different phases of training;

II) To monitor the performance of the sportspersons/athletes and suggest further inputs based on analysis of workouts.

III) To identify the right talent for a particular sports discipline.

IV) To assess the demands of the particular sports discipline;

11.9.2 Pattern of Assistance:

1) SUPPORTING PERSONNEL

i) For attending specialized training/course

Assistance will be provided to Coaches, Sports Specialists/Supporting Personnel/Related Officers employed by SAI on full-time basis, for undergoing specialized training abroad in subjects, for which facilities are not available inside the country. The assistance shall be provided to an individual for a period

not exceeding one year. Not more than four persons will be sent for such specialized training/coaching abroad every year. The pattern of assistance shall be as per usual norms prescribed by GOI for foreign training.

ii) Holding/participation in seminars, conferences, workshops, orientation programmes and publicity campaigns etc. :

Provision shall be made for holding/participation in seminars, conferences, workshops etc. on subjects relating to achieving excellence in sports to coaches/experts/supporting personnel/ officials and for their participation in the seminars/conferences and also publicity campaigns on related subjects such as popularizing indigenous sports for getting international recognition etc. Officers and other employees of GOI/SAI and elite players will be provided assistance under this component for holding/participation in such activities as per following norms:

(a) Excursion fare, wherever possible, in Economy class air-fare from place of residence to the venue of the camp/conference, both sides ;

(b) The scale of assistance, for Board & Lodging, along with incidentals (as per actuals, shall be as per usual norms prescribed by GOI for foreign training.

(c) Fees to be paid to the expert holding the camp on a realistic basis ;

(d) Assistance for holding the seminars/workshops etc. on a realistic basis. Facility available with the Sports Authority of India should be availed for the purpose.

(b) Production of publicity related material.

iii) Participation in seminars, conferences, workshops, orientation programmes and publicity campaigns etc. abroad

Coaches/experts/supporting personnel/officials may be assisted for attending seminars/conferences/workshops etc. provided the 'Monitoring Committee' is convinced of the utility and relevance of these

seminars/conferences/workshops to the current task of the coaches/supporting personnel/officials.

Assistance may be considered on the same scale as for participation of national teams abroad.

2) SCIENTIFIC BACKUP

The financial assistance will be extended to the Sports Authority of India (SAI) for procurement of equipment and instruments required at SAI for setting up state of art scientific and medical back up facilities.

11.10 Release of Central Grants

11.10.1 All the funds shall be released directly to the SAI through the office of the Pay & Accounts Office in the form of grants-in-aid by the Ministry of Youth Affairs & Sports in one or more installments as decided by the Government from time to time. In the case of NSFs, the grant may be released directly to the concerned Federation for certain activities such as conduct of tournaments and national coaching camps outside SAI. In other cases, the grant may be released through public sector travel agents or SAI, or directly to the players for participation in foreign training/exposure visits or in the event of the NSF becoming ineligible to receive grants from Government.

11.10.2 Release of the Central grant for purchase of sports equipments in first instance, will be made, not exceeding 75% of the total grant sanctioned, as first instalment to the grantee. The actual release, however, shall be made only on receiving a pre-stamped receipt (PSR) as per prescribed proforma-complete in all respects from the grantee. The rest of the sanctioned amount shall be released only after receiving utilization certificate and expenditure statement/audited statement of accounts from the grantee organization and only after the sanctioning authority is convinced beyond any doubt, that the grantee did actually incur the expenditure as per the terms and conditions mentioned in the sanction letter.

11.10.3 The second and subsequent installments in other cases shall be released only after a thorough review of the performance of the core probables, coaches/experts, progress of grounding infrastructure and equipment etc. and their proper maintenance and operation. Further, the grantee shall have to comply with the usual conditions of submitting in the prescribed format the Audited Accounts, the Utilization Certificate (UC) and other documents, as mentioned in the sanction letter, in respect of the previous installment of assistance. The UC should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilized were in fact reached and if not, the reasons therefor. The Utilization Certificate should be counter-signed by a competent authority not below the rank of Deputy Secretary and it must show the total expenditure, as also the investment of other agencies and sponsors, if any. The Progress Report should indicate, inter-alia, the items of work completed, partly compete/incomplete and the anticipated expenditure likely to be incurred on the completion of all the incomplete items of work.

11.11 Conditions for release of Central Grants

11.11.1 The Govt. Organization to whom the central grant is sanctioned/to be sanctioned is referred to as "grantee organization" and the office bearer to whom the grant is released/ to be released is referred to as "grantee" in the following paragraphs.

11.11.2 The accounts of the Sports equipments purchased out of the Grants released to the Grantee, shall be maintained properly and separately and submitted as and when required. They shall always be open to check by an officer deputed by the Government of India and also for audit by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

11.11.3 The grantee shall maintain a record of all assets acquied wholly or substantially out of Government grant and maintain a register of such assets in the prescribed proforma. Such assets shall not be disposed off, encumbered or utilized for purposes other than for which the grant was given, without prior

sanction of the Government of India. Should the agency cease to exist at any time, such properties shall revert to the Government of India.

11.11.4 When the Government of India have reasons to believe that the sanctioned grant is not being utilized for the approved purpose the payment of grant may be stopped and the earlier grants recovered.

11.11.5 Any unutilized amount, out of the total grants sanctioned/released in a particular year, at the end of the financial year, has to be refunded to the Government or permission to carry forward the amount to the next financial year may be sought by the grantee, to utilize the amount in next financial year, otherwise penal interest, as applicable, shall be charged from the grants, as per the provisions of the General Financial Rules.

11.11.6 It shall be binding on the grantee organization and the grantee to abide by all the terms and conditions mentioned in the sanction letter and the decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Youth Affairs and Sports on the question as to whether there has been any breach or violation of any of the terms and conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding on the grantee.

11.11.7 The grantee organization (in case of an NSF/NGO) shall be required to execute a bond on a prescribed proforma before grants are released for the purpose. The accounts of the Training Modules/Seminars/Workshops etc. conducted under the Scheme shall be maintained properly and separately and submitted as and when required. They shall always be open to check by an officer deputed by the Government of India and also for audit by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

11.11.8 Sanction of the Central grant for a particular Training Module/ Seminars/Workshop etc at first instance, will be made, not exceeding 75% of the total grant sanctioned, as first installment to the grantee. The actual release, however, shall be made only on receiving a surety bond and a pre-stamped receipt (PSR) as per prescribed proforma-complete in all respects from the grantee. The rest of the sanctioned amount shall be released only after

receiving utilization certificate and audited statement of accounts from the grantee organization and only after the sanctioning authority is convinced beyond any doubt, that the grantee did actually incur the expenditure as per the terms and conditions mentioned in the sanction letter.

11.11.9 The grantee organization shall furnish to the Ministry of Youth Affairs and Sports, performance report/s as may be prescribed or required from time to time, indicating both the physical and financial achievements within three months after completion of the Training Module/Workshop/Seminar etc.

11.11.10 Any unutilized amount, out of the total grants sanctioned/released in a particular year, at the end of the financial year, has to be refunded to the Government within one month of the conclusion of the event for which the grant was given, otherwise penal interest, as applicable, shall be charged from the grantees, as per the provisions of the General Financial Rules.

11.11.11 Manager and Coach accompanying the team, for participation/training in National/International Tournaments, will submit a 'Performance Report' to SAI and MYAS soon after the completion of the Tournaments. The release of subsequent installment of grant will be subject to the submission of this report.

11.11.12 Apart from individual responsibility of the player, Coach as well as Manager will be responsible for the conduct of the player during the entire period of competition and this will form part of the report.

11.11.13 The cost of the visit of the manager will be admissible only for women teams provided the proposed person has been engaged with the federation as manager on regular basis for a minimum period of last one year.

12. OPERATION OF THE SCHEME

12.1 The Implementation of the Scheme will start with the selection of the Core Group of probables for each discipline of the Commonwealth Games. The concerned NSFs in consultation with SAI, will identify the core group of

probables on the basis of the norms indicated (at **Annexure-VII**) in the Scheme and along with the profile of each sportsperson and the basis of identification, submit these to the Steering Committee constituted under this Scheme for approval. The composition and functions of the Steering Committee are given at **Annexure-VIII**. A similar procedure will be followed for the identification and selection of Coaches (both Indian and foreign) and other support personnel for each discipline.

12.2 The Annual Calendar of Training & Competitions (ACTC), on Financial Year basis, with complete details of training, coaching, exposure of these elite sportspersons and their participation in the major International Events etc. will be submitted before 31st December of the previous year, on a one year cycle basis, as per the provisions of the Scheme. This schedule may cover a period of up to **305** days in the year, of which the component for foreign training/competitions etc. shall not normally exceed 75 days in a year. The Annual Calendar so received from the NSFs after due consultations with the SAI for each sports discipline will be put up for consideration and approval of the Steering Committee.

12.3 The Steering Committee in its meetings in the first quarter of the calendar year will approve the Calendar on the basis of the provisions of the Scheme, on one year cycle basis (Financial Year). The Committee shall approve an ACTC as well as specify the implementing agencies for each activity included in the ACTC. However, financial assistance will be released to the implementing agencies like National Sports Federations, SAI etc. on receipt of individual proposals in the prescribed format/s (as at **Annexure-IX**) on actual need basis. These proposals will be processed in the International Sports Division of the Ministry on the basis of approved Calendar and approved list of Core Group of Athletes and selected coaches and supporting personnel, for sanction of financial assistance.

12.4 SAI/IOA and concerned NSFs have to submit the proposals at least 30 days in advance of the proposed Training Modules/Event/ Tournament/ Competition, for processing in the Ministry (International Sports Division).

12.5 In the case of Sports Authority of India the financial assistance for creation/upgradation of infrastructure, purchase of equipment, etc and for conducting coaching camps etc will be released after processing the application for the same in accordance with the provisions of the Scheme.

13. MONITORING OF THE SCHEME

The preparation and progress of the Core Group of elite sports persons (medal probables), performance of Coaches (Indian & Foreign) and supporting personnel will be monitored by the Steering Committee. The Steering Committee will meet once every month to evaluate the progress under each sports discipline of the Commonwealth Games, 2010 and recommend to the ***Review*** Committee remedial measures wherever required. The Commonwealth Games Cell in SAI will prepare the performance record of each sportsperson against the monitoring parameters in consultation with the NSFs. The SAI will present these to the Steering Committee for their consideration. The Committee after due consideration may recommend to the 'Review Committee' to take remedial measures which could include exclusion of poorly performing athletes and coaches etc. from the Core Group and substitution/inclusion of new ones. Composition and functions of the 'Review Committee' are given in **Annexure-X.**

14. AUDIT MECHANISM

In addition to the existing provisions of the Scheme and that of the General Financial Rules (GFRs), the Ministry will have the right to conduct special audit of the accounts of the grantees, through the office of the Comptroller & Auditor General of India when there is a reasonable apprehension of serious financial irregularity or misappropriation etc. of the Government funds.

15. RELAXATION CLAUSE

Since the Scheme is specifically oriented for enhancing the medals' tally and improving performance in the Commonwealth Games, 2010, assistance under the scheme may be released to all the concerned agencies i.e. to SAI, National Sports Federations etc., irrespective of their categorization and entitlements under regular schemes of the Ministry of Youth Affairs & Sports.

*****

Annexure-I

BRIEF WRITE-UP ON EACH OF THE SPORTS DISCIPLINES INCLUDED IN THE COMMONWEALTH GAMES 2010

1. Archery: This sport has been introduced for the first time in Commonwealth Games 2010 and will have two sub categories viz. Compound and Recurve. There will be 24 (8 Gold, 8 Silver and 8 Bronze) medals at stake (12 each under Compound and Recurve). Maximum number of entries per country will be restricted to 16 (8 Men and 8 Women) and the maximum number of medals a country could win is 12. Indian Archers have been performing well in the recent years and Women Team (Recurve) has also qualified for Beijing Olympic Games 2008. India can win 4 medals in CWG 2010 provided the Archers are trained intensively and on regular basis with adequate foreign exposure and scientific support. For achieving this target, 32 Men and 32 Women will be selected and will be trained under the supervision of 14 coaches including 2 foreign coaches over the next three years at SAI Centers/ Centers Identified by the NSF.

2. Aquatics: There will be 162 medals at stake in this sport during Commonwealth Games 2010. A country can field entries in all the events. However, a country can win only a maximum of 150 medals. The performance of Indian swimmers has been quite dismal in Commonwealth Games and only two swimmers could reach the last 8 during CWG 2006 at Melbourne. As such, there is an immediate need for comprehensive efforts for this discipline to put up a creditable performance and win a few medals during the forthcoming CWG in Delhi. A modest target of 4 medals has been kept for CWG 2010. For achieving this target, 60 Men and 45 Women swimmers will be identified and imparted training under the supervision of 14 coaches including 2 foreign coaches in India and abroad in SAI centers / centre identified by the NSF.

3. Athletics: The competition level in these disciplines is extremely high since all the countries participate in these events. Indian Athletes could win only 2 Silver medals each during CWG 2002 at Manchester and CWG 2006 at Melbourne. There exists a potential in our athletes to perform much better

provided a rigorous training schedule developed on scientific lines and coupled with requisite foreign exposure is made available to them. There will be 141 medals at stake. The maximum number of entries per country is restricted to 102. The maximum number of medals that a country can win is 90. A target has been set to win 10 medals during CWG 2010. In order to achieve this target a comprehensive training programme under eminent coaches/experts has been drawn up in consultation with concerned NSF. Being host country, Indian Athletes can participate in all the 102 events. For achieving the target of 10 medals, 100 Men and 100 Women athletes will be trained under the supervision of 48 coaches including 10 foreign coaches, on continuous basis at SAI centers and other centers identified by NSF. These centers will have requisite facilities to conduct National Coaching Camps. Sufficient foreign exposure will also be part of the training programme which has been envisaged.

4. Badminton: There will be 18 medals at stake in CWG 2010 and the maximum number of entries per country has been restricted to 10. The number of medals that a country could win will be 11. Indian Shuttlers had won 2 Bronze medals during CWG 2006. A target has been set to win 4 medals during CWG 2010. For achieving this target, 20 Men and 20 Women will be trained by 10 coaches including 2 foreign coaches on a continuous basis which will be duly supported by complete sports science backup and supporting personnel.

5. Boxing: The total number of medals at stake in this discipline during CWG 2010 will be 44 (11 Gold, 11 Silver and 22 Bronze). The maximum number of entries per country has been restricted to 11 and hence the maximum number of medals that a country could win will be 11. India had won 5 medals during CWG 2006 at Melbourne (1 Gold, 2 Silver and 2 Bronze) and is targeting to win 8 medals during CWG 2010. This being a contact sport (the possibilities of injuries being high) 4 boxers for each entry i.e. a total of 44 boxers against maximum entries of 11 would be identified for training. These 44 boxers will be trained on continuous basis at SAI centers/ centers identified by NSF under the supervision of 7 coaches including 1 foreign coach. These centers would have the necessary and requisite modern facilities.

6. Cycling: There will be 54 medals at stake during CWG 2010 and a country could win up to 31 medals. Though India has never won any medal in cycling during CWG so far, a realistic target of 2 medals has been set for CWG 2010. For achieving this, 75 Men and 42 Women will be selected and trained under the supervision of 8 Indian and 2 foreign coaches till the Games. Training will be conducted at SAI centers/ centers identified by NSF.

7. Gymnastics: This discipline offers the third largest number of medals at stake i.e. 60, after Athletics and Swimming. A country could win a maximum of 40 medals and the entries are restricted to 15 per country. India has never won any medal during CWG so far and the best performance being 5th position during CWG 2006. India has chances of performing well in Artistic and Rhythmic Gymnastic and a target of 3-5 medals has been set for the CWG 2010. For achieving this target, 60 probables (24 Men & 36 Women) will be identified and imparted intensive training by 10 coaches including 2 foreign coaches at SAI centers/ centers identified by NSF.

8. Hockey (Men & Women): One medal each in Men and Women's hockey will be at stake and India has targeted a medal each in Men as well as in Women Hockey. Indian Women's Hockey team had won a silver medal during CWG 2006. For achieving this target, 48 probables each for Men and Women teams will be imparted rigorous training by 14 coaches including 2 foreign coaches at various SAI centers/other identified centers by NSFs. The players will be provided with sufficient exposure abroad for training/competitions.

9. Lawn Bowls: There will be 18 medals at stake and the maximum number of entries per country will be 10. The maximum number of medals that a country could win will be 12. A target to win 2 medals has been set by giving needed attention and providing the necessary facilities. We may well achieve this target because this sport is upcoming and is new to most of the participating countries except Australia. For achieving this target of 2 medals, 15 Men and 15 Women will be identified and trained under the supervision of 5 coaches including a foreign coach.

10. Netball (W): There will be 3 medals at stake and only 1 team of 12 players can be fielded. Though this is a new sport for the country, best efforts would be made to try and win a medal/ give a respectable/creditable performance being the host country. For this purpose, 36 players will be identified and trained at SAI centers on continuous basis by 5 coaches including a foreign coach.

11. Rugby 7s: There will be 3 medals at stake. A team of 12 players can be fielded. This also being a new sport for the country best and concerted efforts should be made to try and win a medal/ give a respectable/creditable performance being the host country. For this purpose, 36 players will be identified and trained at SAI centers on continuous basis by 5 coaches including a foreign coach.

12. Shooting: There will be 120 medals at stake and entry has been restricted to 40 per country. Maximum of 60 medals could be won by a country. India has been excelling in shooting in Commonwealth Games and had won 27 Medals (16 Gold, 7 Silver and 4 Bronze) during CWG 2006. It is possible to win up to 35 medals during CWG 2010 provided our shooters are given the best training and required support in India and abroad. This discipline may contribute the largest share in India's medals tally during CWG 2010. It is worthwhile to mention that 8 of our shooters have already qualified for Beijing Olympic Games 2008 and few more are expected to qualify. For achieving the target of 35 medals, it is intended to provide training to 100 Men and 50 women shooters under the supervision of 19 coaches including 4 foreign coaches. The shooters will be suitably supported by required ammunition, sports sciences back up and other logistics, as required from time to time. Training will be held at SAI Ranges.

13. Squash: There will be 15 medals at stake (5 Gold, 5 Silver and 5 Bronze) during CWG 2010. Maximum number of entries per country has been fixed at 10 and hence a country could win a maximum of 10 medals. Though India has never won a medal in this sport during CWG but keeping in view the performance of our players at Junior World Level, it is expected that we can win 2-3 medals during CWG 2010 provided we support our players in terms of

training and international exposure. For achieving this target, 15 Men and 15 Women will be provided training by 5 coaches including a foreign coach. The probables will be trained in SAI centers /centers as identified by NSF.

14. Table Tennis: There will be 21 medals at stake for this sport during CWG 2010, out of which maximum of 12 medals can be won by a country by fielding maximum of 10 entries. India had won 3 medals during CWG 2006(2 Gold and 1 Bronze). A target of winning 6 medals has been set for the CWG 2010. For achieving this target, 20 Men and 20 Women players will be identified and imparted training at SAI Centers and other centers abroad by 7 coaches including a foreign coach.

15. Tennis: There will be 21 medals at stake for this sport, out of which maximum of 12 medals can be won by a country by fielding a maximum of 10 entries. The Indian Tennis players are doing well in the International Circuit and some junior players have shown good promise for the future. A realistic target of winning 4 medals has been kept for CWG 2010.For achieving this target, 20 Men and 20 Women players will be trained by 7 coaches including a foreign coach in India and abroad.

16. Weight Lifting: There will be 45 medals at stake during CWG 2010 and a country could field a maximum of 15 entries. Hence maximum of 15 medals could be won by a country. During the CWG 2006, India had won 9 medals (3 Gold,5 Silver and 1 Bronze) and is hopeful of winning 12 medals in CWG 2010 . For achieving this target, 32 Men and 28 Women will be trained at SAI Centers/ASI Pune/Centres identified by NSF, on regular basis by 10 coaches including a foreign coach. Complete Sports Science back up with necessary supporting personnel will be provided to the weightlifters.

17. Wrestling: There will be 84 medals at stake and a country can field a maximum of 21 entries. Hence maximum of 21 medals can be won by a country. India had won 6 medals during CWG 2002 (this sport was not part of CWG 2006) and it is felt that this discipline may contribute largest number of medals to India's Medals Tally in CWG 2010 after Shooting. A target of winning

all the possible 21 medals available to a country has been set up. For achieving this target, 56 Men and 28 Women will be provided training under the supervision of 14 coaches including 2 foreign coaches. The training will be at SAI Centers. Sufficient foreign exposure has also been planned for our Wrestlers.

18. Elite Athlete with Disability: There will be 4 disciplines for EAD viz. Athletics, Swimming, Table Tennis and Power Lifting. For these disciplines, 36 medals will be at stake and the number of entries per country will be restricted to 24. Hence a maximum of 24 medals can be won by a country. India had won 1 Bronze Medal during CWG 2006. A target of 4 medals has been set for CWG 2010. For achieving this target, 54 probables (36 Men & 18 Women) will be imparted training by 6 Coaches on regular basis at Bangalore and other centers of SAI as identified by the NSF/PCI.

****

Annexure-II

MEDALS AT STAKE & TARGETTED NUMBER OF MEDALS FOR COMMONWEALTH GAMES 2010

Sl. No.	Discipline	Gold	Silver	Bronze	Total	Medals Target
1.	Aquatics	54	54	54	162	2-4
2.	Archery	04	04	04	12	4
3.	Athletics	47	47	47	141	4-10
4.	Badminton	06	06	06	18	2-4
5.	Boxing	11	11	22	44	6-8
6.	Cycling	18	18	18	54	1-2
7.	Gymnastics	20	20	20	60	3-5
8.	Hockey	02	02	02	06	2
9.	Lawn Bowls	06	06	06	18	1-2
10.	Netball (W)	01	01	01	03	Nil
11.	Rugby 7's (M)	01	01	01	03	Nil
12.	Shooting	40	40	40	120	30-35
13.	Squash	05	05	05	15	2-4
14.	Table Tennis	07	07	07	21	4-6
15.	Tennis	07	07	07	21	2-4
16.	Weightlifting	15	15	15	45	10-12
17.	Wrestling	21	21	42	84	21
18.	EAD Events i) Swimming - 4 ii) Athletics - 6 iii) Table Tennis -1 iv) Powerlifting - 1	12	12	12	36	2-4
	Total	277	277	309	863	96-127

Annexure-III

STATEMENT SHOWING PERFORMANCE OF INDIAN TEAM/S IN LAST THREE COMMONWEALTH GAMES

<table>
<tr><th rowspan="2">Common-wealth Games (Year/Host Country)</th><th rowspan="2">Number of Nations Participated</th><th rowspan="2">Sports Disciplines/ Number of Events</th><th colspan="3">India at the Games</th></tr>
<tr><th>Number of Participants</th><th>Number of Medals won</th><th>India Ranked</th></tr>
<tr><td>1998
Kuala Lumpur
(Malaysia)</td><td>70</td><td>15 disciplines
[Aquatics, Athletics, Badminton, Boxing, Cricket, Cycling, Gymnastics, Field Hockey, Lawn Bowls, Netball, Rugby 7s, Shooting, Squash ,Ten-pin Bowling, Weight-lifting,].

213 Events.</td><td><u>114</u> (88 Sports-persons & 26 Officials)</td><td>25 Medals
7 Gold
(Shooting(4), Weightlifting(3))

10 Silver
(Shooting(2), Weightlifting(5), Badminton(2), Boxing(1))

8 Bronze
(Shooting(1), Weightlifting(5), Badminton(2))</td><td>India was ranked 7th with 25 Medals (7 Gold, 10 Silver & 8 Bronze) behind
<table>
<tr><th>Rank</th><th>Country</th><th>G</th><th>S</th><th>B</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Australia</td><td>82</td><td>61</td><td>57</td><td>200</td></tr>
<tr><td>2</td><td>England</td><td>36</td><td>49</td><td>53</td><td>138</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Canada</td><td>30</td><td>31</td><td>40</td><td>101</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Malaysia</td><td>10</td><td>14</td><td>12</td><td>36</td></tr>
<tr><td>5</td><td>South Africa</td><td>9</td><td>11</td><td>14</td><td>34</td></tr>
<tr><td>6</td><td>New Zealand</td><td>8</td><td>6</td><td>20</td><td>34</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2002
Manchester
(England)</td><td>72</td><td>17 disciplines (14 individual sports and 3 teams sports)
[Aquatics, Athletics, Badminton, Boxing, Cycling, Gymnastics, Field Hockey, Judo, Lawn Bowls, Netball, Rugby 7s, Shooting, Squash, Table Tennis, Triathlon, Weight-lifting, Wrestling].

281 Events.</td><td><u>172</u> (108 Sports-persons & 64 Officials)</td><td>69 Medals

30 Gold
(Shooting(14), Weightlifting(11), Boxing(1), Hockey(1), Wrestling(3))

22 Silver
Athletics(1), Boxing(1), Judo(1), Shooting(7), Weightlifting(9), Wrestling(3))</td><td>India was ranked 4th with 69 Medals (30 Gold, 22 Silver & 17 Bronze) behind
<table>
<tr><th>Rank</th><th>Country</th><th>G</th><th>S</th><th>B</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Australia</td><td>82</td><td>62</td><td>63</td><td>207</td></tr>
<tr><td>2</td><td>England</td><td>54</td><td>52</td><td>60</td><td>166</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Canada</td><td>31</td><td>41</td><td>46</td><td>118</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Commonwealth Games (Year/Host Country)	Number of Nations Participated	Sports Disciplines/ Number of Events	India at the Games		
			Number of Participants	Number of Medals won	India Ranked
				17 Bronze Athletics(1), Badminton(1), Boxing(1), Judo(1), Shooting(3), Table Tennis(3), Weightlifting(7))	
2006 Melbourne, Victoria (Australia)	71	16 disciplines (12 individual sports and 4 team sports) *[Aquatics, Athletics, Badminton, Basketball, Boxing, Cycling, Gymnastics Hockey, Lawn Bowls, Netball, Rugby 7's, Shooting, Squash, Table Tennis, Triathlon, Weightlifting]* 247 Events.	**220** (183 Sportspersons & 77 Officials)	**50 Medals** **22 Gold** *(Shooting(16), Weightlifting(3), Table Tennis(2), Boxing(1))* **17 Silver** *(Shooting(7), Weightlifting(5), Athletics(2), Boxing(2), Hockey(1))* **11 Bronze** *(Badminton(2), Table Tennis(1), Shooting(4), Weightlifting(1), Athletics(1), Boxing(2))*	India was ranked 4th with 50 Medals (22 Gold, 17 Silver & 11 Bronze) Rank | Country | G | S | B | Total 1 | Australia | 84 | 69 | 68 | 221 2 | England | 36 | 40 | 34 | 110 3 | Canada | 26 | 29 | 31 | 86

Annexure-IV

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF SPORTSPERSONS WHO WILL ACTUALLY PARTICIPATE IN CWG 2010 VIS-À-VIS THE NUMBER OF SPORTSPERSONS IN THE CORE GROUP

Sl. No.	Discipline	No. of sportspersons who will actually participate in CWG 2010		No. of sportspersons in Core Group selected for training		Justification for the size of the core group of elite players
		Men	Women	Men	Women	
1.	Archery	08	08	32	32	Ratio 1:4. Potential medal prospects are available in the above ratio. Keeping in view the international level performance of Archers, we may expect 2-4 medals.
2.	Athletics	60	42	100	100	Measurable events. The probables are selected as per qualifying norms. Indian Athletes will participate in 31 Men and 21 Women events. Keeping in view the performance of Indian Athletes in the various International events, Indian Athletes may secure 4-10 medals against 2 in the last Games.
3.	Aquatics	20	15	60	45	Ratio 1:3. The competition at International level is very stiff. Our swimmers are doing well at Junior/Sub Junior level in International competitions. However, few swimmers like Vir Dhawal Khade who has qualified as the lone swimmer for the Olympic Games 2008, may provide medal winning performances alongwith Murlidharan, Sandeep Sejwal, Shikha Tondon etc.

Sl. No.	Discipline	No. of sportspersons who will actually participate in CWG 2010	No. of sportspersons in Core Group selected for training	Justification for the size of the core group of elite players		
		Men	Women	Men	Women	
4.	Badminton	05	05	20	20	Ratio 1:4. Looking at the World rankings of Men and Women shutters, we are expecting better performance than last time from the Badminton players (2 medals won in last Games).
5.	Boxing	11	00	44	0	Ratio 1:4. Keeping in view the performance of Boxers at International level, we may expect a very good performance by Boxers this time as compared to last Commonwealth Games, 2006. Five Boxers have qualified for Olympics 2008.
6.	Cycling	25	14	75	42	Ratio 1:3. The competition at International level is stiff. Competitive Cycling in the country was dormant since two years. Lately with the recent initiative that this discipline is a part of Commonwealth Games 2010, the national camps are in progress at Patiala and Ludhiana. Foreign coach is also provided to improve the performance of Cyclists so that we may expect few medals from this discipline after rigorous intensive and continuous training.

Sl. No.	Discipline	No. of sportspersons who will actually participate in CWG 2010	No. of sportspersons in Core Group selected for training	Justification for the size of the core group of elite players		
		Men	Women	Men	Women	
7.	Gymnastics	06	09	24	36	Ratio 1:4. The Competitions at International level is tough. Junior Gymnasts are doing well. There are few Gymnasts in Senior category who won medals at Asian level. With regular training upto CWG 2010, we may expect some medals.
8.	Hockey	16	16	48	48	Ratio 1:3 being a team event. We are expected to secure medals in both sections at Commonwealth Games.
9.	Lawn Bowls	05	05	15	15	Ratio 1:3. The discipline has been introduced in India for the first time. Action has been initiated by conducting Long Term Development Programme of the Federation and the facilities are being provided to ensure respectable performance at the CWG 2010 through sincere efforts in the National Coaching Camps on continuous basis upto CWG 2010.

Sl. No.	Discipline	No. of sportspersons who will actually participate in CWG 2010	No. of sportspersons in Core Group selected for training	Justification for the size of the core group of elite players		
		Men	Women	Men	Women	
10.	Net Ball	00	12	0	36	Ratio 1:3. The discipline has been introduced in India for the first time. Action has been initiated by conducting Long Term Development Programme of the Federation and the facilities are being provided to ensure respectable performance at the CWG 2010 through sincere efforts in the National Coaching Camps on continuous basis upto CWG 2010.
11.	Rugby 7s	12	00	36	0	Ratio 1:3, The event is introduced in India for the first time. Action has been initiated by conducting Long Term Development Programme of the Federation and the facilities are being provided to ensure respectable performance at the CWG 2010 through sincere efforts in the National Coaching Camps on continuous basis upto CWG 2010.

Sl. No.	Discipline	No. of sportspersons who will actually participate in CWG 2010	No. of sportspersons in Core Group selected for training	Justification for the size of the core group of elite players		
		Men	Women	Men	Women	
12.	Shooting	26	14	100	50	Ratio 1:4 (Approx.). This discipline will provide maximum number of medals. Shooters are doing extremely well at the various International events during last 2-3 years. 9 shooters have qualified for Olympics 2008. The Gold Medal in the Olympics 2008 may come from Shooting.
13.	Squash	05	05	15	15	Ratio 1:3. The performance of Squash players is encouraging at the Junior/ Senior International level. We may expect few medals in this discipline also.
14.	Table Tennis	05	05	20	20	Ratio 1:4. The competition level at CWG 2010 is high but Indian are doing well at International level, and are expected to win at least 4 medals.
15.	Tennis	05	05	20	20	Ratio 1:4. On the basis of the performance of Tennis players and their World ranking, it is expected that they will secure 3-4 medals in CWG 2010.

Sl. No.	Discipline	No. of sportspersons who will actually participate in CWG 2010	No. of sportspersons in Core Group selected for training	Justification for the size of the core group of elite players		
		Men	Women	Men	Women	
16.	Weightlifting	08	07	32	28	Ratio 1:4. This discipline will be the third in providing number of medals during CWG 2010. Continuous, sustained training and monitoring is required for this discipline.
17.	Wrestling	14	07	56	28	Ratio 1:4. The second largest sports discipline in providing medals during CWG 2010. Regular coaching camps are in progress at Patiala. Three foreign coaches have been provided.
18.	EAD	18	06	36	18	Ratio 1:2. The events of EAD are yet to be finalized. Looking into the performance during the last Paralympic Games at Athens 2004 where India won 1 Gold and 1 Bronze we may expect two medals or more.
	Total	**249**	**175**	**733**	**553**	

Annexure-V

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CORE GROUP OF SPORTS PERSONS/COACHES/SUPPORTING PERSONNEL TOWARDS PREPARATION OF INDIAN TEAM FOR COMMONWEALTH GAMES 2010

Sl. No.	Discipline	No. of Sports Persons		No. of Coaches		Sports Analyst	Number of Supporting Personnel						
		Men	Women	Indian	Foreign		Doctor (Sports Medicine)	Exercise Physiologist	Psycho-logist/Yoga Expert/Mental Trainer	Physio-therapist	Masseur	Masseuse	Escorts for EAD*
1	Archery	32	32	12	2	1	1	1	1	0	1	1	0
2	Athletics	100	100	38	10	1	1	1	0	2	6	6	0
3	Aquatics	60	45	12	2	1	1	1	0	0	1	1	0
4	Badminton	20	20	8	2	1	0	1	0	1	1	1	0
5	Boxing	44	0	6	1	1	1	0	0	1	1	0	0
6	Cycling	75	42	8	2	1	1	1	0	1	1	1	0
7	Gymnastics	24	36	8	2	1	1	0	0	0	2	2	0
8	Hockey	48	48	12	2	2	2	2	0	2	1	1	0
9	Lawn Bowls	15	15	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0
10	Net Ball	0	36	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Rugby 7s	36	0	4	1	1	1	0	0	1	1	0	0
12	Shooting	100	50	15	4	1	0	0	3	0	0	0	0
13	Squash	15	15	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0
14	Table Tennis	20	20	6	1	1	0	0	0	1	1	1	0
15	Tennis	20	20	6	1	1	1	0	0	1	1	1	0
16	Weightlifting	32	28	9	1	1	1	0	0	1	1	1	0
17	Wrestling	56	28	12	2	1	1	0	0	1	2	1	0
18	EAD*	36	18	6	0	1	1	0	0	1	1	1	18
	Total	*733*	*553*	*174*	*36*	*19*	*13*	*8*	*4*	*13*	*22*	*20*	*18*

** Elite Athletes with Disabilities*

Sports Persons	1286
Coaches	210
Sports Analyst	19
Escorts	18
Supporting Personnel	80
Total	*1613*

Annexure-VI
(Para 10)

GUIDELINES FOR PREPARATION OF LONG TERM FRAMEWORK

Preparation of Long Term Framework (LTF) is an effective method by which a sporting organization can establish its goals and identify best means of working towards them. Significant improvements in the overall performance of sportspersons could be achieved if the LTF is systematically prepared by incorporating therein all the related activities. All National Sports Federations (NSFs) of sports included in the Commonwealth Games, 2010 will initiate a process expeditiously to ensure that the next three year plans up to Commonwealth Games, 2010 is ready for Government's approval immediately.

2. The format given in the following paras is only suggestive and may need to be expanded or modified keeping in view the needs of a specific organization. The suggested format is based on the following components as a minimum requirement.

2.1 INTRODUCTION

The introduction should provide a background to the organization and an overview of the Plan. It should provide the scope of the Plan indicating why it was prepared and what the plan contains etc.

2.2 MISSION STATEMENT AND ORGANISATIONAL CHART

The Organization's Mission Statement should state in a clear and concise manner the target/goal to be achieved through the proposed LTF.

2.3 THREE YEAR DEVELOPMENT PLAN (APRIL 2008 TO OCTOBER 2010)

The Development plan should contain the physical targets proposed to be achieved by the plan. The Plan should envisage coaching camps (about 210 days); foreign training and competition (about 75 days) ; and domestic tournament (about 20 days) i.e. total of 305 days in a year. The preparation of the plan is likely to be more meaningful if the objectives are grouped into operational or key target areas. Examples of key target areas which may be appropriate for NSFs are as follows:

1 Athlete development
2 Coaching
3 Domestic Tournament Schedule
4 Participation in International Tournaments
5 Hosting of Test Events
6 Review of Progress
7 Sports sciences
8 Facilities and equipment

2.3.1 Athlete development

The programmes in this key area may include 'Core Group' identification process for determining athlete's potential; special coaching programme for 'Core Group' athletes; support staff (like coaches and sports scientists) to enhance athlete's performance; setting up and maintenance of athlete performance data base; specialization, commitments and obligations of athletes; selection policies and criteria; international exposure etc.

2.3.2 Coaching

Coaching programme to specify purpose; number of athletes, coaches, support personnel etc ; duration of each camp; requirement of specific sports equipment, if any; and other related details.

2.3.3 Domestic Tournament Schedule

Planning of a domestic tournament schedule in advance helps the sports persons and their coaches to plan their training programme. It also helps the state units to plan their state level and district level tournaments in a proper way. The dates and venues of the tournaments should become available to all interested persons on the 1st of April every year in a printed form. There should be no changes in the dates or venues of the already finalized schedules.

2.3.4 Participation in International Tournaments

For every elite sportspersons or a team, the major international tournament in which he or the team is participating in a year has to be identified in the beginning of the year. There could also be smaller events before the major event which might help the sportsperson or the team to have an exposure or competition experience. However, while selecting the international tournament adequate care needs to be taken to identify a tournament which provides good competition. Events can include anything from international competition to exhibition matches. Planning of international tournaments in advance helps to prepare the training schedule in a scientific manner.

2.3.5 Hosting of Test events

Hosting of Test events with foreign teams should be planned by the organization so as to provide exposure/competition to our sportspersons before participation in the CWG 2010 It is equally important to ensure that these events are properly and professionally managed so that India develops a credible image abroad as good and reliable venue for holding and hosting of such tournaments.

2.3.6 Review of Progress

NSFs should ensure regular review of performance of each athlete included in the core group of probables and suggest for replacement of athletes, who are found to be below the targeted level.

2.3.7 Sports Sciences

Sports science should incorporate target setting for athlete testing and support in Bio-mechanics, Physiology, Psychology, Physiotherapy etc.

2.3.8 Facilities and Equipments

The development plan may address the issues of facilities required for athletes the equipment needs of players

3. Structure of the Plan

Structure of the Plan would include the following:

- A statement of specific and measurable objective against each of the items mentioned above
- A statement of the long term perspective for the sport
- A special three year annual plan, for the period 2008-2010
- Detailed proposals for introducing professional management practices.

4. Procedure for approval and monitoring of the Plan

The Plans as drawn up by the National Federations will be discussed in meeting of the Steering Committee , to be constituted by MoYAS and an agreed programme will be finalized. This programme will include the following commitments:

1 The concerned National Federation will implement the provisions of the Scheme/ approved LTF and achieve the targets as set.
2 The financial commitments of MoYAS; and
3 The facilities to be made available by SAI according to the schedule approved.

To monitor compliance of agreed LTF, the Steering Committee would regularly meet and would review the progress made against the targets set and will suggest corrective steps to be taken by the agencies involved. Corrective measures, as agreed upon, will be taken by the parties involved during the course of the year.

*****

Annexure-VII

STATEMENT SHOWING THE NORMS FOR SELECTION OF SPORTSPERSONS (CORE GROUP OF PROBABLES) FOR COMMONWEALTH GAMES, 2010

1. Medalist/participants in World Championships 2006 and Olympic Games, 2004;
2. Medalist of Asian Games and Commonwealth Games, 2006;
3. Medallists of Asian Championship 2006, World Cups, Commonwealth Championship and other equivalent events;
4. Participants in World Championships, Olympic Games 2004, Asian Games and Commonwealth Games 2006 and events mentioned at 3 above;
5. Medalists of 1st Afro Asian Games, SAF Games and National Championships held in 2007;
6. World Ranking, wherever applicable; and
7. Age Criteria and current levels of performance.

The Steering Committee constituted under this Scheme will finalize the selection of the Core probables to be trained as medal prospects out of the list provided by the concerned National Sports Federations in consultation with the ***SAI***.

*****

Annexure-VIII

COMPOSITION AND FUNCTIONS OF 'STEERING COMMITTEE'

COMPOSITION :

1.	Joint Secretary (ISD)	-	**Chairman**
2.	Executive Director (Teams), SAI	-	Member
3	Representative of concerned NSFs. (Whenever their issues are discussed)	-	Member
4.	Representative of Indian Olympic Association (IOA)	-	Member
5.	Director (TEAMS), SAI	-	Member
6.	One Govt. Observer (concerned discipline)	-	Member
7.	Two Technical Experts (one each in Sports Medicine/ Sports Sciences)	-	Members
8.	Director (ISD)	-	Member Secretary

FUNCTIONS:

1. There will be separate Committees for each Sports discipline of the Commonwealth Games.
2. The Committee will meet once every month.
3. The Committee shall finalize and approve the list of core probables.
4. The Steering Committee will approve the Annual Calendar of Training and Competition (ACTC) of the core probables of each discipline and sanction financial assistance, and assign specific responsibilities for its implementation, to various agencies such as SAI, NSFs etc. The Committee shall also review the implementation of ACTC with a view to modify the same from time to time to make it more effective.
5. The Committee shall also select and approve terms of engagement of coaches (both Indian and Foreign) and supporting personnel.
6. The Committee will monitor regularly progress in respect of performance levels, improvement therein of the core group of sportspersons, Coaches (Indian & Foreign) and Supporting Personnel and recommend to the 'Review Committee' regarding modification in the list, wherever necessary.
7. The Committee Secretariat will keep a data base of all the core probables of each discipline.

*****

Annexure-IX

APPLICATION FORM TO BE SUBMITTED BY THE NATIONAL SPORTS FEDERATION/S SEEKING FINANCIAL ASSISTANCE UNDER THE SCHEME OF 'PREPARATION OF INDIAN TEAM FOR COMMONWEALTH GAMES-2010' FOR TRAINING/ FOREIGN EXPOSURE.

PROFORMA

1. **Name and address of the applicant** (Name of the Federation/Association etc.)

2. **Sports discipline**

3. **Details of the event**

(i)

a. Name :
b. Category
c. Venue :
d. Date : From_____To_____
e. Proposed duration of stay abroad : From_____To_____

(ii) **Will the team participate in any other event, en-route?**

If yes, please give following details:

a. Name/s of players/ :
b. Coaches :
c. Venue :
d. Date :
e. Terms and conditions :
f. Financial implications :

4. **Composition of the Team.**

(i)

a. Name of the Players * :
b. Performance level achieved in the Coaching Camps :
c. Present record :

(ii) **Coaches**

a. Name/s of the Coaches * :
b. Qualification/s :

c. Whether selection of the Coach/s has been approved by 'Steering Committee' duly constituted by the Government

(iii) **Any other official (Please give detailed justification) :-**

* Name/s given in column 4 (a) and 4 (b) above should have approval of Steering Committee (Copy of MYAS letter to be enclosed in the regard).

5. Financial implications and other details :-

(i) Details about the Organization which will host the event:

a. Name :

b. Address & Phone No. :

c. E-mail address :

(ii) Details of assistance to be provided by the host (copy of the letter received from the organizer to be enclosed)

a. Local accommodation :

b. Hospitality (Boarding) :

c. Local transport. :

d. Air passage :

e. Any other support :

f. Estimates of foreign exchange to be received from the organizers. :

6. Details of assistance sought.

(i) Passage cost

a. Mode (By Air/any other method):

b. Port of embarkation in India :

c. Port of disembarkation in Foreign Country :

(ii) Incidentals to passage

a. Visa fee :

b. Airport tax :

(iii) Any other requirement (please give details item wise along with justification and enclose copy of relevant supporting documents)

(iv) Total amount of foreign exchange required:

(v) Foreign exchange likely to be earned :

(vi) Net foreign exchange required :

(vii) Office of Reserve Bank of India to be advised Delhi/Kolkata/Mumbai/Chennai. :

7. Is any other team member/official is a Government servant/office bearer of political party? If so, whether required clearance has been obtained from Ministry of Home Affairs? Please enclose copy of the clearance received from M/o Home Affairs.

NOTE:-

(i)

Please submit this in duplicate at least one month before scheduled date of event/s to the Ministry of Youth Affairs & Sports International Sports Division, New Delhi, with a copy to the Sports Authority of India (SAI).

(ii)

Please fill in all the columns correctly with all requisite details.

Certified that facts given above are true as per records of the Federation and my knowledge. Further certified that full account of foreign exchange earned by any other team member/team shall be repatriated as per law within the time specified.

Signature_____

Name & Designation_____

SEAL

Date_____

Place_____

Annexure- X

COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE " REVIEW COMMITTEE"

1.	Secretary (YA & S)	- Chairman
2.	Director General, SAI	- Member.
3.	Joint Secretary (Sports)	- Member
4.	Representative of IOA	- Member
5.	Government Observer (one from each discipline)	- Member
6.	Joint Secretary (ISD)	- Member Secretary

Note : Serial No.5 will attend whenever issues relating to their discipline are being discussed.

FUNCTIONS:

1. The Committee will meet once in every three months.

2. The Committee will review regularly progress in respect of performance levels of the core group of sportspersons, coaches (Indian and Foreign) and supporting personnel and provide guidance to the 'Steering Committee' and the various stakeholders, wherever required.

3. The Committee will take remedial measures which could include exclusion of poorly performing athletes and coaches etc. from the Core Group and substitution/inclusion of new ones, on the recommendations of the 'Steering Committee'.

RAHUL BHATNAGAR
Jt. Secy.

*****

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008